



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दूसरी
SECOND

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2019-2020

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च, March, 2020

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों 2019-2020 का दूसरा और अंतिम बैच।

वर्ष 2019-20 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 78 अनुदान मांगें तथा 4 विनियोग हैं। ₹4,80,881.66 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹53,963.58 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹4,26,916.61 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹147 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

Subject : Second and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2019-2020.

The Second batch of Supplementary Demands for Grants for 2019-20 includes 78 Grants and 4 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹ 4,80,881.66 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 53,963.58 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 4,26,916.61 crore. Besides, token provision of ₹ 147 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3. परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
(क) ईंधन के आयात (एनएफसी) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards import of Fuel (NFC).	200.00	-	200.00
(ख) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) यूसीआईएल (एनएफसी) के बकाया का भुगतान (₹100 करोड़) और (ii) नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (एनआरबी) के प्रचालनगत व्यय (₹70 करोड़), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के लिए प्रचालनगत व्यय (₹29 करोड़), नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (एनआरबी) (₹26.18 करोड़) और नाभिकीय ईंधन परिसर (एनएफसी) (₹58.41 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) payment of arrears to UCIL (NFC) (₹ 100 crore) and (ii) operational expenditure for Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 70 crore), Atomic Research Centre (BARC) (₹ 29 crore), Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 26.18 crore) and Nuclear Fuel Complex (NFC) (₹ 58.41 crore).	170.00	-	170.00
(ग) (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹80 करोड़), राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (₹23.78 करोड़), परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान महानिदेशालय (₹5.63 करोड़) (ii) सहायता प्राप्त संस्थानों (₹50 करोड़) और परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (₹6 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान (iii) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹0.07 करोड़) और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹0.02 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रचालनगत व्यय (₹94.92 करोड़) पूरा करने के लिए।	(c) For meeting operational expenditure for (i) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 80 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 23.78 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (₹ 5.63 crore) (ii) Grant in aid Salary to Aided Institutes (₹ 50 crore) and to Atomic Energy Education Society (₹ 6 crore) and (iii) Grant in aid General to Bhabha Atomic Research Centre (₹ 0.07 crore) and Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 0.02 crore) and Bhabha Atomic Research Centre for operational expenditure (₹ 94.92 crore).	130.00	-	130.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
5. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
1. (i) असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) की देनदारियों का भुगतान करने के लिए (₹100	For 1. making payment (i) of liabilities to Assam Gas Cracker Project (AGCP) (₹ 100			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़) (ii) भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि और न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए (₹6.53 करोड़) और 2. वाराणसी में प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी केन्द्र के लिए केंद्रीय संस्थान की स्थापना हेतु (₹1.50 करोड़)।	crore) (ii) to ex-gratia to Bhopal Gas Victims & Salary for Judicial Officers (₹ 6.53 crore) and 2. setting up of Central Institute for Plastic Engineering & Technology Centre at Varanasi (₹ 1.50 crore).	106.53		106.53
7. भेषज विभाग मंत्रिमंडल द्वारा यथानुमोदित भारतीय औषधी और भेषज लिमिटेड (आईडीपीएल), राजस्थान औषधी और भेषज लिमिटेड (आरडीपीएल) और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के भुगतान न किए गए वेतन/वीआरएस की देनदारियों का भुगतान करने के लिए।	7 Department of Pharmaceuticals For payment of employees' liabilities of unpaid salary/VRS of PSUs of Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited (IDPL), Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Limited (RDPL) and Hindustan Antibiotics Limited (HAL) as approved by Cabinet.	-	166.82	166.82
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10. वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(क) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹3.50 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹8 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹5 करोड़) और सब्सिडियां (₹21.14 करोड़) (ii) 'कॉफी बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹4.29 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹21.24 करोड़) और सब्सिडियां (₹7.46 करोड़) (iii) 'खड़ बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹21 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹48.80 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1 करोड़) (iv) 'मसाला बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹7 करोड़) और सब्सिडियां (₹2 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards: (i) Grants-in-aid General (₹ 3.50 crore), Grants-in-aid Salary (₹ 8 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) and Subsidies (₹ 21.14 crore) under the scheme 'Tea Board', (ii) Grants-in-aid General (₹ 4.29 crore), Grants-in-aid Salary (₹ 21.24 crore) and Subsidies (₹ 7.46 crore) under the scheme "Coffee Board", (iii) Grants-in-aid General (₹ 21 crore), Grants-in-aid Salary (₹ 48.80 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) under the scheme 'Rubber Board', (iv) Grants-in-aid General (₹ 4 crore), Grants-in-aid Salary (₹ 7 crore) and Subsidies (₹ 2 crore) under the scheme 'Spices Board'.	75.97	-	75.97
(ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: (i) 'कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹10 करोड़), (ii) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़), और सब्सिडियां (₹15.21 करोड़) (iii) 'शुल्क वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (150.55 करोड़) (iv) 'रत्न और आभूषण क्षेत्र' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹5 करोड़), (v) 'निर्यात स्कीमों के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹35 करोड़), (vi) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹50 करोड़), (vii) 'कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹0.01 करोड़), अन्य प्रभार (₹0.01 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹0.01 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 10 crore) under the scheme 'Agriculture Product Export Development Authority (APEDA)', (ii) GIA General (₹ 5 crore) and Subsidies (₹ 15.21 crore) under the scheme 'Marine Product Export Development Authority (MPEDA)', (iii) Subsidies (₹ 150.55 crore) under the scheme 'Duty Draw Back', (iv) Grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) under the scheme 'Gem & Jewellery Sector', (v) Grants for creation of Capital Assets (₹ 35 crore) under the scheme 'Trade Infrastructure for Export Schemes (TIES)', (vi) Grants for creation of Capital Assets (₹ 50 crore) under the scheme 'Indian Institute of Foreign Trade' (vii) Subsidies (₹ 0.01 crore), other charges (₹ 0.01 crore) and Professional Services (₹ 0.01 crore)			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	under the scheme 'Implementation of Agriculture Export Policy'.	75.00	-	75.00
(ग) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: (i) 'ईसीजीसी (निर्यात ऋण गारंटी निगम) में निवेश' स्कीम के अंतर्गत निवेश (300 करोड़) और (ii) भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड (एमएमटीसी) द्वारा बोनस शेयरों का निर्गम (44.97 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards: (i) Investment (₹ 300 crore) under the scheme 'Investment in ECGC (Export Credit Guarantee Corporation)' and (ii) Issue of Bonus Shares by Metals and Minerals Trading Corporation of India Ltd. (MMTC) (₹ 44.97 crore).	-	300.00	300.00
11. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹166.31 करोड़) और 'प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹154.31 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Investment under the schemes 'Fund of Funds' (₹166.31 crore) and 'Exhibition-Cum-Convention Centre, Dwarka' (₹ 154.31 crore).	-	250.00	250.00
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
12. डाक विभाग	12 Department of Posts			
वेतन (₹1135.86), पेंशन (₹128.90 करोड़), मजदूरी और अन्य कार्यात्मक आवश्यकता (₹39.11 करोड़) पर स्थापना व्यय हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	For meeting additional requirement towards establishment expenses on Salary (₹ 1135.86 crore), Pension (₹ 128.90 crore), wages and other functional requirement (₹ 39.11 crore).	1,099.39	-	1,099.39
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
18. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	18 Ministry of Defence (Civil)			
(क) रक्षा लेखा विभाग में न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure arising out of court decrees in Defence Accounts Department.	0.05	-	0.05
(ख) (i) विभिन्न स्थापना संबंधी शीर्षों के अंतर्गत (₹633.87 करोड़) (ii) रक्षा संपदा संगठन के अंतर्गत कैट बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान (₹64.45 करोड़) और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (₹1.96 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure (i) under various establishment related heads (₹ 633.87 crore) (ii) towards Grants-in-aid General to Cantonment Boards under Defence Estates Organization (₹64.45 crore) and to Institute of Defence Studies and Analysis (₹ 1.96 crore).	695.12	-	695.12
(ग) तटरक्षक संगठन में न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure arising out of court decrees in Coast Guard Organisation.	0.02	-	0.02
(घ) तटरक्षक संगठन के स्थापना संबंधी शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure under establishment related heads of Coast Guard Organisation.	90.78	-	90.78
(ङ) जम्मू और कश्मीर लाइट इंफैंटरी के स्थापना संबंधी शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure under establishment expenditure of Jammu & Kashmir Light Infantry.	124.68	-	124.68
(च) कार्यालय भवनों के अनुस्क्षण और मरम्मत हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(f) For meeting additional expenditure towards maintenance & repairs of office buildings.	0.23	-	0.23
(छ) (i) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण (₹10 करोड़) (ii) सीमा सड़क संगठन के सड़क निर्माण कार्यों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹33 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(g) For meeting additional expenditure towards (i) transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 10 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹ 2 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 33 crore) for Road works of Border Roads Organisation.	45.00	-	45.00

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ज) तटरक्षक संगठन द्वारा माध्यस्थता पंचाट के कारण उत्पन्न भुगतान करने के लिए।	(h) For payment arising out of arbitration awards, by Coast Guard Organisation.	-	5.00	5.00
(झ) पोतों, वायुयान और बेड़ों की अधिप्राप्ति (₹80 करोड़) और भूमि अधिग्रहण (₹15 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(i) For meeting additional expenditure towards acquisition of Ships, Aircraft and Fleets (₹ 80 crore) and land acquisition (₹ 15 crore).	-	95.00	95.00
(ज) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण (₹136.64 करोड़) और सीमा सड़कों के निर्माण पर (₹31.50 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(j) For meeting additional expenditure towards transfers to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 136.64 crore) and on construction of boarder roads (₹ 31.50 crore).	-	22.56	22.56
19. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	19 Defence Services (Revenue)			
(क) (i) सेना के वेतन और भत्ते (₹126.62 करोड़), संबद्ध बलों के वेतन और भत्ते (₹60 करोड़), नागरिकों के वेतन और भत्ते (₹100 करोड़), (ii) परिवहन (₹500 करोड़), (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (₹1591.03 करोड़), (iv) निर्माण कार्य (₹373.56 करोड़), (v) राष्ट्रीय राइफल (₹179.72 करोड़), (vi) राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹11.80 करोड़), (vii) अन्य व्यय (₹0.01 करोड़) तथा (viii) निरीक्षण-गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक (₹84 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure for (i) pay and allowances of Army (₹ 126.62 crore), Auxilary Forces (₹ 60 crore) and Civilians (₹ 100 crore) (ii) transportation (₹ 500 crore) (iii) Ex-servicemen Contributory Health Scheme (₹ 1,591.03 crore) (iv) works (₹ 373.56 crore) (v) Rashtriya Rifles (₹ 179.72 crore) (vi) National Cadet Corps (₹ 11.80 crore) (vii) other expenditure (₹ 0.01 crore) and (viii) Inspection-Director General Quality Assurance (₹ 84 crore).	605.39	-	605.39
(ख) नौसेना के वेतन और भत्ते (₹3.80 करोड़), नागरिकों के वेतन और भत्ते (₹94.93 करोड़), (ii) मरम्मत और पुनर्सज्जा (₹373.85 करोड़), (iii) भंडार (₹71.83 करोड़) तथा (iv) संयुक्त स्टॉफ (₹89.72 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure for (i) Pay and Allowances of Navy (₹ 3.80 crore) and Civilians (₹ 94.93 crore) (ii) repairs & refits (₹ 373.85 crore) (iii) stores (₹ 71.83 crore) and (iv) Joint Staff (₹ 89.72 crore).	475.74	-	475.74
(ग) वायु सेना के लिए, वायुसेना के वेतन और भत्ते (₹1.09 करोड़), निर्माण कार्य (₹0.25 करोड़) और अन्य व्यय (₹1 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय मामलों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure arising out of court cases under 'Pay and Allowances' of Air Force (₹ 1.09 crore), works (₹ 0.25 crore) and other expenditure (₹ 1 crore) for Air Force.	0.80	-	0.80
(घ) वायुसेना के वेतन और भत्ते (₹178.91 करोड़), परिवहन (₹128.37 करोड़), भंडार (₹245.35 करोड़), विशेष परियोजना (₹0.11 करोड़) और अन्य व्यय (₹25.17 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure for Pay and Allowances of Air Force (₹ 178.91 crore), transportation (₹ 128.37 crore), stores (₹ 245.35 crore), special project (₹ 0.11 crore) and other expenditure (₹ 25.17 crore).	447.66	-	447.66
(ङ) नागरिकों के वेतन और भत्ते (₹1.68 करोड़) तथा अनुसंधान और विकास के निर्माण कार्य (₹0.03 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय मामलों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure arising out court cases under pay and allowances of civilians (₹ 1.68 crore) and works (₹ 0.03 crore) of Research and Development.	1.53	-	1.53
(च) प्रशिक्षण (₹1 करोड़), अनुसंधान (₹151.90 करोड़), नागरिकों के वेतन और भत्ते (₹157.57 करोड़), भंडार (₹139.50 करोड़) और अन्य व्यय (₹18.34 करोड़) के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting additional expenditure of Defence Research and Development Organisation under training (₹ 1 crore), research (₹ 151.90 crore), Pay and Allowances of Civilians (₹ 157.57 crore), stores (₹ 139.50 crore) and other expenditure (₹ 18.34 crore).	468.88	-	468.88
20. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	20 Capital Outlay on Defence Services			
(क) (i) निर्माण कार्य (₹6 करोड़) सेना और रक्षा	(a) For meeting additional expenditure			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अनुसंधान तथा विकास संगठन (₹15 करोड़) (ii) वायुसेना के लिए 'भूमि' (₹5 करोड़), 'निर्माण कार्य' (₹1.80 करोड़) और (iii) रक्षा आयुध निर्माणियों के लिए 'मशीन और उपकरण' (₹3.45 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय मामलों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	arising out of court cases under (i) works (₹ 6 crore) for Army and Defence Research and Development Organisation (₹ 15 crore) (ii) 'land' (₹ 5 crore), 'works' (₹ 1.80 crore) for Air Force and (iii) 'machine and equipments' (₹ 3.45 crore) for Defence Ordnance Factories.	-	11.55	11.55
(ख) (i) सेना के लिए वायुयान और एयरो इंजन (₹121.99 करोड़), अन्य उपकरण (₹154.51 करोड़) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹25 करोड़) (ii) नौसेना के लिए अन्य उपकरण (₹100 करोड़), नौसेना बेड़ा (₹2001.99 करोड़), नौ सेना डाकयार्ड (₹967 करोड़) (iii) वायुसेना के लिए अन्य उपकरण (₹8427.38 करोड़) और निर्माण कार्य (₹523.20 करोड़) (iv) रक्षा आयुध निर्माणियों के लिए मशीन और उपकरण (₹8.55 करोड़) (v) गुणता आश्वासन महानिदेशक के निरीक्षण संबंधी निर्माण कार्य (₹5 करोड़) (vi) प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत वायु सेना की प्रक्रिया (₹33.50 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure for (i) 'Aircraft and Aeroengines' (₹ 121.99 crore), other equipments (₹ 154.51 crore) and National Cadet Corps (₹ 25 crore) for Army (ii) 'other equipments' (₹ 100 crore) and 'Naval Fleet' (₹ 2,001.99 crore), 'Naval dockyard' (₹ 967 crore) for Navy (iii) 'other equipments' (₹ 8,427.38 crore) and 'works' (₹ 523.20 crore) for Air Force (iv) 'machinery and equipments' for Defence Ordnance Factories (₹ 8.55 crore) (v) works' of inspection for Director General Quality Assurance (₹ 5 crore) (vi) procedure of Air Force' under Technology Development (₹ 33.50 crore).	-	6,988.45	6,988.45
21. रक्षा पेंशन (i) न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न भुगतान (₹3.34 करोड़) और (ii) वृद्धित महंगाई राहत और पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय (₹5727.53 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।	21 Defence Pensions For meeting (i) payments arising out of Court decrees (₹ 3.34 crore) and (ii) additional expenditure on account of enhanced dearness relief and increase in number of pensioners (₹ 5727.53 crore).	5,730.87	-	5,730.87
वित्त मंत्रालय 27. आर्थिक कार्य विभाग (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹0.68 करोड़) और सॉवरेन स्वर्ण बांड स्कीम 2015 के अंतर्गत स्वर्ण प्रारक्षित निधि को अंतरण (₹228.16 करोड़)। (ख) जीआईजेड को सेवाकर (₹12 करोड़) और एग्जिम बैंक को व्याज समकरण सहायता (₹373.65 करोड़)। (ग) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण (₹2750 करोड़) और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (₹1003 करोड़)। (घ) मूल्य का अनुक्षण (एमओवी)-आईएमएफ बाध्यता (₹858.02 करोड़) और नया विकास बैंक (एनडीबी) को अभिदान (₹2,220 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ङ) गृह निर्माण भत्ता के व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF FINANCE 27 Department of Economic Affairs (a) For Grants in Aid General (₹ 0.68 crore) and transfer to Gold Reserve Fund under Sovereign Gold Bond Scheme 2015 (₹ 228.16 crore) (b) For Service Tax to GIZ (₹ 12 crore) and Interest Equilization Support to EXIM Bank (₹ 373.65 crore). (c) For transfer to National Investment Fund (₹ 2750 crore) and National Investment and Infrastructure Fund (₹ 1003.00 crore). (d) For meeting expenditure towards Maintenance of Value (MoV)-IMF Obligation (₹ 858.02 crore) and Subscription to New Development Bank (NDB) (₹ 2,220 crore). (e) For meeting expenditure towards House Building Allowance.	228.16 350.17 - - -	- - 1,003.00 0.18 25.00	228.16 350.17 1,003.00 0.18 25.00
28. व्यय विभाग पीएम-किसान योजना और शास्त्री पार्क, दिल्ली और हैदराबाद स्थित आंकड़ा केंद्रों तथा पीएफएमएस के विकास केंद्र के लिए प्रस्तावित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और पीएफएमएस के लिए अनुप्रयुक्त	28 Department of Expenditure For procurement of Hardware & Software proposed for PM-KISAN Yojna and Data Centres at Shastri Park, Delhi and Hyderabad and Development Centre of			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
निष्पादन मानिट्रिंग टूल की अधिप्राप्ति के लिए।	PFMS and for Application Performance Monitoring Tool for PFMS.	42.32	-	42.32
29. वित्तीय सेवाएं विभाग	29 Department of Financial Services			
(क) सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी व्यय के लिए।	(a) For establishment related expenditure for Secretariat.	2.59	-	2.59
(ख) (i) किराया, दर व कर के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) (₹4.41 करोड़) और (ii) पीएफआरडीए को सामान्य सहायता अनुदान और वेतन सहायता अनुदान (₹10.57 करोड़) के लिए।	(b) For (i) Debts Recovery Tribunals (DRTs) under Rent, Rates and Taxes (₹ 4.41 crore) and (ii) Grants-in-aid General and Grants-in-aid Salary to PFRDA (₹ 10.57 crore).	13.17	-	13.17
(ग) अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में सामान्य सहायता अनुदान (₹66.80 करोड़) और सरकारी सह-अंशदान (₹68.14 करोड़) के लिए।	(c) For Grants-in-aid General as Incentive (₹ 66.80 crore) and Government's co-contribution (₹ 68.14 crore) under Atal Pension Yojana .	58.08	-	58.08
(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूँजीकरण के लिए।	(d) For recapitalisaion of Regional Rural Banks.	-	470.00	470.00
31. राजस्व विभाग	31 Department of Revenue			
(क) (i) फिननेट परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता मामले (₹17.11 करोड़) और (ii) लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत किराए के कार्यालय में सिविल और इलेक्ट्रीकल कार्य (₹3 करोड़) के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) international arbitration matters for the project FINnet (₹17.11 crore) and (ii) civil and electrical work in hired office space under 'Minor Works' (₹ 3 crore).	17.11	-	17.11
(ख) स्थापना संबंधी व्यय और एफएटीएफ को प्रतिबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अंशदान के भुगतान के लिए।	(b) For establishment related expenses and for payment of committed international contributions to FATF.	13.66	-	13.66
(ग) राज्य सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने और लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि को अंतरण के लिए।	(c) For release of GST Compensation to State Governments and transfer to GST Compensation Fund in Public Account.	16,200.00	-	16,200.00
(घ) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने और लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि को अंतरण के लिए।	(d) For release of GST Compensation to UT Governments and transfer to GST Compensation Fund in Public Account.	3,800.00	-	3,800.00
(ङ) राजस्व भवन के निर्माण के लिए।	(e) For construction of Rajaswa Bhawan.	-	8.26	8.26
32. प्रत्यक्ष कर	32 Direct Taxes			
वेतन सहित स्थापना संबंधी व्यय (₹76.96 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹105 करोड़) के लिए।	For establishment related expenses including Salary (₹ 76.96crore) and office expenses (₹ 105 crore).	181.96	-	181.96
34. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	34 Indian Audit and Accounts Department			
एक आईएएडी, एक प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under Information Technology for One IAAD, One System.	88.00	-	88.00
37. पेंशन	37 Pensions			
(i) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छुट्टी नकदीकरण का भुगतान करने हेतु (₹5 करोड़) (ii) पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि, सरकारी अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत होने, सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/विकलांगता पर राहत और परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अंतर्गत अंशदान की विलंबित जमाओं पर महंगाई राहत और ब्याज का भुगतान (₹1995 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting additional requirement (i) towards payment of leave encashment to Judges of High Court (₹ 5 crore) (ii) arising out of increase in number of pensioners, Government contribution from 10% to 14%, relief on death/disability of Government servants and dearness relief and payment of interest on delayed deposits of contribution (₹ 1995 crore) under Defined Contributory Pension scheme.	2,000.00	-	2,000.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	43 Department of Health Research			
निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त आवश्यकता	For meeting additional requirements under			

(₹ करोड़ ₹ in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पूरी करने के लिए (i) आंतरिक तथा बाह्य अनुसंधान कार्यकलापों/परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आईसीएमआर (₹77.57 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना की स्कीम (₹2 करोड़) और राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता के अंतर्गत विद्यमान बजटीय प्रावधानों का अंतरण सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत आईसीएमआर को करना (₹784.82 करोड़); (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹175.21 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹514.62 करोड़) और एनआईएफ का अंतर-लेखा अंतरण (₹1474.65 करोड़) और एनआईएफ के अंतर्गत आबंटन के प्रावधान न किए जाने के कारण आईसी एमआर के गैर-एनआईएफ शीर्षों को एनआईएफ वसूलियों की कटौती (₹1474.65 करोड़)।	(i) Grant Aid General in respect of ICMR for funding of intra mural and extra mural research activities/projects (₹ 77.57crore), establishment of Model Rural Health Research Units (₹ 2 crore) and for transfer of existing budgetary provisions under Support from National Investment Fund (NIF) to the ICMR (₹ 784.82 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 175.21 crore) and Grant in Aid Salaries (₹ 514.62 crore) and Inter-Account Transfer of NIF (₹ 1474.65 crore) and Deduct Recoveries on account of NIF (₹ 1474.65 crore) to the Non-NIF Heads of ICMR.	50.00	-	50.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46. गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
(क) (i) अधीक्षण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹644.50 करोड़) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (₹40 करोड़) और (ii) महत्वपूर्ण आंकड़ों में सुधार (अन्य प्रभार) (₹27 करोड़)।	(a) For (i) Grants in aid General (₹ 644.50 crore) under Superintendence and National Population Register (₹ 40 crore) and (ii) Improvement of Vital Statistics (Other Charges) (₹ 27 crore).	490.70	-	490.70
(ख) करों की निवल आय के राज्य के भाग के रूप में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के लिए।	(b) For Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh as State Share of Net Proceeds of Taxes.	2,908.15	-	2908.15
(ग) मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत जनगणना (₹37 करोड़) और मोटर वाहनों के अंतर्गत राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय (₹0.08 करोड़)।	(c) For Census under Machinery and Equipment (₹ 37 crore) and National Fire Service College under Motor Vehicles (₹ 0.08 crore).	-	9.27	9.27
47. मंत्रिमंडल	47 Cabinet			
प्रधानमंत्री के वायुयान का अनुरक्षण (₹176.44 करोड़) के लिए।	For maintenance of Prime Minister's Aircraft (₹ 176.44 crore).	96.42	-	96.42
48. पुलिस	48 Police			
(क) वेतन और राशन की लागत (₹909.20 करोड़), मजदूरी (₹3.86 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹497.94 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹13.03 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹6.76 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹5.35 करोड़), पुरस्कार (₹0.25 करोड़), कार्यालय व्यय (₹162.31 करोड़), हथियार और गोला बारूद (₹79.47 करोड़), आरआरटी (₹6 करोड़), प्रकाशन (₹11.70 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹375.30 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹79.40 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹5.28 करोड़), पीओएल (₹0.03 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹52.86 करोड़), अन्य प्रभार (₹167.42 करोड़), भारतीय भू-पतन प्राधिकरण के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹150 करोड़), अन्य प्रभार (अनुसंधान) (₹50.29 करोड़) और अन्य प्रभारों के अंतर्गत तटीय सुरक्षा स्कीम (₹11.26 करोड़) के लिए।	(a) For Salaries and Cost of Ration (₹ 909.20 crore), Wages (₹ 3.86 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 497.94 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 13.03 crore), Advertising and Publicity (₹ 6.76 crore), Supplies and Materials (₹ 5.35 crore), Rewards (₹ 0.25 crore), Office Expenses (₹ 162.31 crore), Arms and Ammunition (₹ 79.47 crore), RRT (₹ 6 crore), Publications (₹ 11.70 crore), Professional Services (₹ 375.30 crore), Medical Treatment (₹ 79.40 crore), Other Administrative Expenses(OAE) (₹ 5.28 crore), POL(₹ 0.03 crore), Minor Works (₹ 52.86 crore), Other Charges (₹ 167.42 crore), Grants for creation of Capital Assets for Land Port Authority of India (₹ 150 crore), Other Charges (Research) (₹ 50.29 crore) and Coastal Security Scheme under Other Charges (₹ 11.26 crore).	708.17	-	708.17

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) पूर्वोत्तर के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (₹105 करोड़) और वामपंथ उग्रवाद (₹59.50 करोड़)।	(b) For Security Related Expenditure for North East (₹ 105 crore) and Left Wing Extremism (₹ 59.50 crore).	121.34	-	121.34
(ग) जेएंडके के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (₹688 करोड़) और राहत तथा पुनर्वास (₹100 करोड़)।	(c) For Security Related Expenditure for J&K (₹ 688 crore) and Relief and Rehabilitation (₹ 100 crore).	783.00	-	783.00
49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49 Andaman and Nicobar Islands			
(क) सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General.	2.00	-	2.00
(ख) वेतन और अन्य स्थापना के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement for expenditure towards Salaries and other establishment.	4.00	-	4.00
(ग) वेतन और अन्य स्थापना के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(c) For meeting additional requirement for expenditure towards Salaries and other establishment.	10.00	-	10.00
(घ) मजदूरी और लघु निर्माण कार्यों के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(d) For meeting additional requirement for expenditure towards wages and minor works.	4.00	-	4.00
(ङ) वेतन, मजदूरी और स्थापना व्यय के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(e) For meeting additional requirement for payment of Salaries, Wages and other Establishment Expenditure.	11.00	-	11.00
(च) वेतन हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(f) For meeting additional requirement for expenditure towards Salaries.	5.00	-	5.00
(छ) वेतन, अन्य स्थापना व्यय, ऊर्जा और जल प्रभावों की लंबित भुगतान तथा एएनआईएसएचआई स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(g) For meeting additional requirement for expenditure for salary, other establishment expenses, pending payment for energy and water charges and ANISHI health insurance scheme.	4.00	-	4.00
(ज) मजदूरी और लघु निर्माण कार्यों के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(h) For meeting additional requirement for expenditure towards wages and minor works.	6.00	-	6.00
(झ) सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(i) For meeting additional requirement for expenditure towards Grants-in-aid General.	2.00	-	2.00
(ञ) विधवा/निराश्रित/वृद्धावस्था/निःशक्तता पेंशन तथा आईसीडीएस को अन्य संघ राज्य क्षेत्र अंशदान जैसी सामाजिक कल्याण स्कीमों के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(j) For meeting additional requirement for expenditure towards Social Welfare Schemes such as Widow/Destitute/Old age/Disability pensions and other UT contribution of ICDS.	8.00	-	8.00
(ट) विद्युत उत्पादन और अन्य संबद्ध खर्चों के लिए आईओसीएल से पीओएल की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(k) For meeting additional requirement for procurement of POL from IOCL for Power Generation and other related expenses.	42.28	-	42.28
(ठ) तट के अगले भाग के क्षेत्र के पोतों के लिए पीओएल पर व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(l) For meeting additional requirement for expenditure on POL for Foreshore Sector vessels.	20.00	-	20.00
(ड) अंतर्द्वीपीय पोतों के लिए पीओएल पर व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(m) For meeting additional requirement for expenditure on POL for Inter Island vessels.	3.00	-	3.00
(ढ) उपग्रह ट्रांसपोंडरों के किराए की लागत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(n) For meeting additional requirement for the cost for hiring of Satellite Transponde.	20.00	-	20.00
51. दादरा और नगर हवेली	51 Dadra and Nagar Haveli			
आयोजना विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान जारी करने हेतु (₹3.35 करोड़) और सिलवासा स्मार्ट सिटी लि. को वर्ष 2018-19 के लिए संघ राज्य	For meeting additional requirement for relasing Grants-in-aid to Planning Development Authority (₹ 3.35 crore) and			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
क्षेत्र का लंबित हिस्सा जारी करने के लिए ₹74.72 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	for pending UT share for the year 2018-19 to Silvassa Smart City Limited (₹ 74.72 crore).	3.35	-	3.35
53. लक्षद्वीप	53 Lakshadweep			
(क) भारत रिजर्व बटालियन और पुलिस कार्मिकों के वेतन और भत्तों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement for payment of allowances of India Reserve Battalion and Police Personnel.	7.35	-	7.35
(ख) स्टाफ और लोक निर्माण विभाग के वेतन और भत्तों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement for payment of allowances of staff and Public works Department.	1.00	-	1.00
(ग) शिक्षा विभाग के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ के यात्रा खर्चों के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(c) For meeting additional requirement for payment of travel expenses of teaching and non-teaching staff of Education Department.	0.40	-	0.40
(घ) आउटसोर्स की गई विशेष सेवाओं के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(d) For meeting additional requirement for payment of outsourced speciality services.	2.50	-	2.50
(ङ) पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सकों के भत्तों के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(e) For meeting additional requirement for payment of allowances of Veterinary Assistant Surgeons.	1.20	-	1.20
(च) बीएसएनएल को इंटरनेट बैंड विथ बढ़ाने संबंधी प्रभारों के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(f) For meeting additional requirement for payment of charges related to augmentation of internet bandwidth to BSNL.	8.67	-	8.67
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
63. विधि और न्याय	63 Law and Justice			
(i) महिलाओं की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (₹40 करोड़) और (ii) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्कीम (₹240.30 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure (i) on Fast Track Special Courts under the National Mission for Safety of Women (₹ 40 crore) and (ii) under the scheme of Infrastructural Facilities for Judiciary (₹ 240.30 crore).	118.25	-	118.25
65. भारत का उच्चतम न्यायालय	65 Supreme Court of India			
चिकित्सा उपचार (₹1 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹0.20 करोड़), कार्यालयी व्यय (₹0.51 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (₹4.80 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on Medical Treatment (₹ 1 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.20 crore), Office Expenses (₹ 0.51 crore) and Information Technology (₹ 4.80 crore).	6.51	-	6.51
संसदीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS			
71. संसदीय कार्य मंत्रालय	71 Ministry of Parliamentary Affairs			
सभी राज्य विधानमंडलों की कार्यप्रणाली पेपरलेस बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under Information Technology for implementation of National eVidhan Application.	23.23	-	23.23
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73. केन्द्रीय सतर्कता आयोग	73 Central Vigilance Commission			
वेतन (₹0.88 करोड़) और कार्यालयी व्यय (₹0.22 करोड़) हेतु भुगतान करने के लिए।	For making payment towards Salaries (₹ 0.88 crore) and Office Expenses (₹ 0.22 crore).	1.10	-	1.10
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
84. ग्रामीण विकास विभाग	84 Department of Rural Development			
(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	For (i) providing Grants for Creation of			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹7301.81 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को निधियों का अंतरण (₹11,001.81 करोड़) के लिए।	Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹ 7,301.81 crore) and (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹ 11,001.81 crore).	5,001.81	-	5,001.81
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS		
98. जनजातीय कार्य मंत्रालय	98 Ministry of Tribal Affairs			
(क) (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर्गत चिकित्सीय व्यय (₹0.05 करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.30 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹0.05 करोड़) (ii) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा (₹1 करोड़), निगरानी और मूल्यांकन (₹1.50 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत अन्य प्रभार (iii) जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन हेतु संस्थागत सहायता (₹45.50 करोड़), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (₹0.98 करोड़), लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹59.43 करोड़) और जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा (₹1 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान तथा (iv) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹14.68 करोड़) और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹0.24 करोड़) हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Medical Expenses (₹ 0.05 crore), Office Expenses (₹ 0.30 crore), Minor Works (₹ 0.05 crore) under National Commission for Scheduled Tribes (ii) Other Charges under the schemes Tribal Festival, Research information and mass Education (₹ 1 crore), Monitoring & Evaluation (₹ 1.50 crore) (iii) Grants in aid- General under the schemes Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 45.50 crore), Eklavya Model Residential School (₹ 0.98 crore), Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹ 59.43 crore) and Tribal Festival, Research information and Mass Education (₹ 1 crore) and (iv) Grant for creation of capital assets (₹ 14.68 crore) and Grants in aid- Salary (₹ 0.24 crore) under the scheme Eklavya Model Residential School.	122.33	-	122.33
(ख) (i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (₹35 करोड़) और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹92.87 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान तथा (ii) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़)।	(b) For (i) Grants-in-aid General under the schemes Pre- Matric Scholarship (₹ 35 crore) and Post Matric Scholarship (₹ 92.87 crore) and (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme Support to Tribal Research Institutes (₹ 10 crore).	137.87	-	137.87
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS		
100. युवा मामले और खेल मंत्रालय	100 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹151.79 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹76.97 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹43.83 करोड़) (ii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अंतर्गत अंशदान (₹7.15 करोड़), (iii) युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹18 करोड़), (iv) युवा नेतृत्व कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹11 करोड़), विशेष नकद पुरस्कार (₹12 करोड़), मेधावी खिलाड़ियों के लिए पेंशन (₹10 करोड़), (v) युवा नेतृत्व कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹5 करोड़) और (vi) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 151.79 crore), Grants-in-aid Salary (₹ 76.97 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 43.83 crore) under various schemes (ii) Contribution under National Sports Development Fund (₹ 7.15 crore) (iii) Minor Works under the scheme Youth Hostel (₹ 18 crore) (iv) Other Charges under the schemes Young Leader Programme (₹ 11 crore), special cash award (₹ 12 crore), Pension to Meritorious Sports Persons (₹ 10 crore)			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अंतर्गत कार्यालयी व्यय (₹2.05 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(v) Advertisement & Publicity under the scheme Young Leader Programme (₹ 5 crore) and (vi) Office Expenses under National Service (₹ 2.05 crore).	308.00	-	308.00
(ख) (i) युवा नेतृत्व कार्यक्रम (₹0.19 करोड़), और भारतीय खेल प्राधिकरण (₹15 करोड़) और (ii) युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹2 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Young Leader Programme (₹ 0.19 crore) and Sports Authority of India (₹ 15 crore) and (ii) Minor Works under the scheme Youth Hostels (₹ 2 crore).	17.00	-	17.00
(ग) पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Major Works under the scheme Sports University in North East.	-	10.00	10.00
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	44,598.49	9,365.09	53,963.58

3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में ₹4,26,916.61 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या मंत्रालयों/विभागों की तदनुसूची बचतों द्वारा समतुल्य किया गया है। मर्दे निम्नानुसार हैं :

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 4,26,916.61 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

तकनीकी पूरक अनुदान

Technical Supplementary Demands for grants

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

3. परमाणु ऊर्जा

3 Atomic Energy

(क) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) यूसीआईएल (एनएफसी) के बकाया का भुगतान (₹100 करोड़) और (ii) नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (एनआरबी) के प्रचालनगत व्यय (₹70 करोड़), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के लिए प्रचालनगत व्यय (₹29 करोड़), नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (एनआरबी) (₹26.18 करोड़) और नाभिकीय ईंधन परिसर (एनएफसी) (₹58.41 करोड़)।

(a) For meeting additional expenditure towards (i) payment of arrears to Uranium Corporation of India Limited (Nuclear Fuel Complex) (₹ 100 crore) and (ii) operational expenditure for Nuclear Recycle Board (₹ 70 crore), Atomic Research Centre (BARC) (₹ 29 crore), Nuclear Recycle Board (₹ 26.18 crore) and Nuclear Fuel Complex (₹ 58.41 crore).

11.93 - 11.93

(ख) (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹80 करोड़), राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (₹23.78 करोड़), परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान महानिदेशालय (₹5.63 करोड़) (ii) सहायता प्राप्त संस्थानों (₹50 करोड़) और परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (₹6 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान (iii) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹0.07 करोड़) और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹0.02 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रचालनगत व्यय (₹94.92 करोड़) पूरा करने के लिए।

(b) For meeting operational expenditure for (i) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 80 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 23.78 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (₹ 5.63 crore) (ii) Grant in aid Salary to Aided Institutes (₹ 50 crore) and to Atomic Energy Education Society (₹ 6 crore) and (iii) Grant in aid General to Bhabha Atomic Research Centre (₹ 0.07 crore) and Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 0.02 crore) and Bhabha Atomic Research Centre for operational expenditure (₹ 94.92 crore).

35.41 - 35.41

(ग) (i) फीड स्टॉक (₹177 करोड़) और भारी जल उत्पादन सुविधा (₹3.28 करोड़) (ii) परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान महानिदेशालय (₹0.65 करोड़) और भाभा

(c) meeting additional expenditure towards (i) Feed Stock (₹ 177 crore and Heavy Water Production Facility (₹ 3.28 crore) (ii) Machinery and Equipments for

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹2.84 करोड़) के लिए मशीनरी और उपकरण (iii) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए मुख्य निर्माण कार्य (₹2.10 करोड़) और (iv) भारी जल उत्पादन सुविधा (₹33.17 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Atomic Mineral Directorate for Exploration & Research (₹ 0.65 crore) and Bhabha Atomic Research Centre (₹ 2.84 crore) (iii) Major Works for Bhabha Atomic Research Centre (₹2.10 crore) (iv) Heavy Water Production Facility (₹ 33.17 crore) .	-	180.28	180.28
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
7. भेषज विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
मंत्रिमंडल द्वारा यथानुमोदित भारतीय औषधी और भेषज लिमिटेड (आईडीपीएल), राजस्थान औषधी और भेषज लिमिटेड (आरडीपीएल) और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के भुगतान न किए गए वेतन/वीआरएस की देनदारियों का भुगतान करने के लिए।	For payment of employee's liabilities of unpaid salary/VRS of PSUs of Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited (IDPL), Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Limited (RDPL) and Hindustan Antibiotics Limited (HAL) as approved by Cabinet.	-	1.30	1.30
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10. वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(क) 'सचिवालय' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभारों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) Meeting expenditure towards: Other charges under the scheme 'Secretariat'.	0.47	-	0.47
(ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: (i) 'ईसीजीसी (निर्यात ऋण गारंटी निगम) में निवेश' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹300 करोड़) और (ii) भारतीय धातु और खनिज प्रशिक्षण निगम (एमएमटीसी) द्वारा बोनस शेयरों का निर्गम (₹44.97 करोड़)।	(b) Meeting expenditure towards: (i) Investment (₹ 300 crore) under the scheme 'Investment in ECGC (Export Credit Guarantee Corporation)' and (ii) Issue of Bonus Shares by Metals and Minerals Training Corporation of India Ltd. (MMTC) (₹ 44.97 crore).	-	44.97	44.97
11. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
'निधियों की निधि' (₹166.31 करोड़) और 'प्रदर्शनी एवं केन्द्र, द्वारका' (₹154.31 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत निवेश हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Investment under the schemes 'Fund of Funds' (₹ 166.31 crore) and 'Exhibition-Cum-Convention Centre, Dwarka' (₹ 154.31 crore).	-	20.50	20.50
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
12. डाक विभाग	12 Department of Posts			
वेतन (₹1135.86), पेंशन (₹128.90 करोड़), मजदूरी और अन्य कार्यात्मक आवश्यकता (₹39.11 करोड़) पर स्थापना व्यय हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	For meeting additional requirement towards establishment expenses on Salary (₹ 1135.86 crore), Pension (₹ 128.90 crore), wages and other functional requirement (₹ 39.11 crore).	204.48	-	204.48
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
16. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	16 Ministry of Corporate Affairs			
(क) विभिन्न स्थानों में राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण पीठ की स्थापना के लिए किराए के कार्यालयों के नवीकरण के लिए लघु निर्माण कार्य हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Minor Works for renovation of hired office for setting up of National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal Benches at various places.	3.33	-	3.33
(ख) भारतीय शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹1.42 करोड़), भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान को	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-Aid General for Insolvency and Bankruptcy Board of India (₹ 1.42			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सहायता अनुदान (₹0.70 करोड़) और स्थापना संबंधी व्यय हेतु राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (₹10.20 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	crore), Grants-in-Aid to Indian Institute of Corporate Affairs (₹ 0.70 crore) and National Company Law Tribunal towards establishment related expenses (₹ 10.20 crore).	12.32	-	12.32
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
18. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	18 Ministry of Defence (Civil)			
(क) (i) विभिन्न स्थापना संबंधी शीर्षों के अंतर्गत (₹633.87 करोड़) (ii) रक्षा संपदा संगठन (₹64.45 करोड़) और रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (₹1.96 करोड़) के अंतर्गत कैट बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure (i) under various establishment related heads (₹ 633.87 crore) (ii) towards Grants-in-aid General to Cantonment Boards under Defence Estates Organization (₹ 64.45 crore) and to Institute of Defence Studies and Analysis (₹ 1.96 crore).	5.16	-	5.16
(ख) आपूर्ति और सामग्री, सामान्य सहायता अनुदान और कैटीन स्टोर विभाग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Supplies and Materials, Grants-in aid General and establishment related expenditure of Canteen Stores Department.	1,247.84	-	1,247.84
(ग) सामरिक सड़कों के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।	(c) For providing additional grants to State Governments for strategic roads.	10.00	-	10.00
(घ) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (₹136.64 करोड़) और सीमा सड़कों के निर्माण (₹31.50 करोड़) का अंतरण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards transfers to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 136.64 crore) and on construction of border roads (₹ 31.50 crore).	-	136.64	136.64
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
27. आर्थिक कार्य विभाग	27 Department of Economic Affairs			
(क) स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम, 2015 के अंतर्गत जुटाए गए स्वर्ण के मूल्य के लिए।	(a) For value of gold mobilized under Gold Monetization Scheme, 2015.	-	2,900.00	2,900.00
(ख) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण (₹2,750 करोड़) और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (₹1,003 करोड़)।	(b) For transfer to National Investment Fund (₹ 2,750 crore) and National Investment and Infrastructure Fund (₹ 1,003.00 crore).	-	2,750.00	2,750.00
(ग) मूल्य का अनुरक्षण (एमओवी)-आईएमएफ बाध्यता (₹858.02 करोड़) और नया विकास बैंक (एनडीबी) को अभिदान (₹2,220 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards Maintenance of Value (MoV)-IMF Obligation (₹ 858.02 crore) and Subscription to New Development Bank (NDB) (₹ 2,220 crore).	-	858.02	858.02
29. वित्तीय सेवाएं विभाग	29 Department of Financial Services			
(क) भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण कोष (एसएसएस एफ) को जारी प्रतिभूतियों के मोचन के लिए।	(a) For redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF).	299.99	-	299.99
(ख) बांड के माध्यम से भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता के लिए।	(b) For equity support to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) through bonds.	-	5,300.00	5,300.00
31. राजस्व विभाग	31 Department of Revenue			
(क) राज्य सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जारी करने के लिए और लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि का अंतरण।	(a) For release of GST Compensation to State Governments and transfer to GST Compensation Fund in Public Account.	16,200.00	-	16,200.00
(ख) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जारी करने के लिए और लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि का अंतरण।	(b) For release of GST Compensation to UT Governments and transfer to GST Compensation Fund in Public Account.	3,800.00	-	3,800.00

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
36. ऋण की पुनःअदायगी बाजार ऋणों (स्विचिंग), 91/364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों, नकद प्रबंधन हुंडियों आदि की पुनःअदायगी के लिए।	36 Repayment of Debt For repayment of market loans (switching), 91/364 days T Bills, Cash Management Bills, etc.	-	3,63,201.91	3,63,201.91
38. राज्यों को अंतरण (क) स्थानीय निकायों-शहरी निकायों के लिए अनुदान के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान के लिए। (ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्लॉक ऋण) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराने के लिए।	38 Transfers to States (a) For payment of arrears under Grants for Local Bodies- Urban Bodies. (b) For providing additional allocation to States under Additional Central Assistance for Externally aided Projects (Block loans).	2,243.66	-	2,243.66
		-	5,276.72	5,276.72
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
40. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग (i) दिल्ली दुग्ध योजना के अंतर्गत आपूर्ति और सामग्री (ii) अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹0.51 करोड़)।	40 Department of Animal Husbandry and Dairying For meeting additional expenditure towards (i) Supply & Materials under Delhi Milk Scheme (ii) Grants-in-aid General under National Programme for Dairy Development for Scheduled Castes Sub Plan (₹ 0.51 crore).	18.63	-	18.63
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण/मुख्य निर्माण कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹144.69 करोड़)।	42 Department of Health and Family Welfare For meeting expenditure towards Machinery & Equipment/Major Work under the various Institutions (₹ 144.69 crore).	-	55.00	55.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
48. पुलिस (क) वेतन और राशन की लागत (₹909.20 करोड़), मजदूरी (₹3.86 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹497.94 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹13.03 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹6.76 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹5.35 करोड़), पुरस्कार (₹0.25 करोड़), कार्यालय व्यय (₹162.31 करोड़), हथियार और गोला बारूद (₹79.47 करोड़), आरआरटी (₹6 करोड़), प्रकाशन (₹11.70 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹375.30 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹69.40 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹5.28 करोड़), पीओएल (₹0.03 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹52.86 करोड़), अन्य प्रभार (₹167.42 करोड़), भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एलपीए आई) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹150 करोड़), अन्य प्रभार (अनुसंधान) (₹50.29 करोड़), अन्य प्रभारों के अंतर्गत तटीय सुरक्षा स्कीम (₹11.26 करोड़)।	48 Police (a) For Salaries and Cost of Ration (₹ 909.20 crore), Wages (₹ 3.86 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 497.94 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 13.03 crore), Advertising and Publicity (₹ 6.76 crore), Supplies and Materials (₹ 5.35 crore), Rewards (₹ 0.25 crore), Office Expenses (₹ 162.31 crore), Arms and Ammunition (₹ 79.47 crore), RRT (₹ 6 crore), Publications (₹ 11.70 crore), Professional Services (₹ 375.30 crore), Medical Treatment (₹ 69.40 crore), Other Administrative Expenses(OAE) (₹ 5.28 crore), POL(₹ 0.03 crore), Minor Works (₹ 52.86 crore), Other Charges (₹ 167.42 crore), Grants for creation of Capital Assets for Land Port Authority of India(LPAI) (₹ 150 crore), Other Charges (Research)(₹ 50.29 crore) and Coastal Security Scheme under Other Charges (₹ 11.26 crore).	1,290.64	-	1290.64

		₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विद्युत उत्पादन और अन्य संबद्ध खर्चों के लिए आईओसीएल से पीओएल की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	49 Andaman and Nicobar Islands For meeting additional requirement for procurement of POL from IOCL for Power Generation and other related expenses.	74.81	-	74.81
50. चंडीगढ़ (क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 14वें वित्त आयोग के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ख) नगर निगम, चंडीगढ़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ग) अंधेरा वाली जगहों पर रोशनी करने, स्ट्रीट लाइटों के परिरक्षण और धरोहर इमारतों आदि की मरम्मत के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (घ) (i) विभिन्न सीटीयू डिपो में अग्निशमन प्रणाली, एलईडी फिटिंग्स आदि के लिए (₹0.65 करोड़) और (ii) बसों की खरीद (₹7.29 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	50 Chandigarh (a) For meeting additional requirement for the payment of 14th Finance Commission to State Legal Services Authority. (b) For meeting additional requirement for providing to Municipal Corporation, Chandigarh. (c) For meeting additional requirement for removal of dark spots, street lighting preservation and restoration of heritage buildings, etc. (d) For meeting additional requirement for (i) providing firefighting system, LeD fillings etc. in various CTU Depots (₹ 0.65 crore) and (ii) purchase of buses (₹ 7.29 crore).	0.04 75.00 -	- - 12.97	0.04 75.00 12.97
52. दमन और दीव विद्युत की क्रय की लागत में बढ़ोतरी की वजह से अन्य प्रभारों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	52 Daman and Diu For meeting additional requirement under Other Charges due to increase in cost of purchase of Power.	203.00	-	203.00
53. लक्षद्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह में विद्युत उत्पादन के लिए डीजल की खरीद की लागत के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	53 Lakshadweep For meeting additional requirement for payment of cost of purchase of Diesel for Power generation in Lakshadweep Islands.	18.15	-	18.15
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
56. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (क) जनपथ होटल के नवीकरण तथा अफ्रीका एवेन्यू पर इस्पात संरचना के निर्माण हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ख) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत संसद सदस्य फ्लैट (₹70.43 करोड़) और केलोनिवि द्वारा अननुरक्षित कॉलोनियों के पूंजीगत कार्यों के लिए (₹0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	56 Ministry of Housing and Urban Affairs (a) For meeting expenditure towards renovation of Janpath Hotel and construction of steel structure at Africa Avenue (b) For meeting expenditure for (i) M.P. Flats under Major Works (₹ 70.43 crore) and for capital work of Non-CPWD maintained Colonies (₹ 0.50 crore)	- -	8.50 70.93	8.50 70.93
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान एनसीईआरटी (₹81.42 करोड़), केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹1892.22 करोड़), नवोदय विद्यालय संगठन (₹85.63 करोड़) और समग्र शिक्षा (₹21 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान एनसीईआरटी (₹21.79 करोड़), केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹486.78 करोड़), नवोदय विद्यालय संगठन (₹316.18 करोड़) और समग्र शिक्षा (₹2.50 करोड़) (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता	57 Department of School Education and Literacy For meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General under the Schemes NCERT (₹ 81.42 crore), KVS (₹ 1892.22 crore), NVS (₹85.63 crore) and Samagra Shiksha (₹ 21 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Schemes NCERT (₹ 21.79 crore), KVS (₹ 486.78 crore), NVS (₹ 316.18 crore) and Samagra Shiksha (₹ 2.50 crore) (iii) Grants-in-Aid Salary under the Schemes KVS (₹ 4,256.52 crore)			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अनुदान केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹4256.52 करोड़), नवोदय विद्यालय संगठन (₹397.29 करोड़) (iv) केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹5012 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	and NVS (₹ 397.29 crore) (iv) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (₹ 5,012 crore).	5,012.00	-	5012.00
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
63. विधि और न्याय	63 Law and Justice			
(i) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (₹40 करोड़) और (ii) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्कीम (₹240.30 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure (i) on Fast Track Special Courts under the National Mission for Safety of Women (₹ 40 crore) and (ii) under the scheme of Infrastructural Facilities for Judiciary (₹ 240.30 crore).	65.00	-	65.00
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
68. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	68 Ministry of Minority Affairs			
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम में निवेश के लिए।	For investment in National Minorities Development and Finance Corporation.	-	60.00	60.00
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
72. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	72 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) विभिन्न अभिकरणों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए।	(a) For making payment of pending bills by Staff Selection Commission (SSC) for various agencies.	50.00	-	50.00
(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कार्मिकों को वेतन और भत्तों का भुगतान करने के लिए।	(b) For payment of of Pay and allowances to staff of Central Bureau of Investigation (CBI).	7.03	-	7.03
(ग) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के लिए।	(c) For Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration under Professional Services.	9.37	-	9.37
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
74. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	74 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
(i) 'एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों की बकाया राशि का निपटान करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹127.76 करोड़) और (ii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधियों का अंतरण (₹345.51 करोड़) के लिए।	For (i) providing additional funds to clear the arrears of Subsidies under the scheme DBT for LPG (₹ 127.76 crore) and (ii) transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 345.51 crore).	393.77	-	393.77
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
76. विद्युत मंत्रालय	76 Ministry of Power			
(क) (i) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारंपरिक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (₹204.58 करोड़) और (ii) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹26.50 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (₹173.50 करोड़)।	(a) For providing additional (i) Grants for Creation of Capital assets under the scheme Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim (₹ 204.58 crore) and (ii) Grants-in-aid General (₹ 26.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 173.50 crore) under the scheme Power System Improvement in North Eastern States excluding Arunachal Pradesh and Sikkim.	200.00	-	200.00
(ख) (1) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन के संवितरण के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान	(b) For providing additional 1. funds for disbursement of salaries under Central			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करने के लिए (₹5.42 करोड़) (2) (i) ब्याज भुगतानों तथा भारत सरकार पूर्णतः शोधित बांड निर्गमन व्यय और ब्याज (आरईसी बांड) स्कीम के अंतर्गत निर्गमन खर्चों के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹319.79 करोड़) और (ii) विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) स्कीम के अंतर्गत एनएचपीसी और पीजीसीआईएल द्वारा जारी बांड पर प्रतिबद्ध ब्याज भुगतानों और खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹0.06 करोड़) तथा (3) एकीकृत विद्युत विकास प्रणाली (आईपीडीएस) स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के वित्तीय समापन हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (₹382.27 करोड़)।	Electricity Authority (₹ 5.42 crore) 2. Grants-in-aid General (i) for Interest Payments and issuing expenses under the scheme GoI fully serviced bond (₹ 319.79 crore) on REC bond and (ii) for committed for interest payments and expenses on the Bond issued by NHPC & PGCIL under the scheme Power System Development Fund (₹ 0.06 crore) and 3. Grants for creation for Capital Assets for financial closer of projects under the scheme Integrated Power Development System (₹ 382.27 crore).	378.00	-	378.00
रेल मंत्रालय 82. रेल मंत्रालय न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF RAILWAYS 82 Ministry of Railways For meeting additional expenditure arising out of court degrees.	-	817.49	817.49
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (i) एशियाई विकास बैंक से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत सड़क निर्माण (₹140 करोड़), जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (₹140 करोड़), अंडमान और निकोबार (₹0.20 करोड़), चंडीगढ़ (₹0.05 करोड़), दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (₹2.89 करोड़), लद्दाख (₹103.82 करोड़) और सीआरआईएफ को निधियों का अंतर-लेखा अंतरण (₹103.82 करोड़) पर मुख्य निर्माण कार्यों पर (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूलभूत निर्माण कार्य - जनजातीय उप-योजना (₹150 करोड़), सड़क विंग के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों हेतु (₹90 करोड़) और राष्ट्रीय राजमार्ग मूलभूत निर्माण कार्य-सामान्य घटक (₹1922 करोड़) तथा सीआरआईएफ को निधियों का अंतर लेखा अंतरण (₹1000 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 83 Ministry of Road Transport and Highways For meeting additional expenditure on Major Works (i) on construction of Roads under Externally Aided Projects from Asian Development Bank (₹ 140 crore), Japan International Cooperation Agency (₹ 140 crore) and in Andaman and Nicobar (₹ 0.20 crore), Chandigarh (₹ 0.05 crore), Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (₹ 2.89 crore) and Ladakh (₹ 103.82 crore) and inter-account transfer of funds to CRIF (₹ 103.82 crore) (ii) under National Highways Original Works-Tribal Sub Plan (₹ 150 crore), for Road Development Works under Road Wing (₹ 90 crore) and under National Highways Original Works-General Component (₹ 1,922 crore) and inter-account transfer of funds to CRIF (₹ 1,000 crore).	-	2,167.64	2,167.64
ग्रामीण विकास मंत्रालय 84. ग्रामीण विकास मंत्रालय (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹7301.81 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को निधियों का अंतरण (₹11,001.81 करोड़) के लिए।	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 84 Department of Rural Development For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹ 7,301.81 crore) and (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹ 11,001.81 crore).	11,001.81	-	11,001.81
पोत परिवहन मंत्रालय 89. पोत परिवहन मंत्रालय (क) दिनांक 31.03.2019 की स्थिति तक हुगली डॉक पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के भारत सरकार के ऋण (₹60.74 करोड़) और उस पर प्रोद्भूत	MINISTRY OF SHIPPING 89 Ministry of Shipping (a) For write off of Government of India Loan (₹ 60.74 crore) and accrued interest (₹ 54.43 crore) outstanding			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
बकाया ब्याज (₹54.43 करोड़) को बट्टे खाते डालने के लिए।	against Hoogly Dock Port Engineers Limited as on 31.03.2019.	115.17	-	115.17
(ख) प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत महानिदेशालय के अंतर्गत जहाज यातायात प्रणाली के उन्नयन और अनुस्क्षण के लिए अन्य पूंजीगत व्यय हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Other Capital Expenditure for upgradation and maintenance of vessel Traffic System under Directorate General of Lighthouses and Lightships.	-	33.00	33.00
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
96. कपड़ा मंत्रालय	96 Ministry of Textiles -			
(क) "अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजना" स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Major Works under the scheme 'Infrastructure and Technology Development Scheme'.	-	8.79	8.79
(ख) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन को ऋण प्रदान करने के लिए।	(b) For providing loans to British India Corporation.	-	17.00	17.00
कुल तकनीकी	Total Technical	42,987.01	3,83,929.60	4,26,916.61
4. नीचे दिए गए मदों के संबंध में लिए जाने के लिए प्रत्येक ₹1 लाख का पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है, इसके प्रति इंगित व्यय को प्रासंगिक अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के भीतर बचत के विनियोग द्वारा पूरा किया जाएगा।	4. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
सांकेतिक पूरक अनुदान	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1. कृषि और कृषक कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
(क) 1. निम्नलिखित के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (i) पादप किस्मों और किसानों के अधिकार का संरक्षण (₹1.48 करोड़) (ii) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (₹1.79 करोड़) 2. निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) बीज और पौध रोपण सामग्री पर उप-मिशन (14 करोड़) (ii) राष्ट्रीय बांस मिशन (₹2.25 करोड़) (iii) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और मधु मिशन (₹16 करोड़) तथा 3. कृषि विस्तार पर उप-मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹0.98 करोड़) और विज्ञापन और प्रचार के लिए व्यय (₹10 करोड़) पर अतिरिक्त प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional 1. Grants-in-aid Salaries under (i) Protection of Plant Varieties and Farmer's Right (₹ 1.48 crore) (ii) National Institute of Plant Health Management (₹ 1.79 crore) 2. Grants-in-aid General under (i) Sub-Mission on Seeds & Planting Material (₹ 14 crore) (ii) National Bamboo Mission (₹ 2.25 crore) (iii) National Bee Keeping and Honey Mission (₹ 16 crore) and 3. Grants-in-aid Salaries (₹ 0.98 crore) and expenditure for Advertising and Publicity (₹ 10 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes under Sub Mission on Agriculture Extension.	46.50	-	46.50
(ख) किसानों को लघु आवधिक ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी के अंतर्गत सामान्य घटक को अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional Subsidy to General Component under Interest Subsidy for Short Term Credit to Farmer.	4.50	-	4.50
(ग) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैव मूल्य श्रृंखला विकास (₹10 करोड़) और (ii) एकीकृत कृषि सहयोग स्कीम (₹5.25 करोड़) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(c) For providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under (i) Organic Value Chain Development for NE Region (₹ 10 crore) and (ii) Integrated Scheme on Agriculture Cooperation (₹ 5.25 crore).	15.25	-	15.25

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना के अंतर्गत सामान्य घटक (₹1.03 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (₹0.30 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹0.20 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(d) For providing Grants-in-aid General for General Component (₹ 1.03 crore), Special Component for Scheduled Castes (₹ 0.30 crore) and Tribal Area Sub Plan (₹ 0.20 crore) under National Project on Agro Forestry.	1.53	-	1.53
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) (i) कृषि में मौलिक, कार्यनीतिक और सीमांत अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹15.06 करोड़), कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम (₹4.67 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹0.20 करोड़), जलवायु अनुकूल कृषि पहल स्कीम (₹5.51 करोड़), डेयरी अनुसंधान, संस्थान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम (₹13.87 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹1.64 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत बागवानी संस्थानों के लिए अनुसंधान और शिक्षा स्कीम (₹1.66 करोड़), विशेष घटक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए जलवायु अनुकूल कृषि पहल स्कीम (₹0.21 करोड़) (ii) अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत कृषि इंजीनियरी संस्थानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1.15 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों की विशेष घटक योजना (₹0.80 करोड़), राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं) के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (₹4.82 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (₹0.01 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (₹0.57 करोड़) और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखण्ड (₹6.80 करोड़) तथा (iii) मुख्यालय प्रशासन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹9.48 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the schemes National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (₹ 15.06 crore), Other Natural Resource Management institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 4.67 crore) and under Tribal Area Sup-plan (₹ 0.20 crore), Climate Resilient Agriculture Initiative (₹ 5.51 crore), Animal Science institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes & Schemes (₹ 13.87 crore) and under Tribal Area Sup-plan (₹ 1.64 crore) , Research and Education Schemes (₹ 1.66 crore) for Horticulture Institutes under Tribal Area Sup-plan, Scheduled Castes of Climate Resilient Agriculture Initiative scheme (₹ 0.21 crore) under Special Component Plan (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Engineering institutes under Research and Education Schemes (₹ 1.15 crore) and under Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 0.80 crore), Agricultural Research for National Agricultural Higher Education Project (Externally Aided Projects) (₹ 4.82 crore), Agricultural Research for Crop Science Institutes Research and Education Schemes (₹ 0.01 crore) under Tribal Area Sup-plan, Agricultural Research for Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.57 crore) under Tribal Area Sup-plan and Central Agricultural Universities Bundelkhand (₹ 6.80 crore) and (iii) Grants-in-aid General (₹ 2 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 9.48 crore) to Indian Council of Agricultural Research for Headquarter Administration.	68.45	-	68.45
(ख) (i) बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	(b) For meeting (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural			

		₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹9.01 करोड़), कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम (₹8.26 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान। (ii) फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान (₹12 करोड़), बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम (₹3.31 करोड़) और इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम (₹0.21 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान तथा (iii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को वेतन सहायता अनुदान (₹0.22 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Research for Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 9.01 crore), Other Natural Resource Management institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 8.26 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Crop Science Institutes Research and Education Schemes (₹ 12 crore), Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 3.31 crore) and Agricultural Engineering institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.21 crore) and (iii) Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural Universities, Imphal (₹ 0.22 crore).	33.01	-	33.01
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY		
3. परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
(क) परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Grant in aid General to DAE Secretariat.	0.42	-	0.42
(ख) (i) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) के लिए मशीनरी और उपकरण (₹13.62 करोड़) (ii) निर्माण, सेवा और सम्पदा प्रबंधन निदेशालय (डीसीएसईएम) (₹25 करोड़) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (₹60 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Machinery and Equipments for Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 13.62 crore) (ii) Major Works for Directorate of Constructions, Service and Estate Management (₹ 25 crore) and DAE R&D Projects (₹ 60 crore).	-	98.62	98.62
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)		
4. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	4 Ministry of Ayurveda, Yoga And Naturopathy, Unani, Siddha And Homoeopathy (AYUSH)			
(क) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹20.34 करोड़) (ii) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹7.55 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹25.50 करोड़) (iii) “राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान” स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹6 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹22.50 करोड़) (iv) “केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद” स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5.19 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3 करोड़) (v) “राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान” स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹8.11 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹25 करोड़) (vi) “केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद” स्कीम के अंतर्गत	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 20.34 crore) under various schemes (ii) Grants-in-aid-General (₹ 7.55 crore) and Grant for creation of capital assets, (₹ 25.50 crore) under the scheme All India Institute of Ayurveda (iii) Grants-in-aid-General (₹ 6 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 22.50 crore) under the scheme National Institute of Ayurveda (iv) Grants-in-aid-General (₹5.19 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 3 crore) under the scheme Central Council for Research in Ayurveda Sciences (v) Grants-in-aid-General (₹ 8.11 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 25 crore)			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सामान्य सहायता अनुदान (₹3.50 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹4.50 करोड़) (vii) “राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान” स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़) (viii) “केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद” स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹20 करोड़) (ix) “राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस)” स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹10.68 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.45 करोड़) तथा एनआईएफ से जीबीएस को निधियों के अंतरण की वजह से व्यावसायिक सेवाएं (₹0.65 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	under the scheme National Institute of Homoeopathy (vi) Grants-in-aid-General (₹ 3.50 crore) Grant for creation of capital assets (₹ 4.50 crore) under the scheme and Central Council for Research in Homoeopathy (vii) Grants-in-aid-General (₹ 2.50 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 10 crore) under the scheme National Institute of Siddha (viii) Grants-in-aid-General (₹ 2 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 20 crore) under the scheme Central Council for Research in Yoga and Naturopathy (ix) Grants-in-aid-General (₹ 10.68 crore), Grant for creation of capital assets (₹ 0.45 crore) and Professional Services (₹ 0.65 crore) under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS) due to transfer of funds from NIF to GBS.	177.47	-	177.47
(ख) (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन एनएएम (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹21.82 करोड़) तथा (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन एनएएम (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹25.39 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-General (₹ 21.82 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 25.39 crore) under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS).	47.21	-	47.21
(ग) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹277.70 करोड़), एससीएसपी (₹22 करोड़), टीएसपी (₹10 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹148.43 करोड़) एससीएसपी (₹20 करोड़ तथा टीएसपी (₹12 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid-General (₹ 277.70 crore), Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 22 crore) and Tribal Sub-Plan (₹ 10 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 148.43 crore) Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 20 crore) and Tribal Sub-Plan (₹ 12 crore) under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS).	490.13	-	490.13
(घ) एनआईएफ से जीबीएस में निधियों के अंतरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.10 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.28 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Grants-in-aid-General (₹ 1.10 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 1.28 crore) under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS) due to transfer of funds from NIF to GBS.	2.38	-	2.38
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS		
6. उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilisers			
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत सिटी कम्पोस्ट के लिए।	For City Compost under the scheme Nutrient based Subsidy.	1.85	-	1.85
7. भेषज विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
(i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (₹10 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा जन औषधी स्कीमों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए विशेष घटक।	For (i) National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (₹ 10 crore) and (ii) Special Component for Scheduled Caste and Tibal Area Sub Plan for NIPER and Jan Aushadhi Schemes.	10.00	-	10.00

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8. नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
कौशल विकास के लिए नागर विमानन सेक्टर में संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	For Grants-in-aid General to Institutions in Civil Aviation Sector for Skill Development.	0.05	-	0.05
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
9. कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal			
(i) कोयला खान में परिरक्षण और सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹0.11 करोड़) अनुसूचित जाति उप-योजना (₹0.11 करोड़) और (ii) कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹0.71 करोड़) अनुसूचित जाति उप-योजना (₹0.71 करोड़) पर सब्सिडियों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards subsidies (i) Tribal Area Sub Plan (₹ 0.11 crore) and Scheduled Caste Sub Plan (₹ 0.11 crore) under the scheme Conservation and Safety in Coal Mines and (ii) Tribal Area Sub Plan (₹ 0.71 crore) and Scheduled Caste Sub Plan (₹ 0.71 crore) under the scheme Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas.	1.64	-	1.64
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
(क) 'पूर्वोत्तर उद्योग और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹100 करोड़) और 'पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीसी-2017)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹1 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Subsidies under the schemes 'North Eastern Industrial and Investment Promotion Policy (NEIIPP)' (₹ 100 crore) and 'North East Industrial Development Scheme (NEIDS-2017)' (₹ 1 crore).	101.00	-	101.00
(ख) 'भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएल डीपी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the Scheme 'Indian Leather Development Programme (ILDPP)'. (c) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 5 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 95 crore) under the scheme 'National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT)' and (ii) Subsidies (₹ 30 crore) under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States'.	124.50	-	124.50
(ग) (i) 'राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹95 करोड़) तथा (ii) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹30 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।		130.00	-	130.00
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13. दूरसंचार विभाग	13 Department of Telecommunications			
(i) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए (₹5,000 करोड़) और (ii) बीएसएनएल/एमटीएनएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कार्यान्वयन (₹527.71 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure (i) for payment of ex-gratia to the employee opting for VRS (₹5,000 crore) and (ii) implementation of voluntary retirement in BSNL/MTNL (₹527.71 crore).	5527.71	-	5527.71

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक संवितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
14. उपभोक्ता मामले विभाग एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली स्कीम के अंतर्गत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए।	14 Department of Consumer Affairs For release of Grants-in-aid General to Indian Institute of Public Administration under the scheme Integrated Consumer Grievances Redressal System.	2.50	-	2.50
15. खाद्य और सार्वजनिक संवितरण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यानों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति हेतु खाद्य सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	15 Department of Food and Public Distribution For providing additional expenditure towards Food Subsidy for Decentralized Procurement of Foodgrains under National Food Security Act.	508.35	-	508.35
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
17. संस्कृति मंत्रालय	17 Ministry of Culture			
(क) (i) बौद्ध तिब्बती संस्थाओं और स्मारकों (₹3 करोड़), टीएसपी (₹0.10 करोड़) और अनुदानग्राही निकाय (₹3.07 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) बौद्ध तिब्बती संस्थाओं और स्मारक स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹3.35 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 3 crore), TSP (₹ 0.10 crore) and Grantee Bodies (₹ 3.07 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 3.35 crore).	9.52	-	9.52
(ख) अनुदानग्राही निकायों के लिए बौद्ध तिब्बती संस्थाओं और स्मारकों हेतु सामान्य सहायता अनुदान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for Buddhist Tibetan Institutions and Memorials for Grantee Bodies.	0.49	-	0.49
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	22 Ministry of Development of North Eastern Region			
(क) पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना का अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional allocation of externally aided project under North East Road Sector Development Scheme.	12.64	-	12.64
(ख) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए।	(b) For providing additional funds for Interest free loan to North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	-	30.00	30.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
23. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	23 Ministry of Earth Sciences			
(क) (i) एनआईओटी परिसर के अनुसंधान और कॉर्पस निधि के सृजन के लिए 'राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान' स्थानीय निकाय को सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹14.78 करोड़) (ii) राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों और इसके कर्मचारियों के वृद्धित वेतन और भत्तों के कारण स्वायत्त निकाय को वेतन सहायता अनुदान (₹2 करोड़) (iii) गहरा महासागर मिशन के अंतर्गत नए कार्यकलापों के लिए महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओएसएम	(a) For providing additional Grant under (i) Grants-in-aid General (₹ 1 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 14.78 crore) to Autonomous Body "National Institute of Ocean Technology" for maintenance of NIOT campus and creation of corpus fund (ii) Grants-in-aid Salary (₹ 2 crore) to Autonomous Body "National Centre for Polar and Ocean Research" on account of increased pay and allowances of Scientist and its staff (iii) Grants-in-aid General (₹ 13.04 crore)			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
एआरटी) को सामान्य सहायता अनुदान (₹13.04 करोड़) (iv) ध्रुवीय प्रयोगशाला, कंटेनर यार्ड के निर्माण और मौजूदा प्रयोगशाला खंड के विस्तार के लिए ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फेयर (पीएसीईआर) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹12 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।	to Ocean Services Modelling Application Resources and Technology (OSMART) for new activities under Deep Ocean Mission and (iv) Grants for Creation Capital Assets (₹ 12 crore) under Polar Science and Cryosphere (PACER) for construction of Polar lab, container yard and extension of existing lab block.	42.82	-	42.82
(ख) (i) वृद्धित व्यय के लिए वायुमंडल एवं जलवायु अनुसंधान - मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (अक्रॉस) को सामान्य सहायता अनुदान (₹8 करोड़) और लघु निर्माण कार्य (₹15.50 करोड़) तथा (ii) अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक कांग्रेस के लिए भूकंप विज्ञान और भू-विज्ञान (एसएजीई) को सामान्य सहायता अनुदान (₹25.73 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional Grant under (i) Grants-in-aid General (₹ 8 crore) and Minor Works (₹ 15.50 crore) to Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services (ACROSS) for increased expenditure and (ii) Grants-in-aid General (₹ 25.73 crore) to Seismological and Geosciences (SAGE) for International Geological Congress.	49.23	-	49.23
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY		
24. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		24 Ministry of Electronics and Information Technology		
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम' के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting an expenditure towards Grants-in-Aid General in respect of "National Knowledge Network Programme" for development of North Eastern Region.	17.80	-	17.80
(ख) (i) आईटी-आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन (₹20 करोड़), सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास (₹18.70 करोड़), अनुप्रयुक्त सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी और अनुसंधान सोसायटी (समीर) (₹10 करोड़) और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम (जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत) (₹21.84 करोड़) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (ii) इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सी-मेट सामग्री केंद्र के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3.25 करोड़) (iii) इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण के संवर्धन के संबंध में व्यावसायिक सेवाएं (₹1 करोड़) और (iv) नाबार्ड को प्रतिपूर्ति के लिए अन्य प्रभार और सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास (₹0.30 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting and expenditure towards (i) Grants-in-aid General in respect of Promotion of IT/ITeS Industries (₹ 20 crore), R&D in Information Technology/Electronics/CCBT (₹ 18.70 crore), Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research SAMEER (₹ 10 crore) and National Knowledge Network Programme (under Tribal Sub-Plan) (₹ 21.84 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3.25 crore) in respect of Centre for Materials for Electronic Technology-C-MET (iii) Professional Services (₹ 1 crore) in respect of Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing and (iv) Other Charges for reimbursement to NABARD and R&D in Information Technology/Electronics/CCBT (₹ 0.30 crore).	75.09	-	75.09
(ग) डाटा केंद्र और क्लाउड सेवाओं के लिए 'राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र' के संबंध में मशीनरी और उपकरणों के व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting an expenditure towards Machinery & Equipment in respect of "National Informatics Centre" for Data Centres and Cloud Services.	-	10.00	10.00

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
25. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	25 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
(क) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for Indian Institute of Forest Management.	1.00	-	1.00
(ख) जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development.	7.50	-	7.50
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
28. व्यय विभाग	28 Department of Expenditure			
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों, मुंबई और चेन्नई के नवीकरण के लिए।	For renovation of Regional Training Centers, Mumbai and Chennai.	1.78	-	1.78
31. राजस्व विभाग	31 Department of Revenue			
माल और सेवा कर नेटवर्क - विशेष प्रयोजन व्यवस्था में निवेश के लिए।	For investment in Goods and Services Tax Network-Special Purpose Vehicle.	-	2.56	2.56
32. प्रत्यक्ष कर	32 Direct Taxes			
(क) इरोड में कार्यालय भवन (₹5 करोड़), एरनाकुलम, कोच्चि, केरल में आयकर भवन (₹2 करोड़) और डिब्रुगढ़ में कार्यालय भवन (₹1 करोड़) के निर्माण के लिए।	(a) For construction of office building at Erode (₹ 5 crore), Aayakar Bhawan at Ernakulam, Kochi, Kerala (₹ 2 crore) and office building at Dibrugarh (₹ 1 crore).	-	8.00	8.00
(ख) आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण, अजमेर से भूमि की खरीद के लिए।	(b) For purchase of land from Development Authority, Ajmer for construction of residential colony	-	18.45	18.45
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
39. मत्स्य पालन विभाग	39 Department of Fisheries			
एकीकृत मत्स्य पालन विकास और प्रबंधन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए।	For release of Grants-in-aid General under Tribal Area Sub Plan under Integrated Development & Management of Fisheries.	2.12	-	2.12
40. पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग	40 Department of Animal Husbandry and Dairying			
(क) (1) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) खुर एवं मुख रोग तथा बुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹253.56 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹46.89 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹29.05 करोड़) तथा विज्ञापन और प्रचार (₹9.30 करोड़) और (ii) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण स्कीम (₹0.01 करोड़) और (2) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹0.30 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) General Component (₹ 253.56 crore), Schedule Caste Sub Plan (₹ 46.89 crore), Tribal Area Sub Plan (₹ 29.05 crore) and Advertisement & Publicity (₹ 9.30 crore) under the scheme National Animal Disease Control Programme for Foot & Mouth Disease and Brucellosis and (ii) Livestock Health and Disease Control scheme (₹ 0.01 crore) and 2. Grants-in-aid Salary for Veterinary Council of India (₹ 0.30 crore)	339.11	-	339.11
(ख) पशुधन गणना और एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General under scheme Live Stock Census and Integrated Sample Survey.	2.00	-	2.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
41. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	41 Ministry of Food Processing Industries			
(1) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान	For meeting fund towards 1. Grants-in-aid			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(i) एकीकृत प्रशीतन और मूल्य वृद्धि अवसंरचना (₹36.66 करोड़) (ii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार (₹42.02 करोड़) (iii) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन (₹9.96 करोड़) (iv) अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत कृषि संसाधन क्लस्टर (₹2.45 करोड़) (2) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹6.37 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹3.34 करोड़) हेतु निधि पूरी करने के लिए।	General under the schemes (i) Integrated Cold Chain and Value addition Infrastructure (₹ 36.66 crore) (ii) Creation/Expansion of Food Processing and Preservation Capacities (₹ 42.02 crore) (iii) Creation of Backward and Forward Linkages (₹ 9.96 crore) (iv) Agro Processing Clusters (₹ 2.45 crore) under Scheduled Caste Sub Plan and 2. Grants-in-aid General (₹ 6.37 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 3.34 crore) for National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM).	100.80	-	100.80
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1449.72 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1040.07 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹1850.33 करोड़) और अन्य व्यय (₹471.30 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 1,449.72 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1,040.07 crore), Grants-in-aid Salaries (₹ 1850.33 crore) and Other expenditure (₹ 471.30 crore) under various schemes.	4,811.42	-	4,811.42
(ख) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹60.69 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹58.13 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹42.70 करोड़) और अन्य व्यय (₹45.11 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants in aid General (₹ 60.69 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 58.13 crore), Grants in aid Salaries (₹ 42.70 crore) and Other expenditure (₹ 45.11 crore) under various schemes.	206.63	-	206.63
(ग) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, तेजपुर के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1883.88 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹255.33 करोड़) और (ii) वेतन सहायता अनुदान (₹5 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Grants in aid General (₹ 1,883.88 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 255.33 crore) under various schemes and (ii) Grants in aid Salaries (₹ 5 crore) under Lokpriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Medical Sciences, Tejpur.	2,144.21	-	2,144.21
(घ) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹14041.51 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹894.83 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For additional towards Grants in aid General (₹ 1,4041.51 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 894.83 crore) under various schemes.	14,936.34	-	14,936.34
(ङ) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹123.82 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹8.71 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(e) For additional towards Grants in aid General (₹ 123.82 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 8.71 crore) under various schemes.	132.53	-	132.53
(च) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई के लिए मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(f) For additional expenditure towards Major Works for Family Welfare Training and Research Centre Mumbai.	-	2.40	2.40
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	43 Department of Health Research			
(i) आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹2 करोड़) और (ii)	For meeting additional requirement towards (i) Grant-in-Aid General for North East Areas under the scheme establishment of Model Rural Health Research Units			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता के अंतर्गत प्रावधानों का अंतरण सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत आईसीएमआर को करना (₹64 करोड़) और (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹6 करोड़) तथा एनआईएफ के अंतर्गत आबंटन के प्रावधान न किए जाने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आईसीएमआर के गैर-एनआईएफ शीर्षों को वेतन सहायता अनुदान (₹10 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(₹ 2 crore) and for transfer of provisions under Support from National Investment Fund (NIF) to the ICMR (₹ 64 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6 crore) and Grant in Aid Salaries (₹ 10 crore) to the Non-NIF Heads of ICMR under North East Areas.	82.00	-	82.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46. गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
कार्यालय भवन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को मुख्य निर्माण कार्य हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Major Works to National Institute of Disaster Management under Office Building.	-	4.09	4.09
48. पुलिस	48 Police			
(i) विभिन्न संगठनों के संबंध में कार्यालय भवन (₹223 करोड़) और आवासीय भवन (₹245 करोड़) हेतु मुख्य निर्माण कार्य (ii) मशीनरी और उपकरण (₹81.96 करोड़) (iii) मोटर वाहन (₹34.76 करोड़) और (iv) सीमा पर पोस्ट (आईटीबीपी) (₹6 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Major Works for Office Building (₹ 223 crore) and Residential Building (₹ 245 crore) for various organisations (ii) Machinery and Equipments (₹ 81.96 crore) (iii) Motor Vehicles (₹ 34.76 crore) and (iv) Border Out Post (ITBP) (₹ 6 crore).	-	590.72	590.72
49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49 Andaman and Nicobar Islands			
(क) वक्फ बोर्ड के संबंध में वेतन सहायता अनुदान के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries for Waqf Board.	0.03	-	0.03
(ख) पौध संरक्षण स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों पर व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Subsidies under Plant Protection Scheme.	0.01	-	0.01
(ग) जनजातीय क्षेत्रों में विकास के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.15 करोड़) और सब्सिडियां (₹0.43 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.15 crore) and Subsidies (₹ 0.43 crore) under Development in Tribal Areas.	0.58	-	0.58
(घ) जिला परिषदों और पंचायत समितियों के संबंध में वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries for Zila Parishads and Panchayat Samitis.	3.00	-	3.00
(ङ) सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General.	0.10	-	0.10
(च) लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक विकास स्कीम (एलएएनआईडीएस) - 2018 के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	(f) For meeting expenditure for Lakshadweep and Anadaman & Nicobar Islands Industrial Development scheme (LANIDS)-2018.	0.01	-	0.01
(छ) पुलिस भवन की मरम्मत/निर्माण/नवीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(g) For meeting additional requirement for repair/construction/renovation of Police Building.	-	1.00	1.00
(ज) अन्य विभाग के सिविल कार्यों के अंतर्गत लोक निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(h) For meeting additional requirement for Public Works and under civil works of Other Department.	-	7.65	7.65
(झ) विभिन्न अग्निशमन भवनों की मरम्मत/निर्माण/नवीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(i) For meeting additional requirement for repair/construction/renovation of various Fire Station Buildings.	-	1.00	1.00
(ञ) स्कूल की इमारत, कॉलेजों, स्टेडियमों आदि की मरम्मत/निर्माण/नवीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(j) For meeting additional requirement for repair/construction/renovation of School Building, Colleges, Stadiums, etc.	-	2.15	2.15

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ट) अस्पतालों, औषधालयों और चिकित्सा विभाग के अन्य सिविल कार्यों की मरम्मत/अनुरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(k) For meeting additional requirement for undertaking repair/construction/renovation of Hospitals, Dispensaries & Other civil works of Medical Department.	-	3.20	3.20
(ठ) नई पाइप लाइनें बिछाने, पानी की पाइप लाइन की मरम्मत, अनुरक्षण, प्रतिस्थापन तथा पानी की टंकियों के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(l) For meeting additional requirement for laying of new water lines, repairs, maintenance, replacement of water pipe line construction of water tanks.	-	8.30	8.30
(ड) 'सामान्य पूल व्यवस्था' के अंतर्गत आवासीय भवन के निर्माण/नवीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(m) For meeting additional requirement for construction/renovation of residential building under General Pool Accommodation.	-	5.00	5.00
(ढ) सड़क किनारे से इतर नालों के निर्माण/नवीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(n) For meeting additional requirement for construction/renovation of non-road side drains.	-	0.90	0.90
(ण) विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण/नवीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(o) For meeting additional requirement for construction/renovation of various Anganwadi Cente.	-	3.50	3.50
(त) आईटीआई कार्यशाला भवन, बाल छात्रावास आदि के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(p) For meeting additional requirement for construction of workshop building of ITI, Boys Hostel, etc.	-	1.70	1.70
(थ) पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(q) For meeting additional requirement for ongoing civil works of Animal Husbandary & Veterinary Services.	-	0.15	0.15
(द) मात्स्यिकी क्वार्टरों के जारी सिविल कार्यों तथा अन्य जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(r) For meeting additional requirement for ongoing civil works of fisheries quarters and other ongoing civil works.	-	1.16	1.16
(ध) पंचायत निदेशालय भवन के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(s) For meeting additional requirement for ongoing civil building works of Directorate of Panchayat.	-	2.80	2.80
(न) विभिन्न बिजली घरों पर जारी सिविल कार्यों और मशीनरी एवं उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(t) For meeting additional requirement for ongoing works at various Power Houses and procurement of machinery and equipment.	-	6.00	6.00
(प) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी नवीकरण कार्यों तथा अन्य सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(u) For meeting additional requirement for ongoing works of Sagarika Government Emporium and other Civil works.	-	1.20	1.20
(फ) रीच स्टैकर तथा एम्प्टी कंटेनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(v) For meeting additional requirement for procurement of Reach Stacker & Empty Container Handler.	-	8.65	8.65
(ब) डॉकयार्ड के विभिन्न सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(w) For meeting additional requirement for various civil works of Dockyard.	-	2.35	2.35
(भ) जिला सड़कों के अंतर्गत सड़क और पुल के निर्माण/नवीकरण, जिला और अन्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना तथा सामान्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(x) For meeting additional requirement for construction/renovation of Roads & Bridges under District Roads, Tribal Area sub plan for District & Other Roads and for General Roads.	-	25.80	25.80
(म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(y) For meeting additional requirement for construction/renovation of various bus terminus, quarters and other works.	-	2.47	2.47
(य) राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर की वार्षिक मरम्मत, अनुरक्षण और रख-रखाव तथा अन्य निर्माण कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(z) For meeting additional requirement for annual repair, maintenance & upkeep of Rajiv Gandhi Water Sports Complex and other works.	-	1.00	1.00

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
50. चंडीगढ़	50 Chandigarh			
(क) वार्षिक वेतन वृद्धि और मंहगाई भत्ते आदि की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement for the payment of Annual Increment and increase in DA, etc.	0.52	-	0.52
(ख) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, बकाया पेंशन, मासिक पेंशन और सेवानिवृत्ति पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement for the payment of Salaries, pension Arrears, monthly pension and retirement pensionary benefits of employees working in Punjab Engineering College.	7.01	-	7.01
(ग) चंडीगढ़ की अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा वृद्ध एवं असहाय लोगों हेतु घर के लिए अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम को भुगतान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(c) For meeting additional requirement for the payment to chandigarh Scheduled Castes, Backward Classes and Minorities Financial and Development Corporation for Home to Old age and Destitutes people.	0.75	-	0.75
(घ) चंडीगढ़ होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान को वार्षिक वेतन वृद्धि और मंहगाई भत्ते आदि की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(d) For meeting additional requirement for the payment of Annual Increment and increase in DA etc. to Chandigarh Institute of Hotel Management & Catering Technology.	0.06	-	0.06
(ङ) (i) आपदा अनुक्रिया सहायता प्रणाली स्थापित करने, विभिन्न पुलिस स्टेशनों के नवीकरण के लिए (₹4.03 करोड़) और (ii) धनस में 336 टाइप-II पुलिस आवासों के निर्माण (₹14.99 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(e) For meeting the additional requirement for (i) setting up of Emergency Response Support System, renovation of various Police Stations (₹ 4.03 crore) and (ii) construction of 336 Type-II Police Houses at Dhanas (₹ 14.99 crore).	-	19.02	19.02
(च) आदर्श कारागार, बुरेल में सुरक्षा बैरकों के निर्माण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(f) For meeting additional requirement for construction of Security Barracks at Model Jail, Burail.	-	0.09	0.09
(छ) (i) खेल परिसर में बिलियर्ड्स और स्नूकर्स के लिए लघु खेल अवसंरचना के निर्माण (₹2.83 करोड़) और (ii) शौचालयों के नवीकरण, कला महाविद्यालय में एसी और पानी कूलरों का प्रावधान करने (₹0.27 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(g) For meeting additional requirement for (i) construction of Mini Sport Infrastructure for Billiards and Snookers in Sports Complex (₹ 2.83 crore) and (ii) renovation of toilets, provision of ACs and Water Coolers in Arts College (₹ 0.27 crore).	-	3.10	3.10
(ज) किशनगढ़ ग्राम में पानी के ट्यूबवेल भाग-4 के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(h) For meeting additional requirement for construction of Water Tubewell Part- 4 in village Kishangarh.	-	0.10	0.10
(झ) विभिन्न सरकारी आवासों में 5 केडब्ल्यूपी के एसपीवी सौर संयंत्र प्रदान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(i) For meeting additional requirement for providing SPV Solar Plant of 5 KWP in various Government Houses.	-	8.64	8.64
(ञ) (i) विभिन्न जगहों पर क्रेचों के निर्माण और मलोया, नाबालिंग गृह सेक्टर 25 आदि में लिफ्टों और रेम्पो के प्रावधान करने (₹1.84 करोड़) (ii) नारी निकेतन में लिफ्टों का प्रावधान करने (₹0.15 करोड़) और (iii) वृद्ध आश्रम के नवीकरण करने (₹0.06 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(j) For meeting additional requirement for (i) construction of creches at various locations and provision of lifts and ramps for street children at Maloya, Juvenile Home Sector-25 etc. (₹ 1.84 crore) (ii) provision of lifts in Nari Niketan (₹ 0.15 crore) and (iii) renovatio of Old Age Home (₹ 0.06 crore).	-	2.05	2.05
(ञ) गहरे बोर ट्यूबवेल तथा 11 फिश टैंकों और शौचालयों की स्थापना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(k) For meeting additional requirement for installation of Deep Bore Tubewell and 11 Number of Fish Tanks and toilets.	-	0.20	0.20

		₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ट) पक्षी पार्क के निर्माण तथा एक जल प्रपात बढ़ाने आदि हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(l) For meeting additional requirement for construction of Bird Park and raising a Water Fall, etc.	-	1.00	1.00
(ठ) विभिन्न गांवों की विभिन्न संपर्क/फिरनी सड़कों के चौड़ीकरण और उनकी री-कारपेटिंग की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(m) For meeting additional requirement for widening and re-carpeting of various links/phirni roads of various villages.	-	0.59	0.59
52. दमन और दीव	52 Daman and Diu			
(क) दीव में सर्किट हाउस के निर्माण के लिए कार्य को पूरा करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement under Major Works to carry out works for construction of Circuit Houses at Diu.	-	10.00	10.00
(ख) दीव में शिक्षा हब के लिए मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement under Major Works for Education Hub at Diu.	-	10.00	10.00
(ग) एमडीआर और ओडीआर सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़करण और चार लेन करने, भूमि का अधिग्रहण और दमन जिला में विभिन्न एमडीआर सड़कों के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(c) For meeting additional requirement under Major Works for widening, strengthening and four laning of MDR & ODR roads, acquisition of land and construction of various MDR Roads in Daman District.	-	50.00	50.00
(घ) दमन किले का सौंदर्यीकरण और विकास, मोती दमन शिशु स्मारक उद्यान और जेट्टी उद्यान आदि और दीव जिला में विभिन्न परियोजनाओं के लिए मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(d) For meeting additional requirement under Major Works for development and beautification of Daman fort, beautification and extension of Moti Daman children memorial garden and jetty garden etc. and various projects in Diu District.	-	20.00	20.00
53. लक्षद्वीप	53 Lakshadweep			
लक्षद्वीप द्वीपों में विद्युत उत्पादन के लिए डीजल की खरीद की लागत का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting additional requirement for payment of cost of purchase of Diesel for Power generation in Lakshadweep Islands.	-	0.25	0.25
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
56. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	56 Ministry of Housing and Urban Affairs			
(क) अन्य प्रशासनिक व्यय, लघु निर्माण कार्य, किराया, दर व कर के अंतर्गत राष्ट्रपति संपदा के लिए प्रावधान करने के लिए।	(a) For provision for President's Estate under various OAE, Minor Works and RRT	8.60	-	8.60
(ख) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएस) के माध्यम से जुटाए गए ऋणों के लिए ब्याज का भुगतान करने (₹330 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹1.49 करोड़) के अंतर्गत स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) को भुगतान, (iii) सामान्य पूल आवासीय आवास (₹24 करोड़) और संसदीय आवासों (₹4 करोड़) का रखरखाव (iv) जीपीआरए पर सेवा शुल्क किराया, बैद्युत और पानी के बिलों का भुगतान (₹20 करोड़)।	(b) For (i) making payment of interest for loan raised from National Small Savings Fund (NSSF) under PMAY(U) (₹ 330 crore), (ii) payment to Real Estate Regulatory Authority (RERA) under Grants-in-aid General (₹ 2.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 1.49 crore), (iii) maintenance of General Pool Residential Accomodation (₹ 24 crore) and Parliamentary residences (₹ 4 crore) and (iv) payment of service charges Rent, Electricity and Water bills on GPRA (₹ 20 crore)	381.99	-	381.99
(ग) वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के अनुसार दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) के कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम के भुगतान के लिए भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति।	(c) For recouping an advance drawn from Contingency Fund of India towards making payment to pension scheme for Delhi Urban Art Commission (DUAC)'s employees as per CAT order under Grants-in-aid Salaries.	15.44	-	15.44

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी)।	(d) For North Eastern Regional Urban Development Project (NERUDP) under Grants-in-aid General.	37.23	-	37.23
(ङ) विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए गौण ऋण में वृद्धि।	(e) For augmentation of Subordinate Debt for various Metro Projects.	-	361.17	361.17
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
(क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹74.80 करोड़) और समग्र शिक्षा (₹69.72 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹13.34 करोड़) और समग्र शिक्षा (₹40 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान और (iii) केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹46.40 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General under the Schemes KVS (₹74.80 crore) and Samagra Shiksha (₹69.72 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Schemes KVS (₹13.34 crore) and Samagra Shiksha (₹40 crore) and (iii) Grants-in-Aid Salary under the Scheme KVS (₹46.40 crore).	244.26	-	244.26
(ख) समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹472.15 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹180 करोड़) की अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General (₹472.15 crore) and Grant for Creation of Capital Asset (₹180 crore) under the scheme Samagra Shiksha.	652.15	-	652.15
(ग) समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹581.61 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹118.39 करोड़) की अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General (₹581.61 crore) and Grant for Creation of Capital Asset (₹118.39 crore) under the scheme Samagra Shiksha.	700.00	-	700.00
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹1000.12 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹193 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹2478.27 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹1000.12 crore), Grants for creation of capital assets (₹193 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹2478.27 crore) under the various schemes.	3671.39	-	3671.39
(ख) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹1149.86 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1404.02 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹1956.20 करोड़) और (ii) शिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वृत्तिका कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्ति (₹10 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹1149.86 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹1404.02 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹1956.20 crore) under various schemes and (ii) Scholarship/ Stipends' under the scheme Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends (₹10 crore).	4,520.08	-	4520.08
(ग) अन्य संस्थानों के लिए सहायता स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹8 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹265.39 करोड़) की अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹8 crore) and Grants for creation of capital assets (₹265.39 crore) under the scheme Assistance to other institutes.	273.39	-	273.39
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	59 Ministry of Information and Broadcasting			
निम्नलिखित हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i)	For meeting expenditure towards (i) Other			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय, व्यवसायिक सेवाएं, सामान्य सहायता अनुदान और अन्य प्रभार (₹0.50 करोड़), (ii) भारतीय जन संचार संस्थानों (आईएमसी) के क्षेत्रीय केन्द्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.30 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.67 करोड़), (iii) भारत के सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता देने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.65 करोड़) (iv) भारतीय प्रेस परिषद् के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹1.55 करोड़) और (v) सत्यजित राय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान (एसआरएफटीआई) के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़)।	Administrative Expenses, Professional Services, Grants-in-aid General & Other Charges (₹ 0.50 crore) under Champion Services Sector schemes (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.30 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2.67 crore) for Regional Centres of Indian Institutes Mass Communication (IMC) (iii) Grants-in-aid General (₹ 0.65 crore) for Supporting Community Radio Movement India (iv) Grants-in-aid Salaries (₹ 1.55 crore) for Press Council of India (PCI) and (v) Grants-in-aid Salaries (₹ 0.50 crore) for Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI).	6.17	-	6.17
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
60. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	60 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure for Development of Water Resource Information System under Machinery & Equipment.	-	5.65	5.65
(ख) भूजल प्रबंधन और विनियमन स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Major Works under the scheme Grount Water Management and Regulation.	-	9.47	9.47
61. पेयजल और स्वच्छता विभाग	61 Department of Drinking Water and Sanitation			
(i) सामान्य कार्यक्रम घटक (₹194.44 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹49.06 करोड़) (iii) जल जीवन मिशन (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप योजना (₹22.30 करोड़) के लिए राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान देने के लिए।	For providing Grants-in-aid General to State Governments for (i) Normal Programme component (₹ 194.44 crore) (ii) Special component Plan for Scheduled Caste (₹ 49.06 crore) and (iii) Tribal Area Sub Plan (₹ 22.30 crore) under Jal Jeevan Mission (erstwhile National Rural Drinking Water Programme).	265.80	-	265.80
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
62. श्रम और रोजगार मंत्रालय	62 Ministry of Labour and Employment			
(क) (i) असंगठित कर्मचारियों के लिए बीमा योजना (₹175.59 करोड़) और कर्मचारी पेंशन योजना (₹10 करोड़) स्कीम के अंतर्गत अंशदान (ii) कर्मचारी पेंशन योजना, स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹3 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) Contribution under the schemes Employees Pension Scheme (₹ 10 crore) and Bima Yojana for Unorganized Workers (₹ 175.59 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹ 3 crore) under the scheme Employees Pension Scheme.	188.59	-	188.59
(ख) 'कर्मचारी पेंशन योजना' स्कीम के अंतर्गत अंशदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Contribution under the scheme 'Employees Pension Scheme'.	90.00	-	90.00
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
63 विधि एवं न्याय	63 Law and Justice			
(क) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Grant in Aid General to National Judicial Academy.	5.00	-	5.00

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में न्यायिक हेतु अवसंरचना सुविधा के स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under the scheme of Infrastructure Facility for Judiciary in North Eastern Region.	26.70	-	26.70
(ग) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स की आपूर्ति के लिए भुगतान करने हेतु मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure under Machinery & Equipment for making payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails.	-	50.00	50.00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) (i) 'संवर्धनात्मक सेवा संस्थान कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹9.26 करोड़), 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केन्द्र' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5.23 करोड़), 'खादी अनुदान' (₹3.25 करोड़), (ii) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹10.10 करोड़), (iii) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्भव के लिए निधि की योजना' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹3.50 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.50 करोड़) तथा (vi) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹9.90 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme Promotional Service Institution Programme (₹ 9.26 crore), National Schedule Caste/Schedule Tribe Hub Centre (₹ 5.23 crore) and Khadi Grant (₹ 3.25 crore) (ii) Contribution (₹ 10.10 crore) under the scheme Fund of Funds (iii) Grants-in-aid General (₹ 3.50 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 2.50 crore) under the scheme Scheme for Fund for Regeneration of Traditional Industries and (iv) Subsidies (₹ 9.90 crore) under the scheme Prime Minister Employment Generation Programme.	43.74	-	43.74
(ख) (i) 'ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹115.16 करोड़), (ii) 'अधिप्राप्ति और विपणन सहायता योजना' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹53.64 करोड़), संवर्धनात्मक सेवा संस्थान कार्यक्रम (₹57.91 करोड़) और अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण (₹51.18 करोड़) (iii) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹89.90 करोड़), (iv) 'नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना' स्कीम के अंतर्गत एफटीई (₹0.01 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹8 करोड़), (v) 'खादी अनुदान' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹8.75 करोड़), (vi) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹120.72 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹6.80 करोड़), (vii) 'क्वॉयर विकास योजना' (₹3 करोड़) तथा 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान' (₹0.20 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (viii) पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्भव के लिए निधि की योजना स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान	(b) For meeting expenditure towards (i) Subsidies (₹ 115.16 crore) under the scheme Credit Linked Capital Subsidy and Technology Upgradation Scheme (ii) Grants-in-aid General under the scheme Procurement and marketing Support Scheme (₹ 53.64 crore), Promotional Services Institutions and programme (₹ 57.91 crore) and Infrastructure Development and Capacity Building (₹ 51.18 crore) (iii) Contribution (₹ 89.90 crore) under the scheme Fund of Funds (iv) FTE (₹ 0.01 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 8 crore) under the scheme Establishment of New technology Centres (v) Grants-in-aid General (₹ 50 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 8.75 crore) under the scheme Khadi Grant (vi) Subsidies (₹ 120.72 crore) and Grants-in-aid General (₹ 6.80 crore) under the scheme Prime Minister Employment Generation Programme (vii) Grants-in-aid Salary under the scheme Mahatma Gandhi Institute for			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹32.65 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹21.65 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Rural Industrialisation (₹ 0.20 crore) and Coir Vikas Yojana (₹ 3 crore) (viii) Grants-in-aid General (₹ 32.65 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 21.65 crore) under the scheme Scheme for Fund for Regeneration of Traditional Industries.	619.57	-	619.57
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
68. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	68 Ministry of Minority Affairs			
(क) विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-Aid General under the scheme Upgrading Skill and Training in traditional Arts/Crafts.	10.00	-	10.00
(ख) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram.	118.86	-	118.86
नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69. नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	69 Ministry of New and Renewable Energy			
सब्सिडियों के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2 करोड़) प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid General (₹ 4 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2 crore) under National Institute of Wind Energy for subsidies.	6.00	-	6.00
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
72. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	72 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) स्वायत्त निकाय के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for Autonomous bodies.	0.85	-	0.85
(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के व्यापक आधुनिकीकरण और उसके लिए भूमि की खरीद/ कार्यालय/आवास भवनों के निर्माण के लिए।	(b) For Comprehensive Modernisation and purchase of land/construction of office/ residence building for Central Bureau of Investigation.	-	10.00	10.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
75. योजना मंत्रालय	75 Ministry of Planning			
(i) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (₹15 करोड़) और (ii) वहनीय विकास लक्ष्यों के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (₹6.15 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) (₹ 15 crore) and (ii) Official Development Assistance from Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals (₹ 6.15 crore).	21.15	-	21.15
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
76. विद्युत मंत्रालय	76 Ministry of Power			
खातों का निपटान करने के लिए कारगिल के रास्ते श्रीनगर से लेह तक 220 के.वी. पारेषण लाइन में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure in 220 KV transmission line from Srinagar to Leh via kargil to settle the accounts.	-	0.01	0.01

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
79. राज्य सभा सदस्यों के लिए सब्सिडियों हेतु निधि को बढ़ाने के लिए।	79 Rajya Sabha For augmentation of funds towards Subsidies for Members.	0.20	-	0.20
रेल मंत्रालय 82. रेल मंत्रालय केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से किए जाने वाले रेलवे सुरक्षा कार्य (₹2,000 करोड़) पर और केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के लिए अतिरिक्त अंतरण (₹2,000 करोड़) पर व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF RAILWAYS 82 Ministry of Railways For meeting expenditure on additional transfer (₹ 2,000 crore) to Central Road and Infrastructure Fund and on Railway safety works (₹ 2,000 crore) to be from Central Road and Infrastructure Fund.	-	4,000.00	4000.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (क) ई-ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना के लिए राष्ट्रीय डाटा आधारित व्यवसायिक सेवाओं के लिए व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹137.85 करोड़) और केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के लिए निधियों की अंतर लेखा अंतरण (₹137.85 करोड़)।	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 83 Ministry of Road Transport and Highways (a) For meeting expenditure towards Professional Services on National Data Base for E-Transport Mission Mode Project. (b) For Grants for creation of Capital Assets for roads in Union Territory of Jammu & Kashmir (₹ 137.85 crore) and inter- account transfer of funds to Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 137.85 crore)	55.00 275.70	- -	55.00 275.70
ग्रामीण विकास मंत्रालय 84. ग्रामीण विकास विभाग (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्य स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देने के लिए। (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्य स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देने के लिए।	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 84 Department of Rural Development (a) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. (b) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program.	3,483.45 216.55	- -	3,483.45 216.55
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 86. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण (₹52.50 करोड़), (ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण स्कीम के अंतर्गत विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (₹4.50 करोड़), (iii) अनुसंधान और विकास (₹18.55 करोड़), (iv) नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन (₹3 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान और 2. स्वायत्त संस्थानों और व्यावसायिक निकायों के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹15 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 86 Department of Science and Technology For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) Science and Technology Institutional and Human Capacity Building (₹ 52.50 crore) (ii) Disha Programme for women in Science (₹ 4.50 crore) for Science and Technology Institutional and Human Capacity Building (iii) Research and Development (₹ 18.55 crore) and (iv) Innovation, Technology Development and Deployment (₹ 3 crore) and 2. Grants-in-aid Salary for Autonomous Institutions and Professional Bodies (₹ 15 crore).	93.55	-	93.55

		₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
87. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (i) स्वायत्तशासी संस्थानों के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹9.89 करोड़) और (ii) अनुसंधान और विकास के अंतर्गत अंशदान (₹17.35 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	87 Department of Biotechnology For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salary for Autonomous Institutions (₹ 9.89 crore) and (ii) Contributions under Research and Development (₹ 17.35 crore).	27.24	-	27.24
88. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए 1. (i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अंतर्गत सीएसआईआर (₹50 करोड़), (ii) एनआरडीसी (सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) के खोजकर्ताओं और नवोन्मेषकों को अभिप्रेरित करने का कार्यक्रम (₹1.88 करोड़) (iii) एनआरडीसी (सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) के वाणिज्यिकरण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास (पीडीटीसी) हेतु कार्यक्रम (₹0.18 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान और 2. प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु एशिया एवं प्रशांत केंद्र को अंशदान (एपीसीटीटी) (संयुक्त राष्ट्र निकाय) (₹1.40 करोड़)।	88 Department of Scientific and Industrial Research For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) CSIR under National Laboratories (₹ 50 crore) (ii) Programme for Inspiring Inventors & Innovators (PIII) of NRDC (PSE) (₹ 1.88 crore) (iii) Programme for Development of Technologies for Commercialization of NRDC (PSE) (₹ 0.18 crore) and 2. Contribution to Asian & Pacific Centre for Transfer of Technology (UN Body) (₹ 1.40 crore).	53.46	-	53.46
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
89. पोत परिवहन मंत्रालय (क) मुख्य पत्तन के अंतर्गत मोरमुगांव पत्तन न्यास के लिए सामान्य सहायता अनुदान देने के लिए। (ख) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.01 करोड़) और भारत और मालदीव के बीच अनुसूचित कार्गो सेवा चलाने के लिए भारतीय पोत परिवहन निगम हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹3.52 करोड़)।	89 Ministry of Shipping (a) For release of Grants-in-aid General to Mormugao Port Trust under Major Port. (b) For Grants for Creation of Capital Assets (₹0.01 crore) to Indian Maritime University for implementation of Public Finance Management System and (ii) Grants-in-aid General to Shipping Corporation of India for running a scheduled cargo service between India and Maldives (₹ 3.52 crore).	15.00 3.53	- -	15.00 3.53
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
91. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (क) (i) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (₹50 करोड़) और ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता (₹10 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेश अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹12 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा (₹40 करोड़)। (ख) भिखारियों के पुनर्वास हेतु एकीकृत कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। (ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्कीम के अंतर्गत निवेश के लिए।	91 Department of Social Justice And Empowerment (a) For (i) Grants in aid General under the schemes Pre Matric Scholarship for SCs (₹ 50 crore) and Assistance for Skill Development of OBCs, DNTs and EBCs (₹ 10 crore) (ii) Scholarships/ Stipend under the schemes Interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies for OBCs and EBCs (₹ 12 crore) and Top Class Education for SCs (₹ 40 crore). (b) For Grants in aid General under the scheme Integrated Programme for Rehabilitation of Beggars (c) For investments under the scheme National Backward Classes Finance and Development Corporation.	112.00 20.00 -	- - 30.00	112.00 20.00 30.00
92. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (क) दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास स्कीम (₹17.38	92 Department of Empowerment of Persons with Disabilities (a) For Grants-in-aid General under the			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़), राष्ट्रीय संस्थानों (₹14.36 करोड़) और निःशक्तजनों के अधिकारों का कार्यान्वयन अधिनियम, 2016 (₹15 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) राष्ट्रीय संस्थान स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹20.55 करोड़)।	schemes Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (₹ 17.38 crore), National Institutes (₹ 14.36 crore) and Implementation of Rights of the Persons with Disabilities Act, 2016 (₹ 15 crore) and (ii) Grants-in-aid Salary under the scheme National Institutes (₹ 20.55 crore)	67.29	-	67.29
(ख) दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन स्कीम (₹15 करोड़) और दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास स्कीम (₹2.50 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(b) For Grants in aid General under the Schemes Implementation of the Persons with Disabilities Act (₹ 15 crore) and Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (₹ 2.50 crore).	17.50	-	17.50
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
93. अंतरिक्ष विभाग	93 Department of Space			
(क) (i) सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला के वेतन सहायता अनुदान के लिए (₹10 करोड़) और (ii) इसरो प्रणोदन परिसर के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.01 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries (₹ 10 crore) for Semi-conductor Laboratory and (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) for ISRO Propulsion Complex.	10.01	-	10.01
(ख) पीएसएलवी संयोजन सुविधा के लिए मशीनरी एवं उपकरण/प्रमुख निर्माण कार्य (₹25 करोड़), सेमी-क्रायोजेनिक इंजन विकास परियोजना (₹18 करोड़), कार्टोसैट 3 (₹22 करोड़), ट्रायसोनिक विंड टनल सुविधा (₹35 करोड़) और (ii) सेमी-क्रायोजेनिक इंजन विकास परियोजना (₹65 करोड़) रिसोर्ससैट 3एस एवं 3एसए (₹3.50 करोड़), आदित्य एल1 (₹7.01 करोड़) और सेमी-क्रायोजेनिक चरण विकास परियोजना (₹18 करोड़) हेतु अन्य पूंजी व्यय के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipments/Major Works for PSLV Integration Facility (₹ 25 crore), for Semi-cryogenic Engine Development Project (₹ 18 crore), for Cartosat 3 (₹ 22 crore), for Trisonic Wind Tunnel Facility (₹ 35 crore) and (ii) Other Capital Expenditure for Semi-cryogenic Engine Development Project (₹ 65 crore), Resourcesat 3S & 3SA (₹ 3.50 crore), Aditya L1 (₹ 7.01 crore) and for Semi-cryogenic Stage Development Project (₹ 18 crore).	-	193.51	193.51
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
94. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	94 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(i) क्षमता निर्माण स्कीम के अंतर्गत (₹31.46 करोड़) और (ii) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹51.98 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting an additional expenditure (i) under the scheme Capacity Development (₹ 31.46 crore) and (ii) towards Grants-in-aid Salary to Indian Statistics Institute, Kolkata (₹ 51.98 crore).	83.44	-	83.44
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
96. वस्त्र मंत्रालय	96 Ministry of Textiles -			
(क) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme 'National Handloom Development Programme'.	0.47	-	0.47
(ख) (i) 'वस्त्र आयुक्त' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹0.64 करोड़) (ii) 'वस्त्र समिति के लिए सहायता' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़) और (iii) 'एकीकृत वस्त्र पार्क योजना' स्कीम	(b) For meeting expenditure towards (i) Other Charges (₹ 0.64 crore) under the scheme 'Textile Commissioner' (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10 crore) under the scheme 'Assistant			

		(₹ करोड़ ₹ in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹26.50 करोड़)।	to Textile Committee' and (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 26.50 crore) under the scheme 'Scheme for Integrated Textile Parks.	37.14	-	37.14
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
97. पर्यटन मंत्रालय	97 Ministry of Tourism			
आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीएम/एनआई डब्ल्यूएस को सहायता स्कीम के अंतर्गत होटल प्रबंधन केटरिंग प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषाहार होटल संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid General to Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition under scheme Assistance to IHMs/FCIs/IITTM NIWS.	1.30	-	1.30
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
99. महिला और बाल विकास मंत्रालय	99 Ministry of Women and Child Development			
(क) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants in aid General under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana.	319.70	-	319.70
(ख) राष्ट्रीय पोषण मिशन-कार्यक्रम घटक स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants in aid General under the scheme National Nutrition Mission-Programme Component.	764.00	-	764.00
कुल सांकेतिक	Total Token	0.95	0.52	1.47
5. आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की समेकित निधि में से ₹15,44,00,000 करोड़ की अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई थी। अनुदानों की पूरक मांगों के अनुमोदित होने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति निधि में की जाएगी।	5. An advance of ₹ 15,44,00,000 was sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting Contingency requirement. This will be recouped to the fund after the Supplementary Demand for Grants are approved.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	87,586.45	3,93,295.21	4,80,881.66
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	44,598.49	9,365.09	53,963.58
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	42,987.01	3,83,929.60	4,26,916.61
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.95	0.52	1.47

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि एवं कृषक		MINISTRY OF AGRICULTURE AND					
कल्याण मंत्रालय		FARMERS' WELFARE					
1.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग स्वीकृत	1.	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	Voted	0.04	...	0.04 1-2
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वीकृत	2.	Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.02	...	0.02 3-4
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3.	परमाणु ऊर्जा स्वीकृत	3.	Atomic Energy	Voted	547.35	180.29	727.64 5-6
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
4.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय स्वीकृत	4.	Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.04	...	0.04 7-8
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS					
5.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग स्वीकृत	5.	Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	106.53	...	106.53 9
6.	उर्वरक विभाग स्वीकृत	6.	Department of Fertilisers	Voted	0.01	...	0.01 10
7.	भेषज विभाग स्वीकृत	7.	Department of Pharmaceuticals	Voted	0.01	168.12	168.13 11
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8.	नागर विमानन मंत्रालय स्वीकृत	8.	Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	...	0.01 12
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
9.	कोयला मंत्रालय स्वीकृत	9.	Ministry of Coal	Voted	0.01	...	0.01 13
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
10.	वाणिज्य विभाग भास्ति स्वीकृत	10.	Department of Commerce	Charged	0.47		0.47 14-15
				Voted	150.97	344.97	495.94
11.	उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्वीकृत	11.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Voted	0.03	270.50	270.53 16
दूरसंचार मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
12.	डाक विभाग स्वीकृत	12.	Department of Posts	Voted	1303.87	...	1303.87 17
13.	दूरसंचार विभाग स्वीकृत	13.	Department of Telecommunications	Voted	0.01	...	0.01 18
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
14.	उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत	14.	Department of Consumer Affairs	Voted	0.01	...	0.01 19
15.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग स्वीकृत	15.	Department of Food and Public Distribution	Voted	0.01		0.01 20
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
16.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय स्वीकृत	16.	Ministry of Corporate Affairs	Voted	15.65	...	15.65 21
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
17.	संस्कृति मंत्रालय स्वीकृत	17.	Ministry of Culture	Voted	0.02	...	0.02 22
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
18.	रक्षा मंत्रालय (नागरिक) भास्ति स्वीकृत	18.	Ministry of Defence (Civil)	Charged	0.07	5.00	5.07 23-24
				Voted	2218.81	254.20	2473.01

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
19. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	भारित	19. Defence Services (Revenues)	Charged	2.33		2.33	25-26
	स्वीकृत		Voted	1997.67		1997.67	
20. रक्षा सेवाओं पर पूँजी परियोजना	भारित	20. Capital Outlay on Defence Services	Charged		11.55	11.55	27
	स्वीकृत		Voted		6988.45	6988.45	
21. रक्षा पेंशन	भारित	21. Defence Pensions	Charged	3.34		3.34	28
	स्वीकृत		Voted	5727.53		5727.53	
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	22. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	0.01	0.01	0.02	29
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
23. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	23. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.02	...	0.02	30
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
24. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत	24. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	0.02	0.01	0.03	31
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
25. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	25. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	0.02	...	0.02	32
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
27. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	27. Department of Economic Affairs	Voted	578.33	7536.20	8114.53	33-34
28. व्यय विभाग	स्वीकृत	28. Department of Expenditure	Voted	42.33	...	42.33	35
29. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	29. Department of Financial Services	Voted	373.83	5770.00	6143.83	36
31. राजस्व विभाग	स्वीकृत	31. Department of Revenue	Voted	40030.77	8.27	40039.04	37-38
32. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	32. Direct Taxes	Voted	181.96	0.02	181.98	39
34. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	स्वीकृत	34. Indian Audit and Accounts Department	Voted	88.00	...	88.00	40
36. ऋण की वापसी अदायगी	भारित	36. Repayment of Debt	Charged	...	363201.91	363201.91	41
37. पेंशन	भारित	37. Pensions	Charged	5.00	...	5.00	42
	स्वीकृत		Voted	1995.00	...	1995.00	
38. राज्यों को अंतरण	भारित	38. Transfers to States	Charged	2243.66	5276.72	7520.38	43
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेरी कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING					
39. मत्स्य पालन विभाग	स्वीकृत	39. Department of Fisheries	Voted	0.01	...	0.01	44
40. पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	स्वीकृत	40. Department of Animal Husbandry and Dairying	Voted	18.65	...	18.65	45
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
41. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	...	0.01	46
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.05	55.01	55.06	47-51
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	43. Department of Health Research	Voted	50.01	...	50.01	52
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
46. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	46. Ministry of Home Affairs	Voted	3398.85	9.28	3408.13	53
47. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	47. Cabinet	Voted	96.42	...	96.42	54
48. पुलिस	स्वीकृत	48. Police	Voted	2903.15	0.01	2903.16	55-56
49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	49. Andaman and Nicobar Islands	Voted	216.15	0.20	216.35	57-60
50. चंडीगढ़	स्वीकृत	50. Chandigarh	Voted	75.08	21.00	96.08	61-63
51. दादरा और नगर हवेली	स्वीकृत	51. Dadra and Nagar Haveli	Voted	3.35	...	3.35	64

				(₹ करोड़ in ₹ crore)			
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
52. दमन और दीव	स्वीकृत	52. Daman & Diu	Voted	203.00	0.04	203.04	65-66
53. लक्षद्वीप	स्वीकृत	53. Lakshadweep	Voted	39.27	0.01	39.28	67-68
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS					
56. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	भारित स्वीकृत	56. Ministry of Housing and Urban Affairs	Charged Voted	0.01 0.03	... 79.44	0.01 79.47	69-70
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	57. Department of School Education and Literacy	Voted	5012.03	...	5012.03	71-72
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	0.03	...	0.03	73-74
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
59. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	...	0.01	75
जल शक्ति मंत्रालय		MINISTRY OF JAL SHAKTI					
60. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	स्वीकृत	60. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	...	0.02	0.02	76
61. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	स्वीकृत	61. Department of Drinking Water and Sanitation	Voted	0.01	...	0.01	77
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
62. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	62. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.02	...	0.02	78
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
63. विधि और न्याय	स्वीकृत	63. Law and Justice	Voted	183.27	0.01	183.28	79-80
65. भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	65. Supreme Court of India	Charged	6.51		6.51	81
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
66. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02		0.02	82
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
68. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.02	60.00	60.02	83
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY					
69. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01		0.01	84
संसदीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS					
71. संसदीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	71. Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	23.23		23.23	85
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
72. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	72. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	66.41	0.01	66.42	86
73. केंद्रीय सतर्कता आयोग	भारित	73. Central Vigilance Commission	Charged	1.10		1.10	87
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
74. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	393.77		393.77	88
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
75. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	75. Ministry of Planning	Voted	0.01		0.01	89
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
76. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	76. Ministry of Power	Voted	578.00	0.01	578.01	90

		(₹ करोड़ in ₹ crore)					
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page		
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT						
79. राज्यसभा	स्वीकृत 79. Rajya Sabha	Voted	0.01		0.01	91	
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS						
82. रेल मंत्रालय	भारित 82. Ministry of Railways	Charged		817.49	817.49	92	
	स्वीकृत	Voted		0.01	0.01		
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत 83. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	0.02	2167.64	2167.66	93-94	
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT						
84. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत 84. Department of Rural Development	Voted	16003.64	...	16003.64	95-96	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY						
86. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत 86. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01	97	
87. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत 87. Department of Biotechnology	Voted	0.01	...	0.01	98	
88. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत 88. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	0.01	...	0.01	99	
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING						
89. पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत 89. Ministry of Shipping	Voted	115.19	33.00	148.19	100-101	
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT						
91. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत 91. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.02	0.01	0.03	102	
92. विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग	स्वीकृत 92. Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Voted	0.02	...	0.02	103	
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE						
93. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत 93. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	104	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION						
94. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत 94. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01	105	
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES						
96. कपड़ा मंत्रालय	भारित 96. Ministry of Textiles	Charged	...	17.00	17.00	106	
	स्वीकृत	Voted	0.02	8.79	8.81		
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM						
97. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत 97. Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01	107	
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS						
98. जनजातीय कार्य मंत्रालय	भारित 98. Ministry of Tribal Affairs	Charged	137.87	...	137.87	108	
	स्वीकृत	Voted	122.33	...	122.33		
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT						
99. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत 99. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.02	...	0.02	109	
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS						
100. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	100. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	325.00	10.00	335.00	110-111	
कुल जोड़	GRAND TOTAL		87586.45	393295.21	480881.66		
	भारित	Charged	2400.36	369329.67	371730.03		
	स्वीकृत	Voted	85186.09	23965.54	109151.63		
अनुबंध	ANNEXURE					112-115	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिये)
(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	130450.51	130450.51
पूंजी	Capital	...	34.70	34.70
जोड़	Total	...	130485.21	130485.21
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.05	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	130485.30	130485.30
राजस्व	Revenue	...	130450.60	130450.60
पूंजी	Capital	...	34.70	34.70

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01	(का)	0.01
2416-कृषि वित्तीय संस्थान	2416-Agricultural Financial Institutions	...	0.01	(खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04		0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:			
(क)	(i) राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.25 करोड़)।	(a)	(i)	Grants-in-aid General under National Bamboo Mission (₹ 2.25 crore).	
	(ii) 'राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन' के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य-सहायता अनुदान (₹ 16 करोड़)।		(ii)	Grants-in-aid General under National Bee Keeping and Honey Mission (₹ 16 crore).	
	(iii) 'पादप किस्म एवं कृषक अधिकार का संरक्षण' के अंतर्गत की अतिरिक्त सहायता अनुदान-वेतन (₹ 1.48 करोड़)।		(iii)	Grants-in-aid Salaries under Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights (₹ 1.48 crore).	
	(iv) 'बीज एवं पौध रोपण सामग्री पर उपमिशन' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 14 करोड़)।		(iv)	Grants-in-aid General under Sub-Mission on Seeds & Planting Material (₹ 14 crore).	
	(v) 'राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान' के अंतर्गत की अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.79 करोड़)।		(v)	Grants-in-aid Salaries under National Institute of Plant Health Management (₹ 1.79 crore).	
	(vi) 'कृषि विस्तार पर उपमिशन' के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.98 करोड़) एवं अतिरिक्त विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 10 करोड़)।		(vi)	Grants-in-aid Salaries (₹ 0.98 crore) and additional expenditure for Advertising and Publicity (₹ 10 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes under Sub Mission on Agriculture Extension.	
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी योजना के तहत सामान्य घटक के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी (₹ 4.50 करोड़)।	(b)		additional Subsidy for General Component under Interest Subsidy for Short Term Credit to Farmers (₹ 4.50 crore).	
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)।	(c)	(i)	Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under Organic Value Chain Development for NE Region (₹ 10 crore).	
	(ii) कृषि सहकारिता पर समेकित स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.25 करोड़)।		(ii)	Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation (₹ 5.25 crore).	

- (घ) अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (d) राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना के अंतर्गत सामान्य घटक के लिए (₹ 1.03 करोड़) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के लिए (₹ 0.30 करोड़) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए (₹ 0.20 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान।
- अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General for General Component (₹ 1.03 crore), for Special Component for Scheduled Castes (₹ 0.30 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹ 0.20 crore) under National Project on Agro Forestry.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)
(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8078.76	8078.76
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	8078.76	8078.76
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8078.79	8078.79
राजस्व	Revenue	...	8078.79	8078.79
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	...	0.01	(का) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	(i)	(a)	(i)
	जलवायु अनुकूल कृषि पहल स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.51 करोड़)।		Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Climate Resilient Agriculture Initiative (₹ 5.51 crore).
	(ii)		(ii)
	डेयरी अनुसंधान, संस्थान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 13.87 करोड़)।		Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Animal Science institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research institutes & Schemes (₹ 13.87 crore).
	(iii)		(iii)
	बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.57 करोड़)।		Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under Tribal Area Sup-plan for Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.57 crore).
	(iv)		(iv)
	अनुसूचित जातियों के लिए जलवायु अनुकूल कृषि पहल स्कीम की विशेष घटक योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.21 करोड़)।		Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under Special Component Plan for Scheduled Castes for Climate Resilient Agriculture Initiative scheme (₹ 0.21 crore).
	(v)		(v)
	अनुसूचित जातियों के लिए कृषि इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों की विशेष घटक योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.80 करोड़)।		Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under Special Component Plan for Scheduled Castes for the scheme of Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.80 crore).
	(vi)		(vi)
	अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत कृषि इंजीनियरी संस्थानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1.15 करोड़)।		Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Engineering institutes under Research and Education Schemes (₹ 1.15 crore).
	(vii)		(vii)
	राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं) के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 4.82 करोड़)।		Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for National Agricultural Higher Education Project (Externally Aided Projects) (₹ 4.82 crore).
	(viii)		(viii)
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 9.48 करोड़)।		Grants-in-aid General (₹ 2 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 9.48 crore) to Indian Council of Agricultural Research for Headquarter Administration.

- (ix) अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत बागवानी संस्थानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.66 करोड़)।
- (x) कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.20 करोड़)।
- (xi) डेयरी अनुसंधान, संस्थान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.64 करोड़)।
- (xii) फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।
- (xiii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखण्ड को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 6.80 करोड़)।
- (xiv) कृषि में मौलिक, कार्यान्वितिक और सीमांत अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 15.06 करोड़)।
- (xv) कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.67 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.22 करोड़)।
- (ii) बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.01 करोड़)।
- (iii) कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.26 करोड़)।
- (iv) फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 12 करोड़)।
- (v) बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3.31 करोड़)।
- (vi) कृषि इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.21 करोड़)।
- अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ix) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Horticulture Institutes under Tribal Area Sup-plan under the scheme of Research and Education Schemes (₹ 1.66 crore).
- (x) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Tribal Area Sup-plan under the scheme of Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 0.20 crore).
- (xi) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under Tribal Area Sup-plan for Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research institutes & Schemes (₹ 1.64 crore).
- (xii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under Tribal Area Sup-plan for Crop Science Institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.01 crore).
- (xiii) Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural Universities Bundelkhand (₹ 6.80 crore).
- (xiv) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (₹ 15.06 crore).
- (xv) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Other Natural Resource Management institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 4.67 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural Universities, Imphal (₹ 0.22 crore).
- (ii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 9.01 crore).
- (iii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Other Natural Resource Management institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 8.26 crore).
- (iv) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Crop Science Institutes Research and Education Schemes (₹ 12 crore).
- (v) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 3.31 crore).
- (vi) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Engineering institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.21 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)
(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	14957.52	14958.52
पूँजी	Capital	10.00	9399.37	9409.37
जोड़	Total	11.00	24356.89	24367.89
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	547.35	547.35
पूँजी	Capital	...	180.29	180.29
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11.00	25084.57	25095.57
राजस्व	Revenue	1.00	15504.88	15505.88
पूँजी	Capital	10.00	9579.69	9589.69
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(क) 0.01
2801-विद्युत	2801-Power	...	200.00	(ख) 200.00
2852-उद्योग	2852-Industries	...	181.93	(ग) 181.93
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	...	165.41	(घ) 165.41
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	547.35	547.35
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूँजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	180.28	(ङ) 180.28
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूँजी परिव्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research	...	0.01	(च) 0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	180.29	180.29
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	727.64	727.64
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	(-)3.73	(-)3.73
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूँजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	(-)180.28	(-)180.28
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	-184.01	-184.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) सचिवालय को सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.42 करोड़)।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ए. सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) ईंधन के आयात (एनएफसी) हेतु ₹ 200 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।
इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) (i) यूसीआईएल (एनएफसी) के बकाया का भुगतान (₹ 100 करोड़) (ii)

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards Grant in aid General to DAE Secretariat (₹ 0.42 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure of Rs 200 crore towards import of Fuel (NFC).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (c) meeting additional expenditure towards (i) payment of arrears

नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (एनआरबी) के प्रचालनगत व्यय (गैर-वेतन) (₹ 70 करोड़) और (iii) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के लिए प्रचालनगत व्यय (गैर-वेतन) (₹ 29 करोड़), नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (एनआरबी) (₹ 26.18 करोड़) नाभिकीय ईंधन परिसर (एनएफसी) (₹ 58.41 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान में उपलब्ध ₹ 3.73 करोड़ की अनुरूपी वसूलियों ₹ 8.20 करोड़ की प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 170 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (घ) (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) (₹ 80 करोड़), राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआरसीएटी) (₹ 23.78 करोड़) और परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान महानिदेशालय (एएमडीईआर) (₹ 5.63 करोड़) के प्रचालन व्यय को पूरा करने के लिए (ii) सहायता प्राप्त संस्थानों को (₹ 50 करोड़) और एईईएस को वेतन सहायता अनुदान (₹ 6 करोड़) और (iii) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) (₹ 0.07 करोड़) और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) (₹ 0.02 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के लिए प्रचालनगत व्यय (वेतन- भिन्न) (₹ 94.92 करोड़) पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान में उपलब्ध ₹ 35.41 करोड़ की अनुरूपी प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 130 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ङ) (i) फीड स्टॉक (₹ 177 करोड़) और भारी जल उत्पादन सुविधा (₹ 3.28 करोड़) (ii) परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान महानिदेशालय (एएमडीईआर) (₹ 0.65 करोड़) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) (₹ 2.84 करोड़) के लिए मशीनरी और उपकरण (iii) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के लिए मुख्य निर्माण कार्य (₹ 2.10 करोड़) और (iv) भारी जल उत्पादन सुविधा (₹ 33.17 करोड़) हेतु प्रचालन व्यय (वेतन- भिन्न) पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान में उपलब्ध ₹ 180.28 करोड़ की अनुरूपी वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (च) (i) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) के लिए मशीनरी और उपकरण (₹ 13.62 करोड़) (ii) निर्माण, सेवा और सम्पदा प्रबंधन निदेशालय (डीसीएसईएम) (₹ 25 करोड़) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (₹ 60 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

to UCIL (NFC) (₹ 100 crore) and operational expenditure (non-salary) of Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 70 crore) (iii) operational expenditure (non-salary) for Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 29 crore), Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 26.18 crore) and Nuclear Fuel Complex(NFC) (₹ 58.41 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, matching recoveries of ₹ 3.73 crore and receipts of ₹ 8.20 crore available in this grant, this will entail a cash outgo of ₹ 170 crore.

meeting operational expenditure for (i) Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 80 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (RRCAT) (₹ 23.78 crore) and Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research(AMDER) (₹ 5.63 crore) (ii) Grant in aid Salary to Aided Institutes (₹ 50 crore) and to AEES (₹ 6 crore) and (iii) Grant in aid General to Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 0.07 crore) and Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) (₹ 0.02crore) and (iv) for meeting operational expenditure (non-salary) for Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 94.92 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the grant and matching Receipts of ₹ 35.41 crore in the grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 130 crore.

meeting 1. additional expenditure towards (i) Feed Stock (₹ 177 crore and Heavy Water Production Facility (₹ 3.28 crore) (ii) Machinery and Equipments for Atomic Mineral Directorate for Exploration & Research(AMDER) (₹ 0.65 crore) and Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 2.84 crore) (iii) Major Works for Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 2.10 crore) and 2. operational expenditure (non salary) for Heavy Water Production Facility (₹ 33.17 crore) .

Taking into account the savings available in the same section of the grant and matching recoveries of ₹ 180.28 available in the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure towards (i) Machinery and Equipments for Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) (₹ 13.62 crore) (ii) Major Works for Directorate of Constructions, Service and Estate Management (DCSEM) (₹ 25 crore) and DAE R&D Projects (₹ 60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2445.55	2445.55
पूँजी	Capital	...	0.21	0.21
जोड़	Total	...	2445.76	2445.76
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2445.82	2445.82
राजस्व	Revenue	...	2445.61	2445.61
पूँजी	Capital	...	0.21	0.21
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गक)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन" (₹ 5.37 करोड़) (2) "केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद" (₹ 0.25 करोड़) (3) "अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान" (₹ 7.55 करोड़) (4) "केंद्रीय होम्योपैथी परिषद" (₹ 0.25 करोड़) (5) "आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान" (₹ 1.50 करोड़) (6) "राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान" (₹ 6 करोड़) (7) "केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद" (₹ 5.19 करोड़) (8) "राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान" (₹ 8.11 करोड़) (9) "केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद" (₹ 3.50 करोड़) (10) "राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान" (₹ 5.72 करोड़) (11) "केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद" (₹ 4.50 करोड़) (12) "राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान" (₹ 2.50 करोड़) (13) "केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद" (₹ 2.75 करोड़) (14) "राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस)" स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.68 करोड़) (15) "केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद" (₹ 2 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान और (iii) (1) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (₹ 25.50 करोड़) (2) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (₹ 22.50 करोड़) (3) राष्ट्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (₹ 3 करोड़) (4) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (₹ 25 करोड़) (5) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (₹ 4.50 करोड़) (6) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (₹ 10 करोड़) (7) केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद (₹ 20 करोड़) तथा (8) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) (₹ 0.45 करोड़) (iii) एनआईएफ से जीबीएस को निधि के अंतरण के कारण राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.65 करोड़)। [एनएएम के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलना (सकल बजटीय सहायता (जीबीएस))]

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants-in-aid-General under the scheme (1) Promotion of International Cooperation ₹ 5.37 crore, (2) Central Council for Indian Medicine (₹ 0.25 crore), (3) All India Institute of Ayurveda (₹ 7.55 crore), (4) Central Council for Homeopathy (₹ 0.25 crore), (5) Institute of Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda (₹ 1.50 crore), (6) National Institute of Ayurveda (₹ 6 crore), (7) Central Council for Research in Ayurveda Science (₹ 5.19 crore), (8) National Institute of Homeopathy (₹ 8.11 crore), (9) Central Council for Research in Homeopathy (₹ 3.50 crore), (10) National Institute of Unani Medicine (₹ 5.72 crore), (11) Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 4.50 crore), (12) National Institute of Siddha (₹ 2.50 crore), (13) Central Council for Research in Siddha (₹ 2.75 crore), (14) National AYUSH Mission (NAM)(GBS) (₹ 10.68 crore) and (15) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy (₹ 2 crore). (ii) Grant for creation of capital assets under the scheme (1) All India Institute of Ayurveda (₹ 25.50 crore), (2) National Institute of Ayurveda (₹ 22.50 crore), (3) Central Council for Research in Ayurveda Science (₹ 3 crore), (4) National Institute of Homeopathy (₹ 25 crore), (5) Central Council for Research in Homeopathy (₹ 4.50 crore), (6) National Institute of Siddha (₹ 10 crores), (7) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy (₹ 20 crores) and (8) National AYUSH Mission (NAM)(GBS) (₹ 0.45 crores). (iii) Professional Services under the scheme National AYUSH Mission (NAM)(GBS) (₹ 0.65 crores) due to transfer of funds from NIF to GBS [Opening of new head of account under NAM (Gross Budgetary Support (GBS))].

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) एनआईएफ से जीबीएस को निधियों के अंतरण, एनएएम (सकल बजटीय सहायता) (जीबीएस) के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलना की वजह से (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन एनएएम (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 21.82 करोड़) तथा (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन एनएएम (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 25.39 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण, एनआईएफ से जीबीएस में निधियों के अंतरण, एनएएम (जीबीएस) के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलने के परिणामस्वरूप व्यय को नियमित करने हेतु (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 277.70 करोड़) एससीएसपी (₹ 22 करोड़), टीएसपी (₹ 10 करोड़) तथा (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 148.43 करोड़) [एससीएसपी (₹ 20 करोड़ तथा टीएसपी (₹ 12 करोड़)]
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) एनआईएफ से जीबीएस में निधियों के अंतरण, एनएएम (जीबीएस) के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलने के फलस्वरूप (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.10 करोड़) तथा (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.28 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

[Due to transfer funds from NIF to GBS, opening of new head of account under NAM (GBS)]. (i) Grants-in-aid-General under the scheme National AYUSH Mission (NAM)(GBS) (₹ 21.82 crore) and (ii) Grant for creation of capital assets under the scheme National AYUSH Mission (NAM)(GBS) (₹ 25.39 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component, due to transfer of funds from NIF to GBS, opening of new head under NAM (GBS) (i) Grants-in-aid-General under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS) (₹ 277.70 crore) SCSP (₹ 22 crore), TSP (₹ 10 crore) and (ii) Grant for creation of capital assets under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS) (₹ 148.43 crore) [SCSP (₹ 20 crore) and TSP (₹ 12 crore)].

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

[Due to transfer of funds from NIF to GBS, opening of new head of accounts under NAM (GBS)] (i) Grants-in-aid-General under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS) (₹ 1.10 crore) and (ii) Grant for creation of capital assets under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS) (₹ 1.28 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 5

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	263.65	263.65
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	263.65	263.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	106.53	106.53
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	106.53	106.53
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	370.18	370.18
राजस्व	Revenue	...	370.18	370.18
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	106.53	106.53

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) की देनदारियों का भुगतान करने के लिए (₹ 100 करोड़) (ii) भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि और न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए (₹ 6.53 करोड़) और (iii) वाराणसी में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) की स्थापना (₹ 1.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 106.53 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) making payment of liabilities of Assam Gas Cracker Project (AGCP) (₹ 100 crore), (ii) making payment to ex-gratia to Bhopal Gas Victims & Salary for Judicial Officers (₹ 6.53 crore) and (iii) setting up of Central Institute for Plastic Engineering & Technology (CIPET) Centre at Varanasi (₹ 1.50 crore).
Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 106.53 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	83514.95	83514.95
पूंजी	Capital	...	0.05	0.05
जोड़	Total	...	83515.00	83515.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	83515.01	83515.01
राजस्व	Revenue	...	83514.96	83514.96
पूंजी	Capital	...	0.05	0.05
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पोषण आधारित सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत सिटी कम्पोस्ट के लिए भुगतान (₹ 1.85 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

payment for City Compost under Nutrient Based Subsidy scheme (₹ 1.85 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)
(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	230.45	230.45
पूँजी	Capital	...	5.06	5.06
जोड़	Total	...	235.51	235.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	160.00	160.00
जोड़	Total	...	160.00	160.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	168.12	168.12
जोड़	Total	...	168.13	168.13
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	563.64	563.64
राजस्व	Revenue	...	230.46	230.46
पूँजी	Capital	...	333.18	333.18
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(क) 0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6857-रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	...	168.12	(ख) 168.12
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	168.13	168.13

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) (₹ 10.00 करोड़) और (ii) एनआईपीईआर तथा जन औषधि योजना के अनुसूचित जाति विशेष घटक और जनजातीय क्षेत्र उपयोग के लिए नया लेखा शीर्ष खोलना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित भारतीय औषध एवं भेषज लि. (आईडीपीएल), राजस्थान औषध एवं भेषज लि. (आरडीपीएल) और हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक लि. (एचएएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के भुगतान नहीं किए गए/ वीआरएस देयताओं का भुगतान (₹ 168.12 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 166.82 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPERs) (₹ 10.00 crore) and (ii) opening of new heads of account for Special Component for Scheduled Caste (SCSP) and Tribal Area Sub Plan (TSP) for NIPER and Jan Aushadhi Schemes.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) payment of employee's liabilities of unpaid salary/Voluntary Retirement Scheme (VRS) of Public Sector Undertakings (PSUs) of Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited (IDPL), Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Limited (RDPL) and Hindustan Antibiotics Limited (HAL) as approved by Cabinet (₹ 168.12 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 166.82 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)
 (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4474.99	4474.99
पूँजी	Capital	...	25.01	25.01
जोड़	Total	...	4500.00	4500.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4500.02	4500.02
राजस्व	Revenue	...	4475.01	4475.01
पूँजी	Capital	...	25.01	25.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कौशल विकास के लिए नागर विमानन सेक्टर में संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.05 करोड़)।
 अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid General to Institutions in Civil Aviation Sector for Skill Development (₹ 0.05 crore).
 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1159.05	1159.05
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1159.05	1159.05
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1159.06	1159.06
राजस्व	Revenue	...	1159.06	1159.06
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) "कोयला खान में संरक्षण एवं सुरक्षा" स्कीम की जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत (₹ 0.11 करोड़) और अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत (₹ 0.11 करोड़)। (ii) कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास स्कीम की जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत (₹ 0.71 करोड़) और अनुसूचित जनजाति उप-योजना के अंतर्गत (₹ 0.71 करोड़) हेतु सब्सिडियों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure on subsidies (i) under Tribal Area Sub Plan (₹ 0.11 crore) and under Scheduled Caste Sub Plan (₹ 0.11 crore) of scheme "Conservation and Safety in Coal Mines" (ii) under Tribal Area Sub Plan (₹ 0.71 crore) and under Scheduled Caste Sub Plan (₹ 0.71 crore) of scheme "Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)
(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	5709.31	5709.32
पूंजी	Capital	...	510.00	510.00
जोड़	Total	0.01	6219.31	6219.32
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	218.03	218.05
पूंजी	Capital	...	65.00	65.00
जोड़	Total	0.02	283.03	283.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.47	150.97	151.44
पूंजी	Capital	...	344.97	344.97
जोड़	Total	0.47	495.94	496.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	6998.28	6998.78
राजस्व	Revenue	0.50	6078.31	6078.81
पूंजी	Capital	...	919.97	919.97

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	0.47 (का)	...	0.47
2407-पौधरोपण	2407-Plantations	...	75.97 (खब)	75.97
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	75.00 (गक)	75.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.47	150.97	151.44
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	344.97 (घद)	344.97
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.47	495.94	496.41

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'सचिवालय' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभारों (₹ 0.47 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।
अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.50 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (8 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 5 करोड़) और सब्सिडियां (₹ 21.14 करोड़) (ii) 'कॉफी बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.29 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 21.24 करोड़) और सब्सिडियां (₹ 7.46 करोड़) (iii) 'रबड़ बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 21 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 48.80 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1 करोड़) (iv) 'मसाला बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 7 करोड़) और सब्सिडियां (₹ 2 करोड़) अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 75.97 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ग) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: (i) 'कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 10 करोड़), (ii) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़), और सब्सिडियां (₹ 15.21 करोड़) (iii) 'शुल्क

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) Meeting expenditure towards: Other charges (₹ 0.47 crore) under the scheme 'Secretariat'.
Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) Meeting expenditure towards: (i) GIA General (₹ 3.50 crore), GIA Salary (₹ 8.00 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) and Subsidies (₹ 21.14 crore) under the scheme 'Tea Board', (ii) GIA General (₹ 4.29 crore), GIA Salary (₹ 21.24 crore) and Subsidies (₹ 7.46 crore) under the scheme 'Coffee Board', (iii) GIA General (₹ 21.00 crore), GIA Salary (₹ 48.80 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Rubber Board', (iv) GIA General (₹ 4.00 crore), GIA Salary (₹ 7.00 crore) and Subsidies (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Spices Board'.
Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 75.97 crore.
- (c) Meeting expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Agriculture Product Export Development Authority (APEDA)', (ii) GIA General (₹ 5.00 crore) and Subsidies (₹ 15.21 crore) under the scheme 'Marine Product

वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 150.55 करोड़) (iv) 'रत्न और आभूषण क्षेत्र' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 5 करोड़), (v) 'निर्यात स्कीमों के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 35 करोड़), (vi) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 50 करोड़), (vii) 'कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 0.01 करोड़), अन्य प्रभार (₹ 0.01 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 75 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (घ) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: (i) 'ईसीजीसी (निर्यात ऋण गारंटी निगम) में निवेश' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹ 300 करोड़) और (ii) भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम (एमएमटीसी) द्वारा बोनस शेयरों का निर्गम (₹ 44.97 करोड़)।

₹ 44.97 करोड़ की प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 300 करोड़ का नकद व्यय होगा।

Export Development Authority (MPEDA)', (iii) Subsidies (₹ 150.55 crore) under the scheme 'Duty Draw Back', (iv) Grants for creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) under the scheme 'Gem & Jewellery Sector', (v) Grants for creation of Capital Assets (₹ 35.00 crore) under the scheme 'Trade Infrastructure for Export Schemes (TIES)', (vi) Grants for creation of Capital Assets (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Indian Institute of Foreign Trade' (vii) Subsidies (₹ 0.01 crore), other charges (₹ 0.01 crore) and Professional Services (₹ 0.01 crore) under the scheme 'Implementation of Agriculture Export Policy'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 75.00 crore.

Meeting expenditure towards: (i) Investment (₹ 300 crore) under the scheme 'Investment in ECGC (Export Credit Guarantee Corporation)' and (ii) Issue of Bonus Shares by Metals and Minerals Trading Corporation of India Ltd. (MMTC) (₹ 44.97 crore).

Taking into account the receipts of ₹ 44.97 crore, this will entail a cash outgo of ₹ 300 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)
(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:				I. ORIGINAL GRANT:
राजस्व	...	5001.79	5001.79	Revenue
पूँजी	...	672.72	672.72	Capital
जोड़	...	5674.51	5674.51	Total
पूरक अनुदान:				SUPPLEMENTARY GRANT:
राजस्व	...	400.50	400.50	Revenue
पूँजी	...	165.00	165.00	Capital
जोड़	...	565.50	565.50	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:				Supplementary Estimate of the amount now required:
राजस्व	...	0.03	0.03	Revenue
पूँजी	...	270.50	270.50	Capital
जोड़	...	270.53	270.53	Total
जोड़ (मूल और पूरक)	...	6510.54	6510.54	Total (Original plus Supplementary)
राजस्व	...	5402.32	5402.32	Revenue
पूँजी	...	1108.22	1108.22	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग				REVENUE SECTION
मुख्य शीर्ष				MAJOR HEAD
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01	(क) 0.01	2552-North Eastern Areas
2852-उद्योग	...	0.01	(ख) 0.01	2852-Industries
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	...	0.01	(ग) 0.01	2885-Other Outlays on Industries and Minerals
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.03	0.03	Total (Revenue Section)
पूँजी भाग				CAPITAL SECTION
मुख्य शीर्ष				MAJOR HEAD
4875-अन्य उद्योगों पर पूँजी परिव्यय	...	270.50	(घ) 270.50	4875-Capital Outlay on Other Industries
जोड़ (पूरक)	...	270.53	270.53	Total (Supplementary)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) (i) 'पूर्वोत्तर उद्योग और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 100 करोड़) और (ii) 'पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईआईसी-2017)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 1 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a) Meeting expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 100.00 crore) under the scheme 'North Eastern Industrial and Investment Promotion Policy (NEIIPP)' and (ii) Subsidies (₹ 1.00 crore) under the scheme 'North East Industrial Development Scheme (NEIDS-2017)'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) 'भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 124.50 करोड़) अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b) Meeting expenditure towards: GIA General (₹ 124.50 crore) under the Scheme 'Indian Leather Development Programme (ILDPP)'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) (i) 'राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) और पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 95 करोड़) तथा (ii) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 30 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c) Meeting expenditure towards: (i) GIA General (₹ 5.00 crore) & Grants for Creation of Capital Assets (₹ 95.00 crore) under the scheme 'National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT)' and (ii) Subsidies (₹ 30.00 crore) under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) (i) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹ 166.31 करोड़) और (ii) 'प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹ 154.31 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 20.50 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, इसमें ₹ 250 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(d) Meeting expenditure towards: (i) Investment (₹ 166.31 crore) under the scheme 'Fund of Funds' and (ii) Investment (₹ 154.31 crore) under the scheme 'Exhibition-Cum-Convention Centre, Dwarka'. Taking into account the surrender of savings of ₹ 20.50 crore available in the Revenue Section of the Grant and after utilizing the savings with in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 250.00 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 12

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.80	30411.20	30412.00
पूंजी	Capital	...	947.74	947.74
जोड़	Total	0.80	31358.94	31359.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1303.87	1303.87
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1303.87	1303.87
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.80	32662.81	32663.61
राजस्व	Revenue	0.80	31715.07	31715.87
पूंजी	Capital	...	947.74	947.74

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	...	1303.87	1303.87

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन (₹ 1,135.86 करोड़), पेंशन (₹ 128.90 करोड़) मजदूरी तथा अन्य प्रयोजनमूलक आवश्यकताओं (₹ 39.11 करोड़) पर संस्थापना व्यय के लिए ₹ 1,303.87 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 1,099.39 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional requirement of ₹ 1,303.87 crore towards establishment expenses on salary (₹ 1,135.86 crore), Pension (₹ 128.90 crore), wages and other functional requirement (₹ 39.11 crore).

Taking into account the savings available in the capital section of the grant, this supplementary will entail cash outgo of ₹ 1,099.39 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14-15 देखिये)

(See page 14-15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	30693.64	30693.64
पूँजी	Capital	...	9719.72	9719.72
जोड़	Total	...	40413.36	40413.36
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	40413.37	40413.37
राजस्व	Revenue	...	30693.65	30693.65
पूँजी	Capital	...	9719.72	9719.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बीएसएनएल/एमटीएनएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने हेतु ₹ 5,000 करोड़ तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹ 527.71 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए। अनुदान इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 5,000 crore for payment of ex-gratia to the employees opting for voluntary retirement scheme and ₹ 527.71 crore towards implementation of voluntary retirement scheme in BSNL/MTNL. Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought; This will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 14

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)
 (See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2240.32	2240.32
पूँजी	Capital	...	51.50	51.50
जोड़	Total	...	2291.82	2291.82
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2291.84	2291.84
राजस्व	Revenue	...	2240.34	2240.34
पूँजी	Capital	...	51.50	51.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली स्कीम के अंतर्गत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹ 2.50 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid General to Indian Institute of Public Administration under the scheme of Integrated Consumer Grievances Redressal System (₹ 2.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17-18 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 17-18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 13 of the First

Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	190914.27	190914.27
पूँजी	Capital	...	51326.12	51326.12
जोड़	Total	...	242240.39	242240.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	0.01	0.02
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	0.01	0.03	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	242240.43	242240.44
राजस्व	Revenue	0.01	190914.29	190914.30
पूँजी	Capital	...	51326.14	51326.14

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद हेतु राज्यों को अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी प्रदान करना (₹ 508.35 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Providing additional Food Subsidy to States for Decentralized Procurement of Foodgrains under National Food Security Act (₹ 508.35 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 16

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	570.34	570.34
पूँजी	Capital	...	41.00	41.00
जोड़	Total	...	611.34	611.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	12.85	12.85
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	12.85	12.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	15.65	15.65
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	15.65	15.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	639.84	639.84
राजस्व	Revenue	...	598.84	598.84
पूँजी	Capital	...	41.00	41.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	3.33 (का)	3.33
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	12.32 (खब)	12.32
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	15.65	15.65

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) विभिन्न स्थानों यथा अमरावती, इंदौर, इलाहाबाद में राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण पीठ की स्थापना के लिए किराए के कार्यालयों के नवीकरण, नई दिल्ली स्थित एमटीएनएल भवन हेतु लघु निर्माण कार्य, ब्लॉक 12 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, 8वां तल का एचटी हाउस, नई दिल्ली के नवीकरण और आरओसी देहरादून के लिए किराए पर ली गई जगह के नवीकरण के लिए (₹ 3 करोड़) (ii) एमसीए-21 परियोजना के चरण-II के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, सीसीएन एन के माध्यम से ई-फार्म में परिवर्तन और एमसीए-21 वी2 परियोजना के तहत अलग-अलग जगहों पर नेटवर्क संपर्कता बदलने के लिए (₹ 0.33 करोड़)।

अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) भारतीय शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.42 करोड़), भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान को सहायता अनुदान (₹ 0.70 करोड़), स्थापना संबंधी व्यय हेतु राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (₹ 10.20 करोड़)।

अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) minor works towards renovation of hired offices for setting up of National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal Benches at various places viz. Amravati, Indore, Allahabad, MTNL Building at New Delhi, Renovation of Block 12 CGO Complex, New Delhi, 8th floor, HT House, New Delhi and renovation of space hired for ROC Dehradun (₹ 3 crore). (ii) Information Technology for Phase-II MCA21 Project, Changes in eForm through CCNs and Shifting of network connectivity at different location under MCA21 v2 project (₹ 0.33 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(b) Grants-in-Aid General for Insolvency and Bankruptcy Board of India (₹ 1.42 Crore), Grants-in-Aid to Indian Institute of Corporate Affairs (₹ 0.70 crore), National Company Law Tribunal towards establishment related expenses (₹ 10.20 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)
(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2953.21	2953.21
पूँजी	Capital	...	89.14	89.14
जोड़	Total	...	3042.35	3042.35
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3042.39	3042.39
राजस्व	Revenue	...	2953.24	2953.24
पूँजी	Capital	...	89.15	89.15
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01	(का) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) बौद्ध तिब्बती संस्थाओं और स्मारकों (₹ 3 करोड़) (2) जनजातीय उपयोग (₹ 0.10 करोड़) और (3) अनुदानग्राही निकाय (₹ 3.07 करोड़) और (ii) बौद्ध तिब्बती संस्थाओं और स्मारक स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.35 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) अनुदानग्राही निकायों के लिए बौद्ध तिब्बती संस्थाओं और स्मारकों हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.49 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants in aid General under the scheme (1) Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 3 crore) (2) Tribal Sub Plan (₹ 0.10 crore) and (3) Grantee Bodies (₹ 3.07 crore) and (ii) Grant in Aid Salaries under the scheme Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 3.35 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants in aid General for Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 0.49 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

रक्षा मंत्रालय (नागरिक)

MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21-22 देखिये)

(See page 21-22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.66	27270.00	27270.66
पूँजी	Capital	35.00	6932.85	6967.85
जोड़	Total	35.66	34202.85	34238.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.07	2218.81	2218.88
पूँजी	Capital	5.00	254.20	259.20
जोड़	Total	5.07	2473.01	2478.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	40.73	36675.86	36716.59
राजस्व	Revenue	0.73	29488.81	29489.54
पूँजी	Capital	40.00	7187.05	7227.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	0.05 (का)	700.28 (खb)	700.33
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	0.02 (गc)	90.78 (घd)	90.80
2055-पुलिस	2055-Police	...	124.68 (ङe)	124.68
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...	0.23 (चf)	0.23
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	...	1247.84 (छg)	1247.84
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	45.00 (जh)	45.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	10.00 (झi)	10.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.07	2218.81	2218.88
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	5.00 (टj)	95.00 (ठk)	100.00
5054-सड़क और पुलों पर पूँजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	159.20 (डl)	159.20
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	5.00	254.20	259.20
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	5.07	2473.01	2478.08

यह पूरक अनुदानेविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	रक्षा लेखा विभाग में न्यायिक आदेशों के कारण उत्पन्न ₹ 0.05 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।	(a)	meeting additional expenditure of ₹ 0.05 crore arising out of court decrees in Defence Accounts Department. The above expenditure will entail cash outgo;
(ख)	रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, सीमा सड़क संगठन, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन के विभिन्न स्थापना संबंधी शीर्षों के अंतर्गत ₹ 633.87 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, रक्षा संपदा संगठन के अंतर्गत कैंटोनमेंट बोर्ड को ₹ 64.45 करोड़ का अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देने, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान को ₹ 1.96 करोड़ का अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देने के लिए। अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 695.12 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(b)	meeting additional expenditure of ₹ 633.87 crore under various establishment related heads for Department of Defence, Department of Defence Productions, Border Roads Organisation, Defence Accounts Department, Defence Estates Organisation; additional grants-in-aid general of ₹ 64.45 crore to Cantonment Boards under Defence Estates Organization; additional grants-in-aid general of ₹ 1.96 crore to Institute of Defence Studies and Analysis. Taking into account additional receipts, this will entail ₹ 695.12 crore as cash outgo;
(ग)	तट रक्षक संगठन में न्यायिक आदेशों के कारण उत्पन्न ₹ 0.02 करोड़ का व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।	(c)	meeting expenditure of ₹ 0.02 crore arising out of court decrees in Coast Guard Organisation. The above expenditure will entail a cash outgo;
(घ)	तट रक्षक संगठन के स्थापना से संबंधित शीर्षों के अंतर्गत ₹ 90.78 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।	(d)	meeting additional expenditure of ₹ 90.78 crore under establishment related heads of Coast Guard Organisation. This will entail cash outgo;
(ङ)	जम्मू एवं काश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री के स्थापना व्यय के अंतर्गत ₹ 124.68 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।	(e)	meeting additional expenditure of ₹ 124.68 crore under establishment expenditure of Jammu & Kashmir Light Infantry. This will entail cash outgo;

(च)	कार्यालय भवन के अनुरक्षण एवं मरम्मत के तहत ₹ 0.23 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।	(f)	meeting additional expenditure of ₹ 0.23 crore towards maintenance & repairs of office buildings. This will entail cash outgo;
(छ)	"आपूर्ति एवं सामग्री" , "सामान्य सहायता अनुदान" और स्थापना संबंधी व्यय के अंतर्गत मुख्यतः कैंटिन भण्डार विभाग के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। ₹ 1,247.84 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।	(g)	meeting additional expenditure of Canteen Stores Department (₹ 1,247.84 crore), mainly under 'Supplies and Materials', 'grants in aid general' and establishment related expenditure. Taking into account the additional receipt of ₹ 1,253 crore, this will not entail cash outgo;
(ज)	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में ₹ 10 करोड़ अतिरिक्त अंतरण के लिए और ₹ 2 करोड़ अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने और सीमा सड़क संगठन के सड़क निर्माण कार्य के लिए ₹ 33 करोड़ की पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।	(h)	meeting additional transfer of ₹ 10 crore to Central Road and Infrastructure Fund and for providing additional Grants in aid General of ₹ 2 crore and Grants for creation of Capital assets of ₹ 33 crore for Road works of Border Roads Organisation. The above expenditure will entail a cash outgo;
(झ)	कार्यनीतिक सड़कों के लिए राज्य सरकारों को ₹ 10 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराने के लिए। अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।	(i)	providing additional grants of ₹ 10 crore to State Governments for strategic roads. Taking into account the additional recoveries, this will not entail cash outgo;
(ट)	तट रक्षक संगठन द्वारा मध्यस्थता पंचाट के कारण उत्पन्न ₹ 5 करोड़ का भुगतान। इसमें नकद व्यय होगा।	(j)	payment of ₹ 5 crore arising out of arbitration awards, by Coast Guard Organisation. This will entail cash outgo;
(ठ)	जलपोतों, वायुयान और जहाजी बेड़ों के प्रापण के लिए ₹ 80 करोड़ और भूमि अधिग्रहण ₹ 15 करोड़ के तहत कुल ₹ 95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।	(k)	additional expenditure of ₹ 95 crore towards acquisition of Ships, Aircraft and Fleets (₹ 80 crore) and land acquisition (₹ 15 crore). This will entail cash outgo; and
(ड)	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में अतिरिक्त अंतरण के तहत ₹ 136.64 करोड़ और सीमा सड़कों के निर्माण पर ₹ 31.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए ₹ 159.20 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। अतिरिक्त वसूलियों पर विचार करते हुए इसमें ₹ 22.56 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(l)	meeting additional expenditure of ₹ 136.64 crore towards additional transfers to Central Road and Infrastructure Fund and ₹ 31.50 crore on construction of border roads. After taking into account the savings available within the same section of the grant, supplementary for the balance amount of ₹ 159.20 crore is sought. Considering the additional recoveries, this will entail ₹ 22.56 crore as cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)
(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	102.92	222254.47	222357.39
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	102.92	222254.47	222357.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2000.00	2000.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2000.00	2000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	2.33	1997.67	2000.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	2.33	1997.67	2000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	105.25	226252.14	226357.39
राजस्व	Revenue	105.25	226252.14	226357.39
पूँजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	...	605.39	(का) 605.39
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	...	475.74	(ख) 475.74
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	0.80	(ग) 447.66	(घ) 448.46
2080-रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research and Development	1.53	(ङ) 468.88	(च) 470.41
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	2.33	1997.67	2000.00

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'सेना के वेतन और भत्ते' (₹ 126.62 करोड़), 'संबद्ध बलों के वेतन और भत्ते' (₹ 60 करोड़), 'नागरिकों के वेतन और भत्ते' (₹ 100 करोड़), 'परिवहन' (₹ 500 करोड़), 'भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (₹ 1591.03 करोड़), 'निर्माण कार्य' (₹ 373.56 करोड़), 'राष्ट्रीय राइफल्स' (₹ 179.72 करोड़), 'राष्ट्रीय कैडेट कोर' (₹ 11.80 करोड़), 'अन्य व्यय' (₹ 0.01 करोड़) तथा 'निरीक्षण-गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक' (₹ 84 करोड़) पर ₹ 3,026.74 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 605.39 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) 'नौसेना के वेतन और भत्ते' (₹ 3.80 करोड़), 'नागरिकों के वेतन और भत्ते' (₹ 94.93 करोड़), 'मरम्मत और पुनर्सज्जा' (₹ 373.85 करोड़), 'भंडार' (₹ 71.83 करोड़) तथा 'संयुक्त स्टॉफ' (₹ 89.72 करोड़) पर ₹ 634.13 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 475.74 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ग) वायुसेना के लिए 'वायुसेना के वेतन और भत्ते' (₹ 1.09 करोड़), 'निर्माण कार्य' (₹ 0.25 करोड़) और 'अन्य व्यय' (₹ 1 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय मामलों के कारण उत्पन्न ₹ 2.34 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 0.80 करोड़ का पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।

(घ) 'वायुसेना के वेतन और भत्ते' (₹ 178.91 करोड़), 'परिवहन' (₹ 128.37 करोड़), 'भंडार' (₹ 245.35 करोड़), 'विशेष परियोजना' (₹ 0.11 करोड़) और 'अन्य व्यय' (₹ 25.17 करोड़) पर ₹ 577.91 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 3,026.74 crore on pay and allowances of Army (₹ 126.62 crore), 'Pay and Allowances of Auxiliary Forces' (₹ 60 crore), 'Pay and Allowances of Civilians' (₹ 100 crore), 'transportation' (₹ 500 crore), 'Ex-servicemen Contributory Health Scheme' (₹ 1,591.03 crore), 'works' (₹ 373.56 crore), 'Rashtriya Rifles' (₹ 179.72 crore), 'National Cadet Corps' (₹ 11.80 crore), 'other expenditure' (₹ 0.01 crore) and 'Inspection-Director General Quality Assurance' (₹ 84 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail cash out go of ₹ 605.39 crore.

(b) meeting additional expenditure of ₹ 634.13 crore on 'Pay and Allowances' of Navy (₹ 3.80 crore), 'Pay & Allowances' of Civilians (₹ 94.93 crore), 'repairs & refits' (₹ 373.85 crore), 'stores' (₹ 71.83 crore), and 'Joint Staff' (₹ 89.72 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the grant, this will entail cash out go of ₹ 475.74 crore.

(c) meeting additional expenditure of ₹ 2.34 crore arising out of court cases under 'Pay and Allowances' of Air Force (₹ 1.09 crore), 'works' (₹ 0.25 crore) and 'other expenditure' (₹ 1 crore) for Air Force.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, supplementary for ₹ 0.80 crore is sought. This will entail cash out go.

(d) meeting additional expenditure of ₹ 577.91 crore on 'Pay and Allowances' of Air Force (₹ 178.91 crore), 'transportation' (₹ 128.37 crore), 'stores' (₹ 245.35 crore), 'special project' (₹ 0.11 crore) and 'other expenditure' (₹ 25.17 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 447.66 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ड) 'नागरिकों के वेतन और भत्ते' (₹ 1.68 करोड़) तथा अनुसंधान और विकास के 'निर्माण कार्य' (₹ 0.03 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय मामलों के कारण उत्पन्न ₹ 1.71 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1.53 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (च) 'प्रशिक्षण' (₹ 1 करोड़), 'अनुसंधान' (₹ 151.90 करोड़), 'नागरिकों के वेतन और भत्ते' (₹ 157.57 करोड़), 'भंडार' (₹ 139.50 करोड़) और 'अन्य व्यय' (₹ 18.34 करोड़) के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के ₹ 468.91 करोड़ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 468.88 करोड़ का नकद व्यय होगा।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail cash out go of ₹ 447.66 crore.

meeting additional expenditure of ₹ 1.71 crore arising out of court cases under 'pay and allowances of civilians' (₹ 1.68 crore) and 'works' (₹ 0.03 crore) of Research and Development.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail cash out go of ₹ 1.53 crore.

meeting additional expenditure of ₹ 468.91 crore for Defence Research and Development Organisation under 'training' (₹ 1 crore), 'research' (₹ 151.90 crore), 'Pay and Allowances of Civilians' (₹ 157.57 crore), 'stores' (₹ 139.50 crore), and 'other expenditure' (₹ 18.34 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail cash out go of ₹ 468.88 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	83.35	103310.96	103394.31
जोड़	Total	83.35	103310.96	103394.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	11.55	6988.45	7000.00
जोड़	Total	11.55	6988.45	7000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	94.90	110299.42	110394.32
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	94.90	110299.42	110394.32

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	11.55 (का)	6988.45 (खb)	7000.00

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सेना के लिए (i) 'निर्माण कार्य' ₹ 6 करोड़, (ii) वायु सेना के लिए 'भूमि' (₹ 5 करोड़), 'निर्माण कार्य' (₹ 1.80 करोड़), (iii) रक्षा आयुध निर्माणियों के लिए 'मशीन और उपकरण' (₹ 3.45 करोड़) और (iv) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लिए 'निर्माण कार्य' (₹ 15 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय के मामले के कारण उत्पन्न ₹ 31.25 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 11.55 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) (i) सेना के लिए 'वायुयान एवं वायु इंजन' (₹ 121.99 करोड़), 'अन्य उपकरण' (₹ 154.51 करोड़ और 'राष्ट्रीय कैडेट कोर' (₹ 25 करोड़) पर ₹ 301.51 करोड़, (ii) नौसेना के लिए 'अन्य उपकरण' (₹ 100 करोड़), 'नौसेना बेड़ा' (₹ 2,001.99 करोड़) और 'नौसेना गोदी' (₹ 967 करोड़) के अंतर्गत ₹ 3,068.99 करोड़ (iii) वायु सेना के लिए 'अन्य उपकरण' (₹ 8,427.38 करोड़) और 'निर्माण कार्य' (₹ 523.20 करोड़) पर ₹ 8,950.58 करोड़ (iv) रक्षा आयुध निर्माणियों के लिए 'मशीनरी और उपकरण' पर ₹ 8.55 करोड़ (v) गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक के लिए निरीक्षण संबंधी 'कार्य' पर ₹ 5 करोड़ (vi) प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत 'मेक प्रोसीजर ऑफ एयर फोर्स' पर ₹ 33.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 6,988.45 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 31.25 crore arising out of court cases under (i) 'works' (₹ 6 crore) for Army; (ii) 'land' (₹ 5 crore), 'works' (₹ 1.80 crore) for Air Force; (iii) 'machine and equipments' (₹ 3.45 crore) for Defence Ordnance Factories; and (iv) 'works' (₹ 15 crore) for Defence Research and Development Organisation. Taking into account the savings available in the same section of Grant, supplementary for the balance amount of ₹ 11.55 crore is sought. This will entail cash outgo.

(b) meeting additional expenditure of (i) ₹ 301.51 crore on 'Aircraft and Aeroengines' (₹ 121.99 crore), 'other equipments' (₹ 154.51 crore) and 'National Cadet Corps' (₹ 25 crore) for Army; (ii) ₹ 3,068.99 crore under 'other equipments' (₹ 100 crore) and 'Naval Fleet' (₹ 2,001.99 crore), 'Naval dockyard' (₹ 967 crore) for Navy (iii) ₹ 8,950.58 crore on 'other equipments' (₹ 8,427.38 crore) and 'works' (₹ 523.20 crore) for Air Force; (iv) ₹ 8.55 crore on 'machinery and equipments' for Defence Ordnance Factories; (v) ₹ 5 crore on 'works' of inspection for Director General Quality Assurance; (vi) ₹ 33.50 crore on 'make procedure of Air Force' under Technology Development. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount of ₹ 6,988.45 crore is sought. This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	2.46	112077.11	112079.57
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	2.46	112077.11	112079.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	3.34	5727.53	5730.87
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	3.34	5727.53	5730.87
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5.80	117804.64	117810.44
राजस्व	Revenue	5.80	117804.64	117810.44
पूँजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	3.34 (का)	5727.53 (खब)	5730.87

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न भुगतानों को पूरा करने के लिए (₹ 3.34 करोड़)।
- (ख) मुख्य रूप से बढ़ी हुई मंहगाई राहत तथा पेंशन भोगियों की संख्या बढ़ने के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5,727.53 करोड़)।

इस पूरक अनुदान में ₹ 5,730.87 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting payments arising out of Court decrees (₹ 3.34 crore); and
- (b) meeting additional expenditure mainly on account of enhanced dearness relief and increase in number of pensioners (₹ 5,727.53 crore).

This supplementary will entail ₹ 5,730.87 crore as cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 22

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2292.80	2292.80
पूँजी	Capital	...	767.20	767.20
जोड़	Total	...	3060.00	3060.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	24.08	24.08
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	24.09	24.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3084.11	3084.11
राजस्व	Revenue	...	2316.89	2316.89
पूँजी	Capital	...	767.22	767.22
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(का) 0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6885-उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	6885-Other Loans to Industries and Minerals	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना के तहत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदान करना (₹ 12.64 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ए. सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफसी) को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए (₹ 30 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ए. सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) providing additional allocation for Externally Aided Project (EAP) under North East Road Sector Development Scheme (₹ 12.64 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) providing additional funds for Interest free loan to North Eastern Development Finance Corporation Ltd (NEDFi) (₹ 30.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)
(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1765.05	1765.05
पूंजी	Capital	...	141.00	141.00
जोड़	Total	...	1906.05	1906.05
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1906.08	1906.08
राजस्व	Revenue	...	1765.07	1765.07
पूंजी	Capital	...	141.01	141.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403-Oceanographic Research	...	0.01 (क) (a)	0.01
3455-मौसम विज्ञान	3455-Meteorology	...	0.01 (ख) (b)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) स्वायत्त निकाय "राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान" (एनआईओटी) को क्रमशः अपने परिसर के रखरखाव तथा एनआईओटी के कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण और उपदान के लिए एनआईसी के साथ कॉर्पस निधि सृजित करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 14.78 करोड़) (ii) वैज्ञानिकों और उनके कर्मचारीवृंद के बड़े हुए वेतन और भत्तों के कारण स्वायत्त निकाय "राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केन्द्र" (एनसीपीओआर) को वेतन सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) (iii) गहरे महासागर मिशन के अंतर्गत नए क्रियाकलापों, बहुधात्विक नोड्युल्स (पीएमएन) परियोजनाओं के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय चलयान और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) के अनुरक्षण के लिए महासागर सेवाएं प्रतिरूपण अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओएसएमएआरटी) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 13.04 करोड़) तथा (iv) ध्रुवीय प्रयोगशाला, कंटेनर प्रांगण के निर्माण और मौजूदा प्रयोगशाला ब्लॉक के विस्तार करने के लिए ध्रुवीय विज्ञान एवं क्रायोस्फियर (पीएसीआईआर) स्कीम को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 12 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) उच्च निष्पादन संगणना (एचपीसी) संविदात्मक सेवाओं पर बड़े हुए व्यय और अतिरिक्त 200 जिला कृषि मौसम इकाइयों (डीएमयू) (चरण-II) के प्रारंभिक कार्य शुरू करने और प्रेक्षणात्मक नेटवर्क की अत्याधुनिक प्रणालियों, आईएमडी की अवसंरचना का व्यापक वार्षिक अनुरक्षण (एफएमएस, एचपीसी की एएमसी हेतु एचएमएस) सहित शेष प्राधिकृतियों का भुगतान करने के लिए वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-प्रतिरूपण प्रेक्षण प्रणालियां व सेवाएं (अक्रोस) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8 करोड़) और लघु निर्माण कार्य (₹ 15.50 करोड़) तथा (ii) अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक कांग्रेस के लिए भूकंप विज्ञान और भू-विज्ञान (एसएजीई) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25.73 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) providing additional Grant under (i) Grant-in-Aid General (₹ 1 crore) and Grant-in-Aid Salary (₹ 14.78 crore) to Autonomous Body "National Institute of Ocean Technology" (NIOT) for maintenance of NIOT campus and creation of corpus fund with LIC for leave encashment and gratuity of its employees respectively (ii) Grant-in-Aid Salary (₹ 2 crore) to Autonomous Body "National Centre for Polar and Ocean Research" (NCPOR) on account of increased pay and allowances of Scientist and its staff (iii) Grant-in-Aid General (₹ 13.04 crore) to Ocean Services Modelling Application Resources and Technology (OSMART) for new activities under Deep Ocean Mission, maintenance of MoES ship and Environmental Impact Assessment (EIA) for Poly Metallic Nodules (PMN) projects and (iv) Grant for creation of Capital Assets (₹ 12 crore) to scheme Polar Science and Cryosphere (PACER) for construction of Polar lab, container yard and extension of existing lab block.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) providing additional Grant under (i) Grants-in-Aid General (₹ 8 crore) and Minor Works (₹ 15.50 crore) to Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services (ACROSS) for increased expenditure against High Performance Computing (HPC) Contractual Services and starting the preparatory work for additional 200 District Agromet Units (DAMUs) (Phase-II) and Comprehensive Annual Maintenance (AMCs)/AMCs of the state of the art systems of observational network, IMD's infrastructure and payment of pending/ ongoing AMC bills and balance authorizations along with other liabilities (FMS, HMS for AMC of HPC) respectively and (ii) Grant-in-Aid General (₹ 25.73 crore) to Seismological and Geosciences (SAGE) for International Geological Congress.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6306.00	6306.00
पूँजी	Capital	...	348.00	348.00
जोड़	Total	...	6654.00	6654.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6654.05	6654.05
राजस्व	Revenue	...	6306.04	6306.04
पूँजी	Capital	...	348.01	348.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय (₹ 17.80 करोड़) को पूरा करने के लिए।	(a)	meeting an expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 17.80 crore) in respect of "National Knowledge Network Programme" for development of North Eastern Region.
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। निम्नलिखित के तहत व्यय को पूरा करने के लिए (i) "आईटी/आईईएस उद्योगों का संवर्धन" (₹ 20 करोड़), "सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास" (₹ 18.70 करोड़), "अनुप्रयुक्त सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी एवं अनुसंधान सोसाइटी (समीर)" (₹ 10 करोड़) और "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम (जनजातीय उप-योजना)" (₹ 21.84 करोड़) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (ii) "इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र-सी-मेट" से संबंधित पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3.25 करोड़) (iii) "इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ एवं क्लस्टर विनिर्माण)" से संबंधित पेशेवर सेवाएं (₹ 1 करोड़) (iv) सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास के संबंध में अन्य प्रभार (₹ 0.30 करोड़)।	(b)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting an expenditure towards (i) Grants-in-Aid General in respect of "Promotion of IT/ITeS Industries" (₹ 20 crore), "R&D in Information Technology/Electronics/CCBT" (₹ 18.70 crore), "Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research-SAMEER" (₹ 10 crore) and "National Knowledge Network Programme (under Tribal Sub-Plan)" (₹ 21.84 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3.25 crore) in respect of "Centre for Materials for Electronic Technology-C-MET" (iii) Professional Services (₹ 1 crore) in respect of "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Cluster Manufacturing)" (iv) Other Charges in respect of R&D in Information Technology/Electronics/CCBT" (₹ 0.30 crore).
(ग)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। आंकड़ा केन्द्रों और क्लाउड सेवाओं के लिए "राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र" के संबंध में मशीनरी और उपकरण के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 10 करोड़)।	(c)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting an expenditure (₹ 10 crore) towards Machinery & Equipment in respect of "National Informatics Centre" for Data Centres and Cloud Services.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2998.20	2998.20
पूँजी	Capital	...	64.52	64.52
जोड़	Total	...	3062.72	3062.72
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital	0.29	0.02	0.31
जोड़	Total	0.29	0.05	0.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.29	3062.79	3063.08
राजस्व	Revenue	...	2998.25	2998.25
पूँजी	Capital	0.29	64.54	64.83
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	0.01	(क) 0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1 करोड़)।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 7.50 करोड़)।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 1 crore) for Indian Institute of Forest Management.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 7.50 crore) for GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)
(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3211.46	3211.46
पूँजी	Capital	...	17208.97	17208.97
जोड़	Total	...	20420.43	20420.43
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	13.69	13.69
पूँजी	Capital	...	33.97	33.97
जोड़	Total	...	47.66	47.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	578.33	578.33
पूँजी	Capital	...	7536.20	7536.20
जोड़	Total	...	8114.53	8114.53
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	28582.62	28582.62
राजस्व	Revenue	...	3803.48	3803.48
पूँजी	Capital	...	24779.14	24779.14
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	228.16 (का)	228.16
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	350.17 (खब)	350.17
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	578.33	578.33
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूँजी परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	...	2900.00 (गक)	2900.00
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	3753.00 (घद)	3753.00
5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	...	858.20 (डे)	858.20
7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	7610-Loans to Government Servants, etc.	...	25.00 (चफ)	25.00
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	7536.20	7536.20
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	8114.53	8114.53
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूँजी परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	...	(-)2900.00	(-)2900.00
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	(-)2750.00	(-)2750.00
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	(-)5650.00	(-)5650.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.68 करोड़) (ii) सॉवरेन स्वर्ण बांड स्कीम 2015 के अंतर्गत स्वर्ण प्रारक्षित निधि को अंतरण (₹ 228.16 करोड़)।

इसमें ₹ 228.16 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants in Aid General (₹ 0.68 crore). (ii) Transfer to Gold Reserve Fund under Sovereign Gold Bond Scheme 2015 (₹ 228.16 crore)

This will entail a net cash outgo of ₹ 228.16 crore.

(ख)	(i) जीआईजेड को सेवाकर (₹ 12.00 करोड़) (ii) एग्जिम बैंक को व्याज समकरण सहायता (₹ 373.65 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 350.17 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(b)	(i) Service Tax to GIZ (₹ 12.00 crore). (ii) Interest Equilization Support to EXIM Bank (₹ 373.65 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 350.17 crore.
(ग)	स्वर्ण मौद्रिकरण स्कीम, 2015 के अंतर्गत जुटाए गए स्वर्ण का मूल्य (₹ 3700 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों और ₹ 2900 करोड़ की अनुरूपी वसूलियों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	value of gold mobilized under Gold Monetization Scheme, 2015 (₹ 3700 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, and matching recoveries of ₹ 2900 crore, this will not entail any additional cash outgo;
(घ)	(i) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण (₹ 2750 करोड़) (ii) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (₹ 1003 करोड़)। ₹ 2750 करोड़ की अनुरूपी वसूलियों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 1003 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(d)	(i) Transfer to National Investment Fund (₹ 2750 crore) (ii) National Investment and Infrastructure Fund (₹ 1003 crore). Taking into account the matching recoveries of ₹ 2750 crore, this will entail a cash outgo of ₹ 1003 crore.
(ङ)	(i) प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से मूल्य का अनुरक्षण (एमओवी)-आईएमएफ बाध्यता (₹ 858.02 करोड़) (ii) ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) को अभिदान- नया विकास बैंक (एनडीबी) (₹ 2220 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। मूल्य का अनुरक्षण (एमओवी)-आईएमएफ बाध्यता संबंधी व्यय प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से पूरा किया जाएगा। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 0.18 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(e)	Meeting expenditure towards (i) Maintenance of Value (MoV)-IMF Obligation (₹ 858.02 crore) through issue of securities. (ii) Subscription to Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS)-New Development Bank (NDB) (₹ 2220 crore) The expenditure towards Maintenance of Value (MoV)-IMF Obligation will be matched through issue of securities. Taking into account the savings within the same section of the grant, this will entail cash outgo of ₹ 0.18 crore.
(च)	गृह निर्माण अग्रिम हेतु व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।	(f)	meeting expenditure towards House Building Advances. The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 28

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	400.55	400.55
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	400.55	400.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	42.33	42.33
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	42.33	42.33
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	442.88	442.88
राजस्व	Revenue	...	442.88	442.88
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01 (का)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	42.32 (खब)	42.32
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	42.33	42.33
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मुंबई तथा चेन्नई के नवीकरण कार्य (₹ 1.78 करोड़)।	(a)	renovation work of Regional Training Centers, Mumbai and Chennai (₹ 1.78 crore)	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	प्रधानमंत्री-किसान योजना तथा शास्त्री पार्क, दिल्ली तथा हैदराबाद में डाटा केन्द्रों के लिए प्रस्तावित हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर की खरीद तथा पीएफएमएस के विकास केन्द्र तथा पीएफएमएस के लिए अनुप्रयोग निष्पादन निगरानी साधन हेतु (₹ 42.32 करोड़)।	(b)	procurement of Hardware & Software proposed for PM-KISSAN Yojna and Data Centres at Shastri Park, Delhi and Hyderabad and Development Centre of PFMS and for Application Performance Monitoring Tool for PFMS (₹ 42.32 crore)	
	इसमें नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)
(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1305.16	1305.16
पूँजी	Capital	...	73935.04	73935.04
जोड़	Total	...	75240.20	75240.20
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	2500.00	2500.00
जोड़	Total	...	2500.00	2500.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	373.83	373.83
पूँजी	Capital	...	5770.00	5770.00
जोड़	Total	...	6143.83	6143.83
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	83884.03	83884.03
राजस्व	Revenue	...	1678.99	1678.99
पूँजी	Capital	...	82205.04	82205.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	2.59 (का)	2.59
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	13.17 (खब)	13.17
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	58.08 (गक)	58.08
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परियोजना	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	299.99 (घद)	299.99
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	373.83	373.83
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4416-कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions	...	470.00 (डे)	470.00
4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूँजी परियोजना	4885-Other Capital Outlay on Industries and Minerals	...	5300.00 (चा)	5300.00
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	5770.00	5770.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	6143.83	6143.83

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सचिवालय-डीएफएस के लिए स्थापना संबंधी व्यय (₹ 2.59 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) किराया, दर और कर के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) (₹ 4.41 करोड़) तथा पीएफआरडीए के लिए सामान्य सहायता अनुदान और वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.57 करोड़)।

इसमें ₹ 13.17 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ग) अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 66.80 करोड़) और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी सह-अंशदान (₹ 68.14 करोड़)।

इसमें ₹ 58.08 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(घ) भारग्रस्त अस्तित्व स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन अनुरूपी अतिरिक्त प्राप्तियों से होगा (₹ 299.99 करोड़)।

इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूनर्पूँजीकरण (₹ 470 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

(च) भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को पुनर्पूँजीकरण बांड के माध्यम से इक्विटी सहायता (₹ 5300 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) establishment related expenditure for Secretariat-DFS (₹ 2.59 crore).

(b) The above expenditure will entail a cash outgo; Debts Recovery Tribunals (DRTs) under Rent, Rates and Taxes (₹ 4.41 crore), Grants-in-aid (General) and Grants-in-aid (Salary) to PFRDA (₹ 10.57 crore),

(c) The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 13.17 crore; Grants-in-aid (General) as Incentive (₹ 66.80 crore) under Atal Pension Yojana; and Government's co-contribution (₹ 68.14 crore) under Atal Pension Yojana .

(d) The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 58.08 crore only;

(e) redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF) and is matched with additional receipts (₹ 299.99 crore).

(f) The above expenditure will not entail cash outgo; Recapitalisaion of Regional Rural Banks (₹ 470 crore).

(g) The above expenditure will entail a cash outgo; Equity support to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) through recapitalisation bonds (₹ 5300 crore).

This will not entail cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 31

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	203457.98	203458.00
पूँजी	Capital	...	8.73	8.73
जोड़	Total	0.02	203466.71	203466.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	40030.77	40030.77
पूँजी	Capital	...	8.27	8.27
जोड़	Total	...	40039.04	40039.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	243505.75	243505.77
राजस्व	Revenue	0.02	243488.75	243488.77
पूँजी	Capital	...	17.00	17.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	17.11 (का)	17.11
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services	...	13.66 (खb)	13.66
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	32400.00 (गc)	32400.00
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	7600.00 (घd)	7600.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	40030.77	40030.77
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	0.01 (ङe)	0.01
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	8.26 (चf)	8.26
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	8.27	8.27
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	40039.04	40039.04
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)16200.00	(-)16200.00
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)3800.00	(-)3800.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)20000.00	(-)20000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) वोडाफोन, केयर्न एंड वेदांता रिसोर्सेज, द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों पर व्यय, फिननेट परियोजना के किराए का भुगतान (₹ 17.11 करोड़) (ii) 'लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत किराए पर लिए गए कार्यालय में सिविल तथा वैद्युत संबंधी कार्य के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान (₹ 3 करोड़)।
इसमें ₹ 17.11 करोड़ नकद व्यय होगा।
- (ख) स्थापना संबंधी व्यय तथा एफएटीएफ को प्रतिबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अंशदान का भुगतान (₹ 13.66 करोड़)।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) expenditure on international arbitration matters invoked by Vodafone, Cairn and Vedanta Resources, payment of rent as well as for the project FINnet (₹ 17.11 crore), (ii) a token supplementary to undertake the civil and electrical work in hired office space under 'Minor Works' (₹ 3 crore).
This will entail a cash outgo of ₹ 17.11 crore.
- (b) establishment related expenses and towards payment of committed international contributions to FATF (₹ 13.66 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;

(ग)	जीएसटी के प्रारंभ होने पर राज्य सरकारों को हुई राजस्व हानि हेतु जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 32,400 करोड़ प्रदान करना अर्थात् (जीएसटी क्षतिपूर्ति तथा लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि हेतु अंतरण, प्रत्येक के लिए ₹ 16,200 करोड़)। इसमें ₹ 16,200 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(c)	₹ 32,400 crore i.e., ₹ 16,200 crore each for release of GST Compensation and transfer to GST Compensation Fund in Public Account is required to compensate the revenue loss to State Governments on rollout of GST. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 16,200 crore.
(घ)	जीएसटी के प्रारंभ होने पर विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को हुई राजस्व हानि हेतु जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 7,600 करोड़ प्रदान करना अर्थात् (जीएसटी क्षतिपूर्ति तथा लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि हेतु अंतरण, प्रत्येक के लिए ₹ 3,800 करोड़)। इसमें ₹ 3,800 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(d)	₹ 7,600 crore i.e., ₹ 3,800 crore each for release of GST Compensation and transfer to GST Compensation Fund in Public Account is required to compensate the revenue loss to UT Governments with Legislatures on rollout of GST. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 3,800 crore.
(ङ)	माल और सेवा कर नेटवर्क –विशेष प्रयोजन व्यवस्था में निवेश (₹ 2.56 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	Investment in Goods and Services Tax Network-Special Purpose Vehicle (₹ 2.56 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	राजस्व भवन का निर्माण (₹ 8.26 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।	(f)	construction of Rajaswa Bhawan (₹ 8.26 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 32

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)
(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7036.44	7036.44
पूंजी	Capital	...	302.00	302.00
जोड़	Total	...	7338.44	7338.44
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	181.96	181.96
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	181.98	181.98
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7520.44	7520.44
राजस्व	Revenue	...	7218.40	7218.40
पूंजी	Capital	...	302.04	302.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure	...	181.96	(का) 181.96
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(खब) 0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(गक) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	181.98	181.98

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	वेतन एवं कार्यालय व्यय (₹ 105 करोड़) तथा स्थापना संबंधी व्यय (₹ 76.96 करोड़)। इसमें ₹ 181.96 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(a)	establishment related expenses including salary (₹ 76.96 crore) and Office Expenses (₹ 105 crore). The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 181.96 crore.
(ख)	इरोड में कार्यालय इमारत निर्माण के लिए (₹ 5 करोड़), एर्नाकुलम कोची, केरल में आयकर भवन के निर्माण लिए (₹ 2 करोड़), डिब्रुगढ़ में कार्यालय इमारत के निर्माण (₹ 1 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	construction of office building at Erode (₹ 5 crore); construction of Aayakar Bhawan at Ernakulam, Kochi, Kerala (₹ 2 crore); construction of office building at Dibrugarh (₹ 1 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	अजमेर विकास प्राधिकरण में आवासीय कालोनी के निर्माण के लिए भूमि की खरीद (₹ 18.45 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	purchase of land from Development Authority, Ajmer for construction of residential colony (₹ 18.45 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 34
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग**

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)
(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	177.69	4832.22	5009.91
पूँजी	Capital	...	16.00	16.00
जोड़	Total	177.69	4848.22	5025.91
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	27.39	27.39
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	27.39	27.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	88.00	88.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	88.00	88.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	177.69	4963.61	5141.30
राजस्व	Revenue	177.69	4947.61	5125.30
पूँजी	Capital	...	16.00	16.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit	...	88.00	88.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

‘एक आईएएडी, एक प्रणाली’ के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Information Technology for "One IAAD, One System".
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 36 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी

REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	5983187.09	...	5983187.09
जोड़	Total	5983187.09	...	5983187.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	363201.91	...	363201.91
जोड़	Total	363201.91	...	363201.91
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6346389.00	...	6346389.00
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	6346389.00	...	6346389.00
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6001-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	6001-Internal Debt of Central Government	363201.91	...	363201.91

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाजार ऋणों (स्विचिंग) की वापसी अदायगी 91/364 दिन राजकोषीय वृद्धियाँ, नकद प्रबंधन वृद्धियाँ अर्थोपाय अग्रिम, अंतराष्ट्रीय वित्त संस्थानों को जारी प्रतिभूतियों का मोचन, एनएसएसएफ तथा स्वर्ण मौद्रिकरण योजना (₹ 363201.91 करोड़) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन।

विनियोग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए शेष के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि व्यय की प्राप्तियाँ द्वारा पूर्ति की जाएगी।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

repayment of market loans (switching), 91/364 days T Bills, Cash Management Bills, Ways and Means Advances, Redemption of securities issued to International Financial Institutions, Redemption of Securities issued to NSSF and Gold Monetization Scheme (₹ 363201.91 crore).

Taking into account the savings available in the Appropriation, supplementary for the balance is sought. This will not entail cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 37

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	380.10	49184.90	49565.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	380.10	49184.90	49565.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	5.00	1995.00	2000.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	5.00	1995.00	2000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	385.10	51179.90	51565.00
राजस्व	Revenue	385.10	51179.90	51565.00
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	5.00 (कa)	1995.00 (खb)	2000.00

यह पूरक अनुदानेविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants/Appropriations are required for:	
(क)	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की छुट्टी के नकदीकरण के भुगतान के प्रति अधिक आवश्यकताओं को पूरा करना;	(a)	meeting higher requirements towards payment of leave encashment to Judges of High Court; and
(ख)	पेंशनभोगियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण अधिक आवश्यकता, सरकारी अंशदान 10% से बढ़ाकर14% होने तथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान विलंबित जमा पर ब्याज की अदायगी, सरकारी सेवकों की मृत्यु / अपंगता पर राहत में वृद्धि तथा मंहगाई राहत में वृद्धि की अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।	(b)	meeting higher requirement arising out of increase in number of pensioners, increase in Government contribution from 10% to 14% and payment of interest on delayed deposits of contributions under Defined Contributory Pension Scheme, increase in relief on death/disability of Government servants and increase in dearness relief.
इसमें नकद व्यय होगा।		The above supplementary will entail a cash outgo.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 38

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)
(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	120466.22	32480.00	152946.22
पूँजी	Capital	19823.28	...	19823.28
जोड़	Total	140289.50	32480.00	172769.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	1000.00	0.01	1000.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	1000.00	0.01	1000.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	2243.66	...	2243.66
पूँजी	Capital	5276.72	...	5276.72
जोड़	Total	7520.38	...	7520.38
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	148809.88	32480.01	181289.89
राजस्व	Revenue	123709.88	32480.01	156189.89
पूँजी	Capital	25100.00	...	25100.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	2243.66	(का) ...	2243.66
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	5276.72	(खब) ...	5276.72
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	7520.38	...	7520.38

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्थानीय निकायों-शहरी निकायों के लिए बकाया राशि के भुगतान तथा अनुदानों के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 2243.66 करोड़)। अनुदान राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्लॉक ऋण) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराने के लिए (₹ 5276.72 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध अनुरूपी प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) providing additional allocation for the payment of arrears under Grants for Local Bodies - Urban Bodies (₹ 2243.66 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue (voted) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) providing additional allocation to the States under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Block loans) (₹ 5276.72 crore). Taking into account the matching receipts available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 39

मत्स्य पालन विभाग

DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	790.58	790.58
पूंजी	Capital	...	14.17	14.17
जोड़	Total	...	804.75	804.75
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	804.76	804.76
राजस्व	Revenue	...	790.59	790.59
पूंजी	Capital	...	14.17	14.17
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मात्स्यिकी एकीकृत विकास और प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.12 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid General under Tribal Area Sub Plan under the scheme of Integrated Development & Management of Fisheries (₹ 2.12 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 40

पशु पालन और डेरी कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3301.01	3301.01
पूंजी	Capital	...	41.64	41.64
जोड़	Total	...	3342.65	3342.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	18.65	18.65
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	18.65	18.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3361.32	3361.32
राजस्व	Revenue	...	3319.68	3319.68
पूंजी	Capital	...	41.64	41.64

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01	(का)	0.01
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development	...	18.63	(खb)	18.63
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	18.65		18.65

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	(i) खुर एवं मुँह रोग और ब्रुसलसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 253.56 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 46.89 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 29.05 करोड़) और विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 9.30 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	(a)	(i) Grants-in-aid General for General Component (₹ 253.56 crore), for Schedule Caste Sub Plan (₹ 46.89 crore), for Tribal Area Sub Plan (₹ 29.05 crore) and for Advertising & Publicity (₹ 9.30 crore) under the scheme of National Animal Disease Control Programme for Foot & Mouth Disease and Brucellosis.
	(ii) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)।		(ii) Grants-in-aid Salary for Veterinary Council of India (₹ 0.30 crore).
	(iii) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ए. सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		(iii) Grants-in-aid General under the scheme of Livestock Health and Disease Control (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) दिल्ली दुग्ध योजना के अंतर्गत आपूर्ति और सामग्री हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 18.63 करोड़)।	(b)	(i) meeting additional expenditure for Supply & Materials under Delhi Milk Scheme (₹ 18.63 crore).
	(ii) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.51 करोड़)।		(ii) Grants-in-aid General under Scheduled Castes Sub Plan under National Programme for Dairy Development (₹ 0.51 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।		
(ग)	पशुधन गणना तथा एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ए. सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Grants-in-aid General under the scheme of Live Stock Census and Integrated Sample Survey (₹ 2 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 41

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1196.60	1196.60
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1196.60	1196.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1196.62	1196.62
राजस्व	Revenue	...	1196.62	1196.62
पूँजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- खाद्य प्रसंस्करण तथा संरक्षण क्षमताओं के सृजन/विस्तार की योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 42.02 करोड़)।
- बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज के सृजन की योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 9.96 करोड़)।
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता तथा प्रबन्धन (एनआईएफटीईएम) के लिए सामान्य सहायता अनुदानों (₹ 6.37 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.34 करोड़) हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करना।
- एकीकृत प्रशीतन श्रृंखलाएं तथा मूल्य वर्धन अवसरचना की योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 36.66 करोड़)।
- कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति उप योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 2.45 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- Grants-in-aid General under the Scheme for Creation/Expansion of Food Processing and Preservation Capacities (₹ 42.02 crore).
- Grants-in-aid General under the Scheme for Creation of Backward and Forward Linkages (₹ 9.96 crore).
- Grants-in-aid General (₹ 6.37 crore) and Grants in Aid-Salaries (₹ 3.34 crore) for National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management.
- Grants-in-aid General under the Scheme for Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure (₹ 36.66 crore),
- Grants-in-aid General under Scheduled Caste Sub Plan under the scheme for Agro Processing Clusters (₹ 2.45 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)
(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	90145.25	90145.25
पूँजी	Capital	...	2890.20	2890.20
जोड़	Total	...	93035.45	93035.45
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.07	0.07
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.09	0.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूँजी	Capital	...	55.01	55.01
जोड़	Total	...	55.06	55.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	93090.60	93090.60
राजस्व	Revenue	...	90145.37	90145.37
पूँजी	Capital	...	2945.23	2945.23
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (का)	0.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	0.01 (खब)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गक)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (घद)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (डे)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.05	0.05
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	55.00 (च)	55.00
4211-परिवार कल्याण पर पूँजी परिव्यय	4211-Capital Outlay on Family Welfare	...	0.01 (छग)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	55.01	55.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	55.06	55.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत (स्वच्छता कार्यवाई योजना (एसएपी) के प्रावधान सहित) सामान्य सहायता अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए (1) भारतीय रेडक्रास सोसायटी (₹ 0.40 करोड़) (2) सेंट जॉन एम्बुलेंस (₹ 0.04 करोड़) (3) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 26.70 करोड़) (4) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (₹ 7.50 करोड़) (5) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 39.36 करोड़) (6) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 129.99 करोड़) (7) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहर लाल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, पुदुचेरी (₹ 280.09 करोड़) (8) कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा (₹ 20.70 करोड़) (9) लाला राम स्वरूप क्षयरोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 16.99 करोड़) (10) नई दिल्ली क्षयरोग केंद्र (₹ 0.70 करोड़) (11) भारतीय पास्चर संस्थान, कुन्नूर (₹ 42.10 करोड़) और (12) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (₹ 30.25 करोड़) II. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹ 853.40 करोड़) - एचईएफए ऋण में वृद्धि (₹ 50 करोड़), एचईएफए ऋण पर ब्याज (₹ 70 करोड़), निधियों का सीआरआईएफ से जीबीएस घटक में अंतरण (₹ 10 करोड़) और अतिरिक्त व्यय (₹ 733.40 करोड़) (2) राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम-एनडीडीटीसी, एम्स, नई दिल्ली (₹ 1.50 करोड़)

The supplementary Grants are required for:

(a)

(i) Grant-in-aid General (including provision for Swachhta Action Plan (SAP) under the schemes:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- Indian Red Cross Society (₹ 0.40 crore) 2- St. John Ambulance (₹ 0.04 crore) 3- Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi - (₹ 26.70 crore) 4- Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹ 7.50 crore) 5- All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 39.36 crore) 6- Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 129.99 crore) 7- Regional Post Graduate Centre, Jawahar Lal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pudducherry (₹ 280.09 crore) 8- Kasturba Health Society, Wardha (₹ 20.70 crore) 9- Lala Ram Swaroop Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (₹ 16.99 crore) 10- New Delhi T.B Centre (₹ 0.70 crore) 11- Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 42.10 crore) and 12- National Institute of Biological, Noida (₹ 30.25 crore) II- To meet additional expenditure under the following Schemes: 1- Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (₹ 853.40 crore)

(iii) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए (1) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 10.50 करोड़) (2) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (₹ 97.55 करोड़) (3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 247.89 करोड़) (4) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 72.38 करोड़) (5) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 325 करोड़) (6) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहर लाल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, पुदुचेरी (₹ 259.90 करोड़) (7) लाला राम स्वरूप क्षयरोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 2.80 करोड़) (8) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर (₹ 12 करोड़) और (9) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (₹ 3.30 करोड़) II. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 1.90 करोड़) (2) राज्यों में परा चिकित्सा विज्ञान राज्य संस्थानों की स्थापना और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में व्यय हेतु परा चिकित्सा शिक्षा कॉलेजों की स्थापना (₹ 6.85 करोड़) (iii) निम्नलिखित के लिए वेतन सहायता अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए (1) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 28.30 करोड़) (2) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (₹ 29.45 करोड़) (3) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 25.73 करोड़) (4) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 1045 करोड़) (5) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहर लाल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, पुदुचेरी (₹ 560 करोड़) (6) कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा (₹ 50 करोड़) (7) लाला राम स्वरूप क्षयरोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 62 करोड़) (8) नई दिल्ली क्षयरोग केंद्र (₹ 4.75 करोड़) (9) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर (₹ 11.50 करोड़) और (10) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (₹ 12.85 करोड़) II. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹ 16 करोड़) (2) राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम (₹ 4.75 करोड़)-एनडीडीटीसी, एम्स, नई दिल्ली (₹ 3.75 करोड़) तथा निमहंस, बेंगलुरु (₹ 1 करोड़) (iv) निम्नलिखित के लिए अन्य व्यय: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए (1) नेमी टीकाकरण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹ 10 करोड़), वेतन (₹ 2.50 करोड़), डीटीई (₹ 0.12 करोड़), ओई (₹ 0.10 करोड़), आरआरटी (₹ 0.02 करोड़), ओएई (₹ 0.34 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹ 0.05 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹ 5.60 करोड़) तथा व्यावसायिक सेवाएं (₹ 1.27 करोड़) II. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल - आपूर्ति और सामग्री की अधिप्राप्ति - आपूर्ति और सामग्री के लिए एनएलईपी (₹ 1.30 करोड़) (2) (₹ 28.50 करोड़) की विश्व बैंक पूल निधि के ईएसी घटक सहित राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आपूर्ति और सामग्री की अधिप्राप्ति - अन्य व्यय (₹ 460 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में अनुरूपी बचतें (₹ 3465.72 करोड़ के एनआईएफ सहित) प्रत्याशित हैं।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख)

(i) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (₹ 34.32 करोड़), (2) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान, मुंबई (₹ 17.15 करोड़), (3) एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुदृढीकरण (₹ 1.30 करोड़), (4) एनआरएचएम- नेमी टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, (₹ 7.92 करोड़) (ii) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में

(ब)

- Increase in HEFA loan (₹ 50 Crore), Interest on HEFA loan (₹ 70 Crore). Transfer of funds from CRIF to GBS component (₹ 10 Crore) and additional expenditure ₹ 733.40 Crore. 2. National Drug De-addiction Programme - NDDTC, AIIMS, New Delhi (₹ 1.50 crore) (ii) Grant-in-Aid for creation of Capital Assets:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi - (₹ 10.50 crore) 2- Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹ 97.55 crore) 3- All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 247.89 crore) 4- All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 72.38 crore) 5- Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 325 crore) 6- Regional Post Graduate Centre, Jawahar Lal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pudducherry (₹ 259.90 crore) 7- Lala Ram Swaroop Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (₹ 2.80 crore) 8- Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 12 crore) and 9- National Institute of Biological, Noida (₹ 3.30 crore) II- To meet additional expenditure under the following Scheme: 1- National Mental Health Programme (₹ 1.90 crore) 2- Setting up of State Institutions of Paramedical Sciences in States and Setting Up of Colleges of Paramedical Education for expenditure in UT of Dadra & Nagar Haveli (₹ 6.85 crore). (iii) Grant-in-Aid Salaries:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi - (₹ 28.30 crore) 2- Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹ 29.45 crore) 3- All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 25.73 crore) 4- Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 1045 crore) 5- Regional Post Graduate Centre, Jawahar Lal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pudducherry (₹ 560 crore) 6- Kasturba Health Society, Wardha (₹ 50 crore) 7- Lala Ram Swaroop Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (₹ 62 crore) 8- New Delhi T.B Centre (₹ 4.75 crore) 9- Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 11.50 crore) and 10- National Institute of Biological, Noida (₹ 12.85 crore) II - To meet additional expenditure under the following Scheme: 1- Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (₹ 16 crore) 2. National Drug De-addiction Programme (₹ 4.75 crore) - NDDTC, AIIMS, New Delhi (₹ 3.75 crore) & NIMHANS, Bengaluru (₹ 1 crore) (iv) Other Expenditure: I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- RCH Flexible pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorder Control Programme etc. (₹ 10 crore) - Salaries (₹ 2.50 crore), DTE (₹ 0.12 crore), O.E (₹ 0.10 crore), RRT (₹ 0.02 crore), OAE (₹ 0.34 Crore), Supplies & Material (₹ 0.05 crore), Advertisement & Publicity (₹ 5.60 crore) & Professional Services (₹ 1.27 crore). II- To meet additional expenditure under the following Scheme: 1- Flexible Pool for Communicable Diseases - Procurement of Supplies and Material - NLEP for Supplies and Material (₹ 1.30 crore). 2. Procurement of Supplies & Materials under National AIDS & STD Control Programme - Other Expenses (₹ 460 crore) including EAC Component of World Bank Pool Fund amounting to (₹ 28.50 crore). Matching savings (inclusive of NIF of ₹ 3465.72 crore) are anticipated in the same Section of the Grant.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grant-in-aid General: I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 34.32 crore) 2- International Institute for population Sciences, Mumbai (₹ 17.15 crore) 3- Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 1.30 crore) (4) NRHM - RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorder Control Programme etc. (₹ 7.92 crore) (ii) Grant-in-aid for creation of

अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए : (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (₹ 4.73 करोड़) और (2) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान, मुंबई (₹ 53.40 करोड़), (iii) निम्नलिखित के लिए वेतन सहायता अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए : (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (₹ 29.20 करोड़) और (2) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान, मुंबई (₹ 13.50 करोड़), (iv) निम्नलिखित के लिए अन्य व्यय: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए : (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (₹ 48.46 करोड़) (क) नेमी टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र - वेतन के लिए (₹ 5.69 करोड़) और अन्य प्रभारों के लिए (₹ 6.80 करोड़) (ख) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली वेतन के लिए (₹ 10.80 करोड़) और अन्य प्रभारों के लिए (₹ 13.20 करोड़) तथा (ग) आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) वेतन के लिए (₹ 2 करोड़) और अन्य प्रभारों के लिए (₹ 2.05 करोड़) (2) एनयूएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (₹ 4.57 करोड़) - (क) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली अन्य प्रभारों के लिए (₹ 3.94 करोड़) और (ख) आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) अन्य प्रभारों के लिए (₹ 0.63 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में अनुरूपी बचतें (₹ 205.33 करोड़ के एनआईएफ सहित) प्रत्याशित हैं।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए: (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (₹ 1833.77 करोड़) (क) नेमी टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल - सामान्य के लिए (₹ 360.26 करोड़), अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 144.11 करोड़) (ख) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - (₹ 582.09 करोड़) सामान्य के लिए (₹ 157.24 करोड़), अनुसूचित जातियों और (₹ 270.08 करोड़) अनुसूचित जनजातियों के लिए (ग) आयुष्मान भारत - केन्द्र स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) - सामान्य के लिए (₹ 82.35 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 17.55 करोड़), और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 35.10 करोड़) (2) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सीबल पूल - (₹ 50.10 करोड़) - (क) एनयूएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 15.17 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 7.38 करोड़), और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 2.55 करोड़) (ख) आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) - सामान्य के लिए (₹ 15.25 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 6.50 करोड़), और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 3.25 करोड़) (ii) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए: (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल - (क) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 76.56 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 17.48 करोड़) और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 30.01 करोड़), (2) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लेक्सीबल पूल - (क) एनयूएचएम - एनयूएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 2.07 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 0.82 करोड़), और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 0.28 करोड़) II. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन केन्द्र (क) नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन (₹ 128.11 करोड़) (iii) निम्नलिखित के लिए वेतन सहायता अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए: (क) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, तेजपुर (₹ 5 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में अनुरूपी बचतें (₹ 1866.66 करोड़ के एनआईएफ सहित) प्रत्याशित हैं।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) (i) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप

Capital Assets:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 4.73 crore) and 2- International Institute for population Sciences, Mumbai (₹ 53.40 crore) (iii) Grant-in-aid Salaries:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 29.20 crore) and (2) International Institute for population Sciences, Mumbai (₹ 13.50 crore) (iv) Other Expenditure:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: (1) NRHM - RCH Flexible Pool (₹ 40.54 Crore) - (a) RCH Flexible pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorder Control Programme etc. UT without legislature - for Salaries (₹ 5.69 crore) and for Other Charges (₹ 6.80 crore), (b) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) (for Salaries (₹ 10.80 crore) and for Other Charges (13.20 crore) and (c) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) (₹ 2 crore for Salaries and ₹ 2.05 crore for Other Charges). (2) NUHM - RCH Flexible Pool (₹ 4.57 Crore) - (a) Other Health System for activities covered under NUHM (GBS) (₹ 3.94 crore for Other Charges) and (b) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres under NUHM (GBS) (₹ 0.63 crore for Other Charges). Matching savings (inclusive of NIF of ₹ 205.33 Crore) are anticipated in the same Section of the Grant.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grant in Aid General :- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: (1) NRHM - RCH Flexible Pool (₹ 1833.78 Crore) - (a) RCH Flexible pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorder Control Programme etc. - (₹ 360.26 crore) for General, (₹ 96.07 crore) for SC and (₹ 144.11 crore) for ST, (b) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - (₹ 671.02 crore) for General, (₹ 157.24 crore) for SC and (₹ 270.08 crore) for ST, (c) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) - (₹ 82.35 crore) for General, (₹ 17.55 crore) for SC and (₹ 35.10 crore) for ST. (2) National Urban Health Mission - Flexible Pool (₹ 50.10 Crore) - (a) Other Health System for activities covered under NUHM (GBS) - ₹ 15.17 crore for General, ₹ 7.38 crore for SC and ₹ 2.55 crore for ST. (b) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) - ₹ 15.25 crore for General, ₹ 6.50 crore for SC and ₹ 3.25 crore for ST. (ii) Grant-in-Aid for Creation of Capital Assets:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: (1) NRHM - RCH Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - (₹ 76.56 crore) for General, (₹ 17.48 crore) for SC and (₹ 30.01 crore) for ST. (2) National Urban Health Mission - Flexible Pool - (a) NUHM-Other Health System for activities covered under NUHM (GBS) - (₹ 2.07 crore) for General, (₹ 0.82 crore) for SC and (₹ 0.28 crore) for ST. II - To meet additional expenditure under the following Scheme: (1) Human Resources for Health and Medical Education - (a) Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals) (₹ 128.11 crore). (iii) Grant in Aid for Salaries: - I - To meet additional expenditure under the following Scheme: (a) Lokpriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Medical Sciences, Tejpur (₹ 5 crore). Matching savings (inclusive of NIF of ₹ 1866.66 Crore) are anticipated in the same Section of the Grant.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grant in Aid General :- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component

व्यय नियमित करने के लिए: (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल - (क) नेमी टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल - सामान्य के लिए (₹ 2764.16 करोड़), ईएसी के लिए (₹ 5 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 1258.72 करोड़) और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 549.27 करोड़) (ख) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 4896.85 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 1860.59 करोड़), और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 701.16 करोड़) (ग) आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) - सामान्य के लिए (₹ 735.61 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 313.54 करोड़), और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 156.77 करोड़) (2) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लेक्सिबल पूल (क) एनयूएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 59.98 करोड़), ईएसी के लिए (₹ 291.61 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 149.63 करोड़), और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 74.82 करोड़) (ख) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) - सामान्य के लिए (₹ 139.67 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 56.09 करोड़), और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 28.04 करोड़) (ii) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए: (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल - (क) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 495.41 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 237.29 करोड़), और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 98.69 करोड़) (2) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लेक्सिबल पूल - (क) एनयूएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 6.11 करोड़), ईएसी के लिए (₹ 32.39 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 16.63 करोड़) और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 8.31 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में अनुरूपी बचतें (₹ 14928.24 करोड़ के एनआईएफ सहित) प्रत्याशित हैं। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ड) (i) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए: (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल - (क) नेमी टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल - सामान्य के लिए (₹ 33.64 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 11.82 करोड़) (ख) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 34.99 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 12.93 करोड़) (ग) आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) - सामान्य के लिए (₹ 3.65 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 1.35 करोड़) (2) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लेक्सिबल पूल - (क) एनयूएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 18.28 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 6.62 करोड़) (ख) आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) - सामान्य के लिए (₹ 0.33 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 0.21 करोड़) (ii) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान: I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए: (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल - (क) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 3.88 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 1.44 करोड़) (2) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लेक्सिबल पूल - (क) एनयूएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 2.65 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 0.74 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में अनुरूपी बचतें (₹ 140.60 करोड़ के एनआईएफ सहित) प्रत्याशित हैं। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(च) (i) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत मशीनों और उपकरणों की अधिप्राप्ति/मुख्य निर्माण कार्य पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए: (1) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹ 37 करोड़), (2) डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 23.58 करोड़-मशीनरी और उपकरण (₹ 4 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (₹ 19.58 करोड़)), (3) स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और अनुक्रिया (₹ 5.53 करोड़) मशीनरी और उपकरण के लिए, (4) डब्ल्यूएचओ - एसईएआरओ भवन, नई दिल्ली का पुनर्निर्माण (₹ 55 करोड़) मुख्य निर्माण कार्य के लिए। अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 55 करोड़ की अनुरूपी बचतें प्रत्याशित हैं जिन्हें बाद में अभ्यर्पित कर दिया जाएगा। अतः डब्ल्यूएचओ - एसईएआरओ भवन, नई दिल्ली के पुनर्निर्माण पर अतिरिक्त व्यय के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। व्यय की शेष मदों के लिए केवल सांकेतिक पूरक

under the following Scheme: (1) NRHM - RCH Flexible Pool - (a) RCH Flexible pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorder Control Programme etc. - (₹ 2764.16 crore) for General, (₹ 5 crore) for EAC, (₹ 1258.72 crore) for SC and (₹ 549.27 crore) for ST. (b) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - (₹ 4896.85 crore) for General, (₹ 1860.59 crore) for SC and (₹ 701.16 crore) for ST. (c) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) - (₹ 735.61 crore) for General, (₹ 313.54 crore) for SC and (₹ 156.77 crore) for ST. (2) National Urban Health Mission - Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NUHM (GBS) - (₹ 59.98 crore) for General, ₹ 291.61 crore for EAC, (₹ 149.63 crore) for SC and (₹ 74.82 crore) for ST. (b) AYUSHMAN Bharat under National Urban Health Mission- Health and Wellness Centres (GBS) - (₹ 139.67 crore) for General, (₹ 56.09 crore) for SC and (₹ 28.04 crore) for ST. (ii) Grant-in-aid for Creation of Capital Assets:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: (1) NRHM-RCH Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - ₹ 495.41 Crore for General, (₹ 237.29 crore) for SC and (₹ 98.69 crore) for ST. (2) National Urban Health Mission - Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NUHM (GBS)- for General (₹ 6.11 crore), for EAC (₹ 32.39 crore), for SC (₹ 16.63 crore) and for ST (₹ 8.31 crore). Matching savings (inclusive of NIF of ₹ 14928.24 Crore) are anticipated in the same Section of the Grant.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grant-in-aid General:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: (1) NRHM-RCH Flexible Pool - (a) RCH Flexible pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorder Control Programme etc.- for General (₹ 33.64 crore) and for SC (₹ 11.82 crore). (b) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) -for General (₹ 34.99 Crore) and for SC (₹ 12.93 crore). (c) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) -for General (₹ 3.65 crore) and for SC (₹ 1.35 crore). (2) National Urban Health Mission - Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NUHM (GBS) (₹ 18.28 crore) and for SC (₹ 6.62 crore). (b) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) (₹ 0.33 Crore) and (₹ 0.21 crore) for SC. (ii) Grant-in-aid for Creation of Capital Assets:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: (1) NRHM-RCH Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - (₹ 3.88 crore) for General and (₹ 1.44 crore) for SC. (2) National Urban Health Mission - Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NUHM (GBS)- for General (₹ 2.65 crore) and for SC (₹ 0.74 crore). Matching savings (inclusive of NIF of ₹ 140.60 Crore) are anticipated in the same Section of the Grant.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) For meeting additional Capital Expenditure on Procurement of Machinery and Equipment/ Major Work under the following Institutions:- (1) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (₹ 37 crore), (2) Dr. RML Hospital, New Delhi (₹ 23.58 crore) - Machinery and Equipment (₹ 4 crore) and Major Work (₹ 19.58 Crore), (3) Health Sector Disaster Preparedness and Response (₹ 5.53 crore) for Machinery and Equipment, (4) Re-Construction of WHO-SEARO Building, New Delhi (₹ 55 crore) for Major Work. Matching savings of ₹ 55 Crore are anticipated in the Revenue Section of the Grant. Which will be surrendered subsequently. Hence Technical Supplementary

अनुदान मांगा जाता है।

अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(छ)

(i) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए: (1) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई (₹ 2.40 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में अनुरूपी बचतें प्रत्याशित हैं।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(g)

grant is sought for additional expenditure on Re-Construction of WHO-SEARO Building, New Delhi. For the remaining items of expenditure only token supplementary grant is sought.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

For Meeting additional Capital Expenditure on Major Work under the Institution Family Welfare Training and Research Centre Mumbai (₹ 2.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 43

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3374.65	3374.65
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	3374.65	3374.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	50.01	50.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	50.01	50.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3424.67	3424.67
राजस्व	Revenue	...	3424.67	3424.67
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	50.00	(का) 50.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	50.01	50.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) आंतरिक तथा बाह्य अनुसंधान कार्यक्रमों/परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आईसीएमआर (₹ 77.57 करोड़), (ii) आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना की स्कीम (₹ 2 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता के अंतर्गत विद्यमान बजटीय प्रावधानों का अंतरण सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत आईसीएमआर को करना (₹ 784.82 करोड़); पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 175.21 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹ 514.62 करोड़) और एनआईएफ का अंतर-लेखा अंतरण (₹ 1474.65 करोड़) और एनआईएफ के अंतर्गत आबंटन के प्रावधान न किए जाने के कारण आईसीएमआर के गैर-एनआईएफ शीर्षों को एनआईएफ वसूलियों की कटौती (₹ 1474.65 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 50 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹ 2 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता के अंतर्गत प्रावधानों का अंतरण सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत आईसीएमआर को करना (₹ 64 करोड़), पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 6 करोड़) तथा एनआईएफ के अंतर्गत आबंटन के प्रावधान न किए जाने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आईसीएमआर के गैर-एनआईएफ शीर्षों को वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting requirements under Grant Aid General in respect of (i) ICMR for funding of intra mural and extra mural research activities/projects (₹ 77.57crore), (ii) the scheme of Establishment of Model Rural Health Research Units (₹ 2 crore) and (iii) for transfer of existing budgetary provisions under Support from National Investment Fund (NIF) to the ICMR under Grant in Aid General (₹ 784.82 crores); under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 175.21 crores) and Grant in Aid Salaries (₹ 514.62 crores) and Inter-Account Transfer of NIF (₹ 1474.65 crores) and Deduct Recoveries on account of NIF (₹ 1474.65 crores) to the Non-NIF Heads of ICMR on account non-provisioning of allocations under NIF.
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 50 crore.
- (b) Meeting requirement under Grant-in-Aid General for North East Areas under the scheme of Establishment of Model Rural Health Research Units (₹ 2 crore) and (ii) transfer of provisions under Support from National Investment Fund (NIF) to the ICMR under Grant in Aid General (₹ 64 crores); under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6 crores) and Grant in Aid Salaries (₹ 10 crores) to the Non-NIF Heads of ICMR under North East Areas on account of non-provisioning of allocations under NIF.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)
(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	4584.39	4584.41
पूँजी	Capital	...	311.40	311.40
जोड़	Total	0.02	4895.79	4895.81
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8820.64	8820.64
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	8820.64	8820.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3398.85	3398.85
पूँजी	Capital	...	9.28	9.28
जोड़	Total	...	3408.13	3408.13
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	17124.56	17124.58
राजस्व	Revenue	0.02	16803.88	16803.90
पूँजी	Capital	...	320.68	320.68
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	490.70	(क) 490.70
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	2908.15	(ख) 2908.15
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	3398.85	3398.85
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	9.27	(ग) 9.27
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01	(घ) 0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	9.28	9.28
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	3408.13	3408.13

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अधीक्षण के तहत जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी (₹ 644.50 करोड़) (ii) महत्वपूर्ण आंकड़ों में सुधार (अन्य प्रभार) (₹ 27 करोड़) और (iii) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (₹ 40 करोड़)।
- अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 490.70 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) करो की निवल आय के राज्य के भाग के रूप में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (₹ 2908.15 करोड़)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ग) (i) मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत जनगणना (₹ 37 करोड़) (ii) मोटर वाहनों के अंतर्गत राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय (₹ 0.08 करोड़)।
- अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 9.27 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (घ) कार्यालय भवन (मुख्य निर्माण कार्य) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (₹ 4.09 करोड़)।
- अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Census Surveys and Statistics (i) under Superintendence under Grants in aid General (₹ 644.50 crore) (ii) Improvement of Vital Statistics (Other Charges) (₹ 27.00 crore) and (iii) National Population Register under Grants-in-aid-General (₹ 40.00 crore).
- Taking into account the savings available within the same section of Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 490.70 crore.
- (b) Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh as State Share of Net Proceed of Taxes' (₹ 2908.15 crore).
- The above expenditure will entail a net cash outgo;
- (c) (i) Census under Machinery and Equipment (₹ 37.00 crore) (ii) National Fire Service College under Motor Vehicles (₹ 0.08 crore).
- Taking into savings available under the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 9.27 crore..
- (d) National Institute of Disaster Management under Office Building (Major Works) (Rs 4.09 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 47

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)
(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	828.85	828.85
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	828.85	828.85
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	96.42	96.42
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	96.42	96.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	925.28	925.28
राजस्व	Revenue	...	925.28	925.28
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers	...	96.42	96.42

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रधानमंत्री के वायुयान का अनुरक्षण (अन्य प्रभार) (₹ 176.44 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 96.42 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Maintenance of Prime Minister's Aircraft (Other Charges)
(₹ 176.44 Crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo ₹ 96.42 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)
(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	7.49	88707.75	88715.24
पूँजी	Capital	6.33	10811.89	10818.22
जोड़	Total	13.82	99519.64	99533.46
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3387.48	3387.48
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	3387.49	3387.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2903.15	2903.15
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	2903.16	2903.16
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	13.82	105810.29	105824.11
राजस्व	Revenue	7.49	94998.38	95005.87
पूँजी	Capital	6.33	10811.91	10818.24
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	...	1998.81 (का)	1998.81
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	121.34 (ख)	121.34
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	783.00 (ग)	783.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	2903.15	2903.15
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूँजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01 (घ)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2903.16	2903.16

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) वेतन और राशन की लागत (₹ 909.20 करोड़) (ii) मजदूरी (₹ 3.86 करोड़) (iii) घरेलू यात्रा व्यय (₹ 497.94 करोड़) (iv) विदेश यात्रा व्यय (₹ 13.03 करोड़) (v) विज्ञापन और प्रचार (₹ 6.76 करोड़) (vi) आपूर्ति और सामग्री (₹ 5.35 करोड़) (vii) पुरस्कार (₹ 0.25 करोड़) (viii) कार्यालय व्यय (₹ 162.31 करोड़) (ix) हथियार और गोला बारूद (₹ 79.47 करोड़) (x) आरआरटी (₹ 6 करोड़) (xi) प्रकाशन (₹ 11.70 करोड़) (xii) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 375.30 करोड़) (xiii) चिकित्सा उपचार (₹ 69.40 करोड़) (xiv) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 5.28 करोड़) (xv) पीओएल (₹ 0.03 करोड़) (xvi) लघु निर्माण कार्य (₹ 52.86 करोड़) (xvii) अन्य प्रभार (V) (₹ 167.42 करोड़) (xiii) एलपीएआई के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 150 करोड़) (xix) अन्य प्रभार (अनुसंधान) (₹ 50.29 करोड़) (xx) अन्य प्रभारों के अंतर्गत तटीय सुरक्षा स्कीम (₹ 11.26 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध ₹ 1290.64 करोड़ को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 708.17 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

(ख) (i) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) (एनई) (₹ 105 करोड़) और (ii) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) (एलडब्ल्यूई) (₹ 59.50 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 121.34 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) Salaries and Cost of Ration (₹ 909.20 crore), (ii) Wages: (₹ 3.86 crore) (iii) Domestic Travel Expenses (₹ 497.94 cr) (iv) Foreign Travel Expenses (₹ 13.03 crore) (v) Advertising and Publicity (₹ 6.76 crore), (vi) Supplies and Material (₹ 5.35 crore), (vii) Rewards (₹ 0.25 crore), (viii) Office Expenses (₹ 162.31 crore), (ix) Arms and Ammunition (₹ 79.47 crore), (x) RRT (₹ 6.00 crore), (xi) Publications (₹ 11.70 crore), (xii) Professional Services (₹ 375.30 crore) (xiii) Medical Treatment (₹ 69.40 crore) (xiv) Other Administrative Expenses(OAE) (₹ 5.28 crore), (xv) POL (₹ 0.03 crore) (xvi) Minor Works (₹ 52.86 crore), (xvii) Other Charges (V) (₹ 167.42 crore), (xviii) Grants for creation of Capital Assets for Land Port Authority of India(LPAI) (₹ 150.00 crore), (xix) Other Charges (Research) (₹ 50.29 crore) (xx) Coastal Security Scheme under Other Charges (₹ 11.26 crore) .

Taking into account the savings available in the same Section and ₹ 1290.64 crore in the Capital Section of the Grant, the net cash outgo of ₹ 708.17 crore.

(i) Security Related Expenditure(SRE), North East(NE) (₹ 105.00 crore) and (ii) Security Related Expenditure(SRE), Left Wing Extremism(LWE) affected states (₹ 59.50 crore)

Taking into account the savings within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 121.34 crore.

- (ग) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) (जेएंडके) (₹ 688 करोड़) और (एसआरई) (आरएंडआर) (₹ 100 करोड़)। (c)

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 783 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (घ) (i) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत विभिन्न संगठनों के संबंध में कार्यालय भवन (₹ 223 करोड़) (ii) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत विभिन्न संगठनों के संबंध में आवासीय भवन (₹ 245 करोड़) (iii) मशीनरी और उपकरण (₹ 81.96 करोड़) (iv) मोटर वाहन (₹ 34.76 करोड़) और (v) सीमा पर पोस्ट (आईटीबीपी) (₹ 6 करोड़)। (d)

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Security Related Expenditure(SRE) (Jammu &Kashmir) (₹ 688.00 crore) and SRE, Relief and Rehabilitation (R&R) (₹ 100.00 crore).

Taking into account the savings available within the same section of Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 783.00 crore.

(i) Office Building in respect of various organisation under Major Works (₹ 223.00 crore) (ii) Residential Building in respect of various organisation under Major Works (₹ 245.00 crore), (iii) Machinery and Equipments (₹ 81.96 crore), (iv) Motor Vehicles (₹ 34.76 crore) and (v) Border Out Post (ITBP) (₹ 6.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 49
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)
(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	4285.99	4286.00
पूँजी	Capital	...	601.58	601.58
जोड़	Total	0.01	4887.57	4887.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	216.15	216.15
पूँजी	Capital	...	0.20	0.20
जोड़	Total	...	216.35	216.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	5103.96	5103.97
राजस्व	Revenue	0.01	4502.17	4502.18
पूँजी	Capital	...	601.79	601.79

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	(क) 0.01
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	2.00	(ख) 2.00
2029-भू-राजस्व	2029-Land Revenue	...	4.00	(ग) 4.00
2055-पुलिस	2055-Police	...	10.00	(घ) 10.00
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...	4.00	(ङ) 4.00
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	11.00	(च) 11.00
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	5.00	(छ) 5.00
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	4.00	(ज) 4.00
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	6.00	(झ) 6.00
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	2.00	(ट) 2.00
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	8.00	(ठ) 8.00
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01	(ड) 0.01
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	...	0.01	(ढ) 0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	(ण) 0.01
2801-विद्युत	2801-Power	...	117.09	(त) 117.09
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01	(थ) 0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	0.01	(द) 0.01
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	20.00	(ध) 20.00
3052-नौवहन	3052-Shipping	...	3.00	(न) 3.00
3225-दूरसंचार सेवाएं	3225-Telecommunication Services	...	20.00	(प) 20.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	216.15	216.15
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूँजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(फ) 0.01
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(ब) 0.01
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	(भ) 0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(म) 0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01	(य) 0.01
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजी परिव्यय	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	...	0.01	(र) 0.01
4216-आवास पर पूँजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(क1A1) 0.01
4217-शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	0.01	(ख1B1) 0.01

4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	0.01	(ग1C1)	0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01	(घ1D1)	0.01
4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	...	0.01	(ङ1E1)	0.01
4405-मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisheries	...	0.01	(च1F1)	0.01
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	4515-Capital Outlay on Other Rural Development Programmes	...	0.01	(छ1G1)	0.01
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01	(ज1H1)	0.01
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	0.01	(झ1I1)	0.01
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	0.01	(ट1J1)	0.01
5052-नौवहन पर पूंजी परिव्यय	5052-Capital Outlay on Shipping	...	0.01	(ठ1K1)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(ड1L1)	0.01
5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Transport	...	0.01	(ढ1M1)	0.01
5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism	...	0.01	(ण1N1)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.20		0.20
जोड़ (पूँक)	Total (Supplementary)	...	216.35		216.35

यह पूँक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:			
(क)	वक्फ बोर्ड के संबंध में वेतन सहायता अनुदान के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.03 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूँक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	meeting the additional requirement for expenditure for GIA-Salaries in respect of Waqf Board (₹ 0.03 crore)		
(ख)	सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 2 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(b)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting the additional requirement for expenditure towards GIA-General. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 2 crore.		
(ग)	वेतन और अन्य स्थापना के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 4 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(c)	meeting the additional requirement for expenditure for Salaries and other establishment. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 4 crore.		
(घ)	वेतन और अन्य स्थापना के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 10 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(d)	meeting the additional requirement for expenditure for Salaries and other establishment. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 10 crore.		
(ङ)	मजदूरी और लघु निर्माण कार्यों के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 4 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(e)	meeting the additional requirement for expenditure for wages and minor works. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 4 crore.		
(च)	वेतन, मजदूरी और स्थापना व्यय के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 11 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(f)	meeting the additional requirement for payment of Salaries, Wages and other Establishment Expenditure. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 11 crore.		
(छ)	वेतन की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 5 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(g)	meeting the additional requirement for expenditure for Salaries. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 5 crore.		
(ज)	वेतन, अन्य स्थापना व्यय, ऊर्जा व जल प्रसारों के लंबित भुगतान तथा एनआईएसएचआई स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 4 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(h)	meeting the additional requirement for expenditure for salary, other establishment expenses, pending payment for energy & water charges and for ANISHI health insurance scheme. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 4 crore.		
(झ)	मजदूरी और लघु निर्माण कार्यों के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 6 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(i)	meeting the additional requirement for expenditure towards wages and minor works. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 6 crore.		
(ट)	सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 2 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(j)	meeting the additional requirement for expenditure towards GIA-General. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 2 crore.		
(ठ)	विधवा/निराश्रित/वृद्धावस्था/निःशक्तता पेंशन तथा आईसीडीएस को अन्य संघ राज्य क्षेत्र अंशदान जैसी सामाजिक कल्याण स्कीमों के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 8 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(k)	meeting the additional requirement for expenditure towards Social Welfare Schemes such as Widow/Destitute/Old age/Disability pensions & other UT contribution to ICDS. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 8 crore.		
(ड)	पौध संरक्षण स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों पर व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.01 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूँक अनुदान मांगा जाता है।	(l)	meeting the additional requirement for expenditure on subsidies under Plant Protection Scheme (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ढ)	₹ 0.58 करोड़ की कुल अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए - ₹ 0.15 करोड़ पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु ₹ 0.43 करोड़	(m)	meeting the total additional requirement of ₹ 0.58 crore - ₹ 0.15 crore for Grants for Creation of Capital Assets, and		

	जनजातीय क्षेत्रों में विकास के अंतर्गत सब्सिडियों पर व्यय हेतु (₹ 0.58 करोड़)।		₹ 0.43 crore for expenditure on subsidies under the Development in Tribal Areas (₹ 0.58 crore).
(ण)	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। जिला परिषदों और पंचायत समितियों के संबंध में वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3 करोड़)।	(n)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting the additional requirement for expenditure for GIA-Salaries in respect of Zilla Parishads & Panchayat Samities (₹ 3.00 crore).
(त)	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। विद्युत उत्पादन और अन्य संबद्ध खर्चों के लिए आईओसीएल से पीओएल की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 117.09 करोड़)।	(o)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting the additional requirement for procurement of POL from IOCL for Power Generation and other related expenses (₹ 117.09 crore).
(थ)	पूँजी भाग के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 74.81 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 42.28 करोड़ का नकद पूरक अनुदान और ₹ 74.81 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(p)	Taking into account saving of ₹ 74.81 crore available under Capital Section, a Cash Supplementary of ₹ 42.28 crore and a technical supplementary of ₹ 74.81 crore are sought.
(द)	सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(q)	meeting the additional requirement for expenditure towards GIA-General (₹ 0.10 crore).
(ध)	लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक विकास स्कीम (एलएएनआईडीएस) - 2018 के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.01 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(r)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(न)	तट के अगले भाग के क्षेत्र के पोतों के लिए पीओएल पर व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 20 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(s)	meeting the additional requirement for expenditure on POL for Inter Island vessels.
(प)	अंतर्द्वीपीय पोतों के लिए पीओएल पर व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 3 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(t)	The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 20 crore.
(फ)	उपग्रह ट्रांसपोंडरों के किराए की लागत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 20 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(u)	The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 3 crore.
(ब)	उपग्रह ट्रांसपोंडरों के किराए की लागत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 20 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(v)	meeting the additional requirement for the cost for hiring of Satellite Transponders.
(भ)	पुलिस भवन की मरम्मत/निर्माण/नवीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(w)	The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 20 crore.
(म)	लोक निर्माण कार्यों तथा अन्य विभाग के सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 7.65 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(x)	meeting the additional requirement for repair/ construction/ renovation of Police Building (₹ 1.00 crore).
(य)	विभिन्न अग्निशमन भवनों की मरम्मत /निर्माण/नवीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.00 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(y)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(र)	सकूल की इमारत, कॉलेजों, स्टेडियमों आदि की मरम्मत/निर्माण/नवीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 2.15 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(z)	meeting the additional requirement for repair/construction/ renovation of various Fire Station Buildings (₹ 1.00 crore).
(क1)	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अस्पतालों, औषधालयों और चिकित्सा विभाग के अन्य सिविल कार्यों की मरम्मत/अनुरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.20 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(A1)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख1)	नई पाइप लाइनें बिछाने, पानी की पाइप लाइन की मरम्मत, अनुरक्षण, प्रतिस्थापन तथा पानी की टंकियों के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 8.30 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(B1)	meeting the additional requirement for undertaking repair/maintenance of Hospitals, Dispensaries & other Civil works of Medical Department (₹ 3.20 crore).
	'सामान्य पूल व्यवस्था' के अंतर्गत आवासीय भवन के निर्माण/नवीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	सड़क किनारे से इतर नालों के निर्माण/नवीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.90 करोड़)।		meeting the additional requirement for construction/renovation of residential building under 'General Pool Accommodation' (₹ 5.00 crore).
			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
			meeting the additional requirement for construction/renovation of non-road side drains (₹ 0.90 crore).

	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग1)	विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण/नवीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.50 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(C1)		meeting the additional requirement for construction/renovation of various Anganwadi Centers (₹ 3.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ1)	आईटीआई के कार्याशाला भवन, बाल छात्रावास आदि के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.70 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(D1)		meeting the additional requirement for construction workshop building of ITI, Boys Hostel etc. (₹ 1.70 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ1)	पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.15 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(E1)		meeting the additional requirement for ongoing civil works of Animal Husbandary & Veterinary Services (₹ 0.15 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च1)	मात्स्यिकी क्वार्टरों के जारी सिविल कार्यों तथा अन्य जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.16 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(F1)		meeting the additional requirement for ongoing civil works of fisheries quarters and other ongoing civil works (₹ 1.16 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ1)	पंचायत निदेशालय के जारी भवन निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 2.80 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(G1)		meeting the additional requirement for ongoing civil building works of Directorate of Panchayat (₹ 2.80 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज1)	विभिन्न बिजली घरों के जारी निर्माण कार्यों तथा मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 6.00 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(H1)		meeting the additional requirement for ongoing works at various Power Houses and procurement of machinery and equipment (₹ 6.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ1)	सागरिका सरकारी एम्पोरियम के जारी नवीकरण संबंधी निर्माण कार्यों तथा अन्य सिविल निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.20 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(I1)		meeting the additional requirement for ongoing renovation works of Sagarika Govt. Emporium and other Civil works (₹ 1.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट1)	रीच स्टैकर व एम्प्टी कंटेनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 8.65 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(J1)		meeting the additional requirement for procurement of Reach Stacker & Empty Container Handler (₹ 8.65 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ1)	डॉकयार्ड के विभिन्न सिविल निर्माण कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 2.35 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(K1)		meeting the additional requirement for undertaking various civil works of Dockyard (₹ 2.35 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड1)	जिला सड़कों के अंतर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण/नवीकरण, जिला और अन्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना तथा सामान्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 25.80 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(L1)		meeting the additional requirement for construction/renovation of Roads & Bridges under District Roads, Tribal Area sub plan for District & Other Roads and Tribal Area sub plan for General Roads (₹ 25.80 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ढ1)	विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 2.47 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(M1)		meeting the additional requirement for construction/renovation of various bus terminus, quarters and other works (₹ 2.47 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण1)	राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर के वार्षिक अनुरक्षण, मरम्मत और रखरखाव तथा अन्य निर्माण कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.00 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(N1)		meeting the additional requirement for annual repair, maintenance & upkeep of Rajiv Gandhi Water Sports Complex and other works (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 50

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)
(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	42.01	4309.48	4351.49
पूँजी	Capital	25.00	376.63	401.63
जोड़	Total	67.01	4686.11	4753.12
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	60.00	...	60.00
जोड़	Total	60.00	...	60.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	75.08	75.08
पूँजी	Capital	...	21.00	21.00
जोड़	Total	...	96.08	96.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	127.01	4782.19	4909.20
राजस्व	Revenue	42.01	4384.56	4426.57
पूँजी	Capital	85.00	397.63	482.63
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	0.04	(का) 0.04
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01	(खb) 0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01	(गc) 0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	75.00	(घd) 75.00
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(ङe) 0.01
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	(चf) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	75.08	75.08
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूँजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(छg) 0.01
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(जh) 0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(झi) 0.01
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजी परिव्यय	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	...	0.01	(टj) 0.01
4216-आवास पर पूँजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(ठk) 0.01
4217-शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	12.97	(डl) 12.97
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	0.01	(ढm) 0.01
4405-मत्स्य पालन पर पूँजी परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisheries	...	0.01	(णn) 0.01
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.01	(तo) 0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूँजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(थp) 0.01
5055-सड़क परिवहन पर पूँजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Transport	...	7.94	(दq) 7.94
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	21.00	21.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	96.08	96.08

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग**2014-न्याय प्रशासन****पूँजी भाग****4217-शहरी विकास पर पूँजी परियोजना****REVENUE SECTION**

2014-Administration of Justice

CAPITAL SECTION

4217-Capital Outlay on Urban Development

Total (Supplementary)

...	(-)35.00	(-)35.00
...	(-)180.00	(-)180.00
...	-215.00	-215.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 14वें वित्त आयोग के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.04 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते आदि की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.52 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, बकाया पेंशन, मासिक पेंशन और सेवानिवृत्ति पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 7.01 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(छ) (i) आपदा अनुक्रिया सहायता प्रणाली स्थापित करने, विभिन्न पुलिस स्टेशनों के नवीकरण के लिए ₹ 4.03 करोड़ और (ii) धनस में 336 टाइप-II पुलिस आवासों के निर्माण के लिए ₹ 14.99 करोड़ अर्थात् इस शीर्ष के अंतर्गत कुल ₹ 19.02 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(झ) (i) खेल परिसर- सेक्टर 42 में बिलियर्ड्स और स्नूकर्स के लिए लघु खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए ₹ 2.83 करोड़ और (ii) शौचालयों के नवीकरण, कला महाविद्यालय - सेक्टर 10 में एसी और कूलरों का प्रावधान करने के लिए ₹ 0.27 करोड़ अर्थात् इस शीर्ष के अंतर्गत कुल ₹ 3.10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ढ) (i) विभिन्न जगहों पर क्रेचों के निर्माण और मलोया, नाबालिग गृह सेक्टर 25 आदि में लिफ्टों और रेम्पो के प्रावधान के लिए ₹ 1.84 करोड़ (ii) नारी निकेतन, सेक्टर 26 में लिफ्टों का प्रावधान करने के लिए ₹ 0.15 करोड़ और (iii) वृद्ध आश्रम सेक्टर 15 के नवीकरण के लिए ₹ 0.06 करोड़ अर्थात् इस शीर्ष के अंतर्गत कुल ₹ 2.05 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(थ) विभिन्न गांवों की विभिन्न संपर्क/फिरनी सड़कों के चौड़ाकरण और उनकी री-कारपेटिंग की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.59 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(द) (i) विभिन्न सीटीयू डिपो I, II और III में अग्निशमन प्रणाली, एलईडी फिटिंग्स और वाटर प्रूफिंग आदि के लिए ₹ 0.65 करोड़ और (ii) परिवहन विभाग द्वारा खरीदी जा चुकी बसों के भुगतान के लिए आवश्यक ₹ 7.29 करोड़ अर्थात् इस शीर्ष के अंतर्गत कुल ₹ 7.94 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।

अनुदान की पूँजी भाग के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(घ) नगर निगम, चंडीगढ़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 75 करोड़)।

अनुदान की पूँजी भाग के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ड) चंडीगढ़ की अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा वृद्ध एवं असहाय लोगों हेतु घर के लिए अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम को भुगतान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.75 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting the additional requirement for the payment of 14th Finance Commission to State Legal Services Authority (₹ 0.04 crore).

Taking into account the additional recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) meeting the additional requirement for the payment of Annual Increment and increase in DA etc. (₹ 0.52 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting the additional requirement for the payment of Salaries, Pension Arrears, Monthly pension and Retirement Pensionary Benefits of employees working in Punjab Engineering College (₹ 7.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(g) meeting the total additional requirement under this head of ₹ 19.02 crore (i) ₹ 4.03 crore for setting up of Emergency Response Support System, renovation of various Police Stations and (ii) ₹ 14.99 crore for construction of 336 Type -II Police Houses at Dhanas.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) meeting the total additional requirement under this head of ₹ 3.10 crore (i) ₹ 2.83 crore for construction of Mini Sports Infrastructure for Billiards and Snookers in Sports Complex-Sector 42 and (ii) ₹ 0.27 crore for renovation of toilets, provision of ACs and Water Coolers in Arts College, Sector-10.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(m) meeting the total additional requirement under this head of ₹ 2.05 crore (i) ₹ 1.84 crore for construction of creches at various locations and provision of lifts and ramps for street children at Maloya, Juvenile Home Sector-25 etc. (ii) ₹ 0.15 crore provision of Lifts in Nari Niketan, Sector -26 and (iii) ₹ 0.06 crore for renovation of Old Age Home Sector-15.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(p) meeting the additional requirement for widening and re-carpeting of various links/phirni roads of various villages (₹ 0.59 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(q) meeting the total additional requirement under this head of ₹ 7.94 crore (i) ₹ 0.65 crore for providing firefighting system, LED fittings and water proofing etc. in various CTU Depots I, II & III and (ii) ₹ 7.29 crore is required for the payment of buses already purchased by the Transport Department).

Taking into account the additional recoveries available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(d) meeting the additional requirement for providing to Municipal Corporation, Chandigarh (₹ 75 crore).

Taking into account the additional recoveries available under the Capital Section, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(e) meeting the additional requirement for the payment to Chandigarh Scheduled Castes, Backward Classes and Minorities Financial and Development Corporation for Home to Old age and Destitutes People (₹ 0.75 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(च)	चंडीगढ़ होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान को वार्षिक वेतन वृद्धि और मंहगाई भत्ते आदि की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.06 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(f)	meeting the additional requirement for the payment of Annual Increment and increase in DA etc. to Chandigarh Institute of Hotel Management & Catering Technology (₹ 0.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	आदर्श कारागार, बुरेल में सुरक्षा बैरकों के निर्माण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.09 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(h)	meeting the additional requirement for construction of Security Barracks at Model Jail, Burail (₹ 0.09 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	किशनगढ़ ग्राम में पानी के ट्यूबवेल भाग-4 के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(j)	meeting the additional requirement for construction of Water Tubewell Part-4 in Village Kishangarh (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ)	विभिन्न सरकारी आवासों में 5 केडब्ल्यूपी के एसपीवी सौर संयंत्र की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 8.64 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(k)	meeting the additional requirement for providing SPV Solar Plant of 5 KWP in various Govt. Houses (₹ 8.64 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	अंधेरा वाली जगहों पर रोशनी करने, स्ट्रीट लाइटों के परिरक्षण और धरोहर इमारतों की मरम्मत, सेक्टर 17 में शहरी पार्कों का पुनर्नवीकरण, सेक्टर 9 में संघ राज्य क्षेत्र कार्यालय के लिए सरकारी भवन का निर्माण, विभिन्न सड़कों का चौड़ाकरण और उनकी री-कारपेटिंग, विभिन्न सरकारी भवनों, साइकल पथ, बस शैल्टरों का उन्नयन तथा आईटी पार्क आदि के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 12.97 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(l)	meeting the additional additional requirement for removal of dark spots, street lighting preservation and restoration of heritage buildings, revitalization of Urban Parks in Sector 17, Construction of Govt. Building for U.T. Office in Sector 9, widening and re-carpeting of various roads, up-gradation of various Govt. buildings, cycle tracks, bus queue shelters and various developments works of IT Park etc. (₹ 12.97 crore). Taking into account the additional recoveries available in the same Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ण)	सेक्टर 6 में गहरे बोर ट्यूबवेल तथा 11 फिश टैंकों और शौचालयों की स्थापना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.20 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(n)	meeting the additional requirement for installation of Deep Bore Tubewell and 11 Number of Fish Tanks and toilets in Sector-6 (₹ 0.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(त)	पक्षी पार्क के निर्माण तथा 30 फीट ऊंचे जल प्रपात की ऊंचाई बढ़ाने आदि हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(o)	meeting the additional requirement for Construction of Bird Park and raising a Water Fall of Height 30 Feet etc. (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 51

दादरा और नगर हवेली

DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)
(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	867.82	867.83
पूँजी	Capital	...	317.06	317.06
जोड़	Total	0.01	1184.88	1184.89
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	5.00	5.00
जोड़	Total	...	5.02	5.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3.35	3.35
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	3.35	3.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	1193.25	1193.26
राजस्व	Revenue	0.01	871.19	871.20
पूँजी	Capital	...	322.06	322.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	3.35	3.35

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आयोजना विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान जारी करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.35 करोड़)। सिलवासा स्मार्ट सिटी लि. को वर्ष 2018-19 के लिए संघ राज्य क्षेत्र का लंबित हिस्सा जारी करने के लिए ₹ 74.72 करोड़ अतिरिक्त निधियां आवश्यक हैं।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 3.35 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting the additional requirement for releasing grants-in-aid to Planning Development Authority (₹ 3.35 crore). Further additional funds of ₹ 74.72 crore are required for releasing pending UT Share for the year 2018-19 to Silvassa Smart City Limited.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 3.35 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 52

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	1575.98	1576.00
पूंजी	Capital	...	342.48	342.48
जोड़	Total	0.02	1918.46	1918.48
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	203.00	203.00
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
जोड़	Total	...	203.04	203.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	2121.50	2121.52
राजस्व	Revenue	0.02	1778.98	1779.00
पूंजी	Capital	...	342.52	342.52

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	2801-Power	...	203.00	(का) 203.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(खb) 0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(गc) 0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(घd) 0.01
5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism	...	0.01	(ङe) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.04	0.04
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	203.04	203.04

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2801-विद्युत	2801-Power	...	(-)203.00	(-)203.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	बिजली की खरीद लागत में वृद्धि होने के कारण अन्य प्रभारों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 203 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध अनुरूपी वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	meeting the additional requirement under Other Charges due to increase in cost of purchase of Power (₹ 203 crore). Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख)	दीव में सर्किट हाउस के निर्माण के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रमुख कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting the additional requirement under Major Works to carry out works for construction of Circuit Houses at Diu (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	दीव में शिक्षा हब का प्रमुख कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	meeting the additional requirement under Major Works of Education Hub at Diu (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|--|---|
| <p>(घ) दमन जिले में एमडीआर और ओडीआर सड़कों को चौड़ा करने, सुदृढ़ करने और चार लेन करने, भूमि अधिग्रहण करने और विभिन्न एमडीआर सड़कों का निर्माण करने के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(d) meeting the additional requirement under Major Works for widening, strengthening and four laning of MDR & ODR roads, acquisition of land and construction of various MDR Roads in Daman District (₹ 50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ङ) दमन फोर्ट के विकास और सौंदर्यीकरण, मोती दमन चिल्ड्रेन मेमोरियल गार्डन और जैटी गार्डन आदि के सौंदर्यीकरण एवं मुख्य विस्तार और दीव जिले में विभिन्न परियोजनाओं के लिए कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 20 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(e) meeting the additional requirement under Major Works for development and beautification of Daman fort, beautification and extension of Moti Daman children memorial garden and jetty garden etc. and various projects in Diu District (₹ 20 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 53

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)
(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1117.11	1117.11
पूंजी	Capital	...	186.38	186.38
जोड़	Total	...	1303.49	1303.49
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	39.27	39.27
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	39.28	39.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1342.78	1342.78
राजस्व	Revenue	...	1156.39	1156.39
पूंजी	Capital	...	186.39	186.39

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	...	7.35 (का)	7.35
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...	1.00 (खब)	1.00
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.40 (गद)	0.40
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	2.50 (घद)	2.50
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	1.20 (डे)	1.20
2801-विद्युत	2801-Power	...	18.15 (चफ)	18.15
2852-उद्योग	2852-Industries	...	8.67 (छग)	8.67
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	39.27	39.27
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01 (जह)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	39.28	39.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	भारतीय रिजर्व बटालियन तथा पुलिस कर्मिकों के भत्तों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसमें ₹ 7.35 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(a)	meeting the additional requirement for payment of allowances of India Reserve Battalion and Police personnel. The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 7.35 crore.
(ख)	लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के भत्तों के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसमें ₹ 1 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(b)	meeting the additional requirement for payment of allowances of staff of Public Works Department. The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1 crore.
(ग)	शिक्षा विभाग के शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के यात्रा व्यय के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसमें ₹ 0.40 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(c)	meeting the additional requirement for payment of travel expenses of teaching and non-teaching staff of Education Department. The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 0.40 crore.
(घ)	आउटसोर्स की गई विशेषज्ञता सेवाओं के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। इसमें ₹ 2.50 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(d)	meeting the additional requirement for payment of outsourced speciality services. The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 2.50 crore.
(ङ)	सहायक पशु-शल्यचिकित्सकों के भत्तों के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। इसमें ₹ 1.20 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(e)	meeting the additional requirement for payment of allowances of Veterinary Assistant Surgeons. The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1.20 crore.
(च)	लक्षद्वीप द्वीपसमूह में बिजली उत्पादन के लिए डीजल खरीदने की लागत का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 18.15 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त नकद व्यय होगा।	(f)	meeting the additional requirement for payment of cost of purchase of Diesel for Power generation in Lakshadweep Islands (₹ 18.15 crore). Taking into account the saving available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (छ) बीएसएनएल के इंटरनेट बैंडविड्थ के आवर्धन से संबंधित प्रभागों के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। (g)
- इसमें ₹ 8.67 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ज) लक्षद्वीप द्वीपसमूह में बिजली उत्पादन के लिए डीजल की खरीद की लागत का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए (h)
- (₹ 0.25 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

meeting the additional requirement for payment of the charges related to augmentation of internet bandwidth to BSNL.

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 8.67 crore.

meeting the additional requirement for payment of cost of purchase of Diesel for Power generation in Lakshadweep Islands (₹ 0.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 56

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	91.81	35421.29	35513.10
पूँजी	Capital	71.92	19472.42	19544.34
जोड़	Total	163.73	54893.71	55057.44
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	9.10	0.02	9.12
पूँजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	9.10	0.05	9.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.01	0.03	0.04
पूँजी	Capital	...	79.44	79.44
जोड़	Total	0.01	79.47	79.48
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	172.84	54973.23	55146.07
राजस्व	Revenue	100.92	35421.34	35522.26
पूँजी	Capital	71.92	19551.89	19623.81

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216-आवास	2216-Housing	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01 (गc)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	0.03	0.04
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	8.50 (ङe)	8.50
4216-आवास पर पूँजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	70.93 (चf)	70.93
6217-शहरी विकास के लिए ऋण	6217-Loans for Urban Development	...	0.01 (छg)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	79.44	79.44
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	79.47	79.48

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants/Appropriations are required for:	
(क)	अन्य प्रशासनिक व्यय, लघु निर्माण कार्य, किराया, दर व कर के अंतर्गत राष्ट्रपति संपदा के लिए प्रावधान (₹ 8.60 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	President's Estate under OAE, Minor Works, Rent, Rate & Taxes (₹ 8.60 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के माध्यम से जुटाए गए ऋणों के ब्याज का भुगतान करने के लिए (₹ 330 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.49 करोड़), (iii) सामान्य पूल आवासीय व्यवस्था (जीपीआरए) का अनुरक्षण (₹ 24 करोड़), (iv) संसदीय आवासों का अनुरक्षण (₹ 4 करोड़) और (v) जीपीआरए पर सेवा प्रभार, किराया, विद्युत और पानी के बिलों का भुगतान (₹ 20 करोड़) के अंतर्गत स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) को भुगतान। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	(i) making payment of interest for loan raised through National Small Savings Fund(NSSF) under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)(Urban) (₹ 330 crore), (ii) payment to Real Estate Regulatory Authority (RERA) under Grants-in-aid General (₹ 2.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 1.49 crore), (iii) maintenance of General Pool Residential Accommodation(GPRA) (₹ 24 crore), (iv) maintenance of parliamentary residences(₹ 4 crore) and (v) payment of service charges Rent, Electricity and Water bills on GPRA(₹ 20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के अनुसार दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) के कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम का भुगतान करने के लिए भारत की समेकित निधि में से आहरित अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति (₹ 15.44 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for making payment of pension scheme for Delhi Urban Art Commission (DUAC)'s employees as per CAT order under Grants-in-aid Salaries (₹ 15.44 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(घ)	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी) (₹ 37.23 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	North Eastern Regional Urban Development Project(NERUDP) under Grants-in-aid General (₹ 37.23 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	जनपथ होटल का नवीकरण और मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत अफ्रीका एवेन्यू पर इस्पात निर्मित संरचना का निर्माण (₹ 8.50 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(e)	renovation of Janpath Hotel and construction of Steel Structure at Africa Avenue under Major Works (₹ 8.50 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(च)	(i) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत एमपी फ्लैटों के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 70.43 करोड़) और (ii) केलोनिवि द्वारा अननुरक्षित कॉलोनियों के पूंजीगत कार्यों के लिए नया लेखा शीर्ष - मुख्य निर्माण कार्य खोलने का प्रावधान (₹ 0.50 करोड़)। अनुदान की राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(f)	(i) meeting expenditure for M. P. Flats under Major Works (₹ 70.43 crore) and (ii) provisioning of New head of Account - Major Works for Capital work of Non-CPWD maintained Colonies (₹ 0.50 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(छ)	विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए गौण ऋण में वृद्धि (₹ 361.17 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(g)	augmentation of Subordinate Debt for various Metro Projects (₹ 361.17 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 57
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)
(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	97585.76	97585.76
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	97585.76	97585.76
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	5012.03	5012.03
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	5012.03	5012.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	102597.83	102597.83
राजस्व	Revenue	...	102597.83	102597.83
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	5012.00 (का)	5012.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गक)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	5012.03	5012.03
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	(-)4877.46	(-)4877.46
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	(-)134.54	(-)134.54
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)5012.00	(-)5012.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) एनसीईआरटी (₹ 81.42 करोड़) (2) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹ 1892.22 करोड़)। (3) नवोदय विद्यालय संगठन (₹ 85.63 करोड़) और (4) समग्र शिक्षा (₹ 21 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) एनसीईआरटी (₹ 21.79 करोड़) (2) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹ 486.78 करोड़) (3) नवोदय विद्यालय संगठन (₹ 316.18 करोड़) और (4) समग्र शिक्षा (₹ 2.50 करोड़) (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹ 4256.52 करोड़) (2) नवोदय विद्यालय संगठन (₹ 397.29 करोड़) (iv) केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹ 5012 करोड़)।
- केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि में उपलब्ध ₹ 5012 करोड़ की अनुरूपी वसूलियों और आंतरिक बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹ 74.80 करोड़) (2) समग्र शिक्षा (₹ 69.72 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-Aid General under the Scheme (1) NCERT (₹ 81.42 crore), (2) KVS (₹ 1892.22 crore), (3) NVS (₹ 85.63 crore) and (4) Samagra Shiksha (₹ 21 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme (1) NCERT (₹ 21.79 crore), (2) KVS (₹ 486.78 crore), (3) NVS (₹ 316.18 crore) and (4) Samagra Shiksha (₹ 2.50 crore). (iii) Grants-in-Aid Salary under the Scheme KVS (₹ 4256.52 crore), and NVS (₹ 397.29 crore). (iv) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (₹ 5012 crore).
- Taking into account the matching Recovery available of ₹ 5012 crore in Central Road Infrastructure Fund and internal Savings, the expenditure will not entail any additional Cash outgo.
- (b) (i) Grants-in-Aid General under the Scheme (1) KVS (₹ 74.80 crore), (2) Samagra Shiksha (₹ 69.72 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme of 1) KVS

(1) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹ 13.34 करोड़) (2) समग्र शिक्षा (₹ 40 करोड़)
(iii) केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 46.40 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 472.15 करोड़) (c)
(ii) समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 180 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) (i) समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 581.61 करोड़) (d)
(ii) समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 118.39 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(₹ 13.34 crore), (2) Samagra Shiksha (₹ 40 crore). (iii) Grants-in-Aid Salary under the Scheme of KVS (₹ 46.40 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) GIA General under the scheme Samagra Shiksha (₹ 472.15 crore). (ii) Grant for Creation of Capital Asset under the scheme Samagra Shiksha (₹ 180 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) GIA General under the scheme Samagra Shiksha (₹ 581.61 crore). (ii) Grant for Creation of Capital Asset under the scheme Samagra Shiksha (₹ 118.39 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)
(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	52058.84	52058.84
पूँजी	Capital	...	2120.00	2120.00
जोड़	Total	...	54178.84	54178.84
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	54178.90	54178.90
राजस्व	Revenue	...	52058.90	52058.90
पूँजी	Capital	...	2120.00	2120.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (का)	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01 (खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (₹ 222.87 करोड़), (2) केन्द्र सरकार द्वारा संवर्धित मानित विश्वविद्यालय (₹ 80 करोड़), (3) गारंटी निधि के लिए ब्याज सब्सिडी और अंशदान (₹ 86.27 करोड़) (4) राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (₹ 7 करोड़) (5) नेशनल बुक ट्रस्ट को अनुदान (₹ 21.98 करोड़), (6) विश्व स्तरीय संस्थान (₹ 152 करोड़) तथा (7) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 430 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (₹ 5 करोड़) (2) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 188 करोड़) तथा (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) केन्द्र सरकार द्वारा संवर्धित मानित विश्वविद्यालय (₹ 90 करोड़), (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (₹ 260 करोड़), और (3) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 2128.27 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुरूपी वसूली को ध्यान में रखते हुए इस मुख्य शीर्ष में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-एचईएफए ऋण की मूल राशि चुकाने के लिए निधियां (₹ 160 करोड़), (2) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता (₹ 22.70 करोड़), (3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) (₹ 406.90 करोड़), (4) नैनो विज्ञान और इंजीनियरी केंद्र (₹ 2.65 करोड़), (5) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीआईआर) (₹ 16 करोड़) (6) एनआईटी और आईआईएससी को सहायता (₹ 41.61 करोड़), और (7) भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार परियोजना (ईएपी) (₹ 500 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल (₹ 82.89 करोड़), (2) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीआईआर) (₹ 6 करोड़), (3) भारतीय प्रबंधन

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General under the schemes (1) University Grants Commission (UGC) [₹ 222.87 crore], (2) Deemed Universities promoted by Central Government [₹ 80 crore], (3) Interest Subsidy and contribution for guarantee fund [₹ 86.27 crore], (4) National Digital Library [₹ 7 crore], (5) Grants to National Book Trust [₹ 21.98 crore], (6) World Class Institutions (₹ 152 crore) and (7) Grants to Central Universities [₹ 430 crore], (ii) Grants for creation of capital assets under the schemes (1) National Digital Library [₹ 5 crore], and (2) Grants to Central Universities [₹ 188 crore] and (iii) Grants-in-aid Salaries under the schemes (1) Deemed Universities promoted by Central Government [₹ 90 crore], (2) University Grants Commission (UGC) [₹ 260 crore], and (3) Grants to Central Universities [₹ 2128.27 crore].
Taking into account the savings available and matching recovery in the same section of the Grant, a token supplementary in this Major Head is sought.
- (b) (i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) Indian Institutes of Technology (IITs)- Funds for repayment of Principal of HEFA loan [₹ 160 crore], (2) Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 22.70 crore], (3) Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 406.90 crore], (4) Centre for Nano Science and Engineering [₹ 2.65 crore], (5) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 16 crore], (6) Support to NITs and IIST (₹ 41.61 crore) and (7) Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) [₹ 500 crore], (ii) Grants for creation of capital assets under the following schemes: (1) Startup India Initiative for Higher Educational Institutions [₹ 82.89 crore],

संस्थानों को सहायता (₹ 50 करोड़), (4) नैनो विज्ञान और इंजीनियरी केंद्र (₹ 4.13 करोड़), (5) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) (₹ 711 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईएसटी को सहायता (₹ 150 करोड़) तथा (6) भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार परियोजना (ईएपी) (₹ 400 करोड़), (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) (₹ 1822.90 करोड़), (2) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता (₹ 17.3 करोड़), (3) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) (₹ 16 करोड़), और (4) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईएसटी (₹ 100 करोड़), तथा (iv) शिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्ति एवं वृत्तिका कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹ 10 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुरूपी वसूली को ध्यान में रखते हुए ए इस मुख्य शीर्ष में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) एसएलआईआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8 करोड़) और (ii) (1)एसएलआईआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 45 करोड़) और (2) एनआईटी और आईआईएसटी को सहायता (₹ 220.39 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(2) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 6 crore], (3) Support to Indian Institutes of Management [₹ 50 crore], (4) Centre for Nano Science and Engineering [₹ 4.13 crore], (5) Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 711 crore], Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST [₹ 150 crore], and (6) Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) [₹ 400 crore], (iii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes: (1) Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 1822.90 crore], (2) Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 17.3 crore], (3) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 16 crore], and (4) Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST [₹ 100 crore] and (iv) Scholarship/ Stipends' under the scheme Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends [₹ 10 crore]

Taking into account the savings available and matching recovery in the same section of the Grant, a token supplementary in this Major Head is sought.

- (i) Grants-in-aid General under the scheme Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 8 crore] (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme (1) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 45 crore] and 2. Support to NITs and IIST (₹ 220.39 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4361.67	4361.67
पूंजी	Capital	...	13.54	13.54
जोड़	Total	...	4375.21	4375.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4375.22	4375.22
राजस्व	Revenue	...	4361.68	4361.68
पूंजी	Capital	...	13.54	13.54
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) नया उपशीर्ष चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीमों, विस्तृत शीर्ष दृश्य श्रव्य सेवाएं खोलने के लिए तथा प्रयोजन शीर्ष अर्थात् अन्य प्रशासनिक व्यय, व्यावसायिक सेवाएं सामान्य अनुदान सहायता तथा अन्य प्रभारों के लिए (₹ 0.50 करोड़), (ii) सामान्य सहायता अनुदान के अन्तर्गत नए रीजनल सेंटर्स आफ इण्डियन इंस्टीट्यूट्स मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी) खोलने के लिए (₹ 0.30 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.67 करोड़), (iii) सामान्य अनुदान सहायता के अन्तर्गत सपोर्टिंग कम्युनिटी रेडियो मूवमेंट इण्डिया (₹ 0.65 करोड़), (iv) प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया (₹ 1.55 करोड़) तथा (v) वेतन अनुदान सहायता के अन्तर्गत सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(I) for opening of new Sub-Head Champion Services Sector Schemes, Detailed Head Audio Visual Services and object Heads viz. Other Administrative Expenses, Professional Services, Grants-in-aid General & Other Charges (₹ 0.50 crore), (ii) Opening of new Regional Centres of Indian Institutes Mass Communication(IIMC) under Grants-in-aid General (₹ 0.30 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 2.67 crore), (iii) Supporting Community Radio Movement India under Grants-in-aid General (₹ 0.65 crore), (iv) Press Council of India (PCI) under Grants-in-aid Salaries (₹ 1.55 crore) and (v) Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI) under Grants-in-aid Salaries (₹ 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79-80 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 79-80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 49 of the First

Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7890.15	7890.15
पूँजी	Capital	0.01	414.46	414.47
जोड़	Total	0.01	8304.61	8304.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	8304.64	8304.65
राजस्व	Revenue	...	7890.16	7890.16
पूँजी	Capital	0.01	414.48	414.49

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4701-कृत और मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय	4701-Capital Outlay on Major and Medium Irrigation	...	0.01	(क) 0.01
4702-लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय	4702-Capital Outlay on Minor Irrigation	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (₹ 5.65 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) भूमि जल प्रबंधन योजना और विनियमन स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य (₹ 9.47 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Development of Water Resource Information System under Machinery & Equipment (₹ 5.65 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Major Works under the scheme of Ground Water Management and Regulation (₹ 9.47 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)
(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	27766.70	27766.70
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	27766.70	27766.70
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	27766.73	27766.73
राजस्व	Revenue	...	27766.73	27766.73
पूँजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सामान्य कार्यक्रम घटक (₹ 194.44 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹ 49.06 करोड़) और (iii) जल जीवन मिशन (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 22.30 करोड़) के लिए राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing Grant-in-Aid General to State Governments for (i) programme component (₹ 194.44 crore) (ii) Special Component Plan for Schedule Caste (₹ 49.06 crore) and (iii) Tribal Area Sub Plan (₹ 22.30 crore) under Jal Jeevan Mission (erstwhile National Rural Drinking Water Programme).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 62

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	11151.65	11151.65
पूँजी	Capital	...	32.44	32.44
जोड़	Total	...	11184.09	11184.09
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital	...	5.10	5.10
जोड़	Total	...	5.13	5.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	11189.24	11189.24
राजस्व	Revenue	...	11151.70	11151.70
पूँजी	Capital	...	37.54	37.54

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	(का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) "कर्मचारी पेन्शन योजना" योजना के अन्तर्गत अंशदान (₹ 10.00 करोड़)
(ii) "असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना" योजना के अन्तर्गत अंशदान (₹ 175.59 करोड़) (iii) "केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के लिए" योजना के अन्तर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) कर्मचारी पेन्शन स्कीम " योजना के अन्तर्गत अंशदान (₹ 90.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting expenditure towards: (i) Contribution (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Employees Pension Scheme', (ii) Contribution (₹ 175.59 crore) under the scheme 'Bima Yojana for Unorganized Workers' and (iii) Grant-in-aid Salaries (₹ 3.00 crore) under the Scheme 'Central Board for Workers Education'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Meeting expenditure towards: Contribution (₹ 90.00 crore) under the scheme 'Employees Pension Scheme'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 63

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3020.11	3020.11
पूँजी	Capital	...	135.00	135.00
जोड़	Total	...	3155.11	3155.11
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	183.27	183.27
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	183.28	183.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3338.39	3338.39
राजस्व	Revenue	...	3203.38	3203.38
पूँजी	Capital	...	135.01	135.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	0.01	(क) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	183.25	(ग) 183.25
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	183.27	183.27
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	(घ) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	183.28	183.28

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)40.00	(-)40.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a) meeting additional expenditure under Grant in Aid General of National Judicial Academy (₹ 5 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में न्यायिक व्यवस्था हेतु अवसंरचना सुविधा स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 26.70 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b) meeting additional expenditure under the scheme of Infrastructure Facility for Judiciary in North Eastern Region (₹ 26.70 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) (i) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 40 करोड़) (ii) न्यायिक व्यवस्था हेतु अवसंरचनागत सुविधा स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 240.30 करोड़)। निर्भया निधि में से ₹ 40 करोड़ की वसूलियों, अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 97.05 करोड़ की बचतों तथा पूँजी भाग के अंतर्गत ₹ 25 करोड़ की बचत के	(c) (i) meeting additional expenditure on Fast Track Special Courts under the National Mission for Safety of Women (₹ 40 crore). (ii) meeting additional expenditure under the scheme of Infrastructural Facilities for Judiciary (₹ 240.30 crore). Taking into account the recoveries of ₹ 40 crore from Nirbhaya Fund, savings of ₹ 97.05 crore within the same Section and

- (घ) अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 118.25 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान हेतु मशीनरी तथा उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 50 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(d)

surrender of savings of ₹ 25 crore under the Capital Section, the above will entail net cash outgo of ₹ 118.25 crore.
 meeting additional expenditure under Machinery & Equipment for making payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails (₹ 50 crore).
 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 65 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	269.46	...	269.46
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	269.46	...	269.46
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue	20.58	...	20.58
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	20.58	...	20.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	6.51	...	6.51
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	6.51	...	6.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	296.55	...	296.55
राजस्व	Revenue	296.55	...	296.55
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	6.51	...	6.51

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

चिकित्सा उपचार (₹ 1 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.20 करोड़), कार्यालयी व्यय (₹ 0.51 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 4.80 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure on Medical Treatment (₹ 1 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.20 crore), Office Expenses (₹ 0.51 crore) and Information Technology (₹ 4.80 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 66

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6984.27	6984.27
पूंजी	Capital	...	27.02	27.02
जोड़	Total	...	7011.29	7011.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7011.31	7011.31
राजस्व	Revenue	...	6984.29	6984.29
पूंजी	Capital	...	27.02	27.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 'संवर्धनात्मक सेवा संस्थान कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.26 करोड़), (ii) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 10.10 करोड़), (iii) 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केन्द्र' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.23 करोड़), (iv) 'खादी अनुदान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.25 करोड़), (v) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्भवण लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.50 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़) तथा (vi) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 9.90 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) 'ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 115.16 करोड़), (ii) 'अधिप्राप्ति और विपणन सहायता योजना' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 53.64 करोड़), (iii) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 89.90 करोड़), (iv) 'संवर्धनात्मक सेवा संस्थान कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 57.91 करोड़), (v) 'अवसरचयन विकास और क्षमता निर्माण' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 51.18 करोड़), (vi) 'नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना' स्कीम के अंतर्गत एफटीई (₹ 0.01 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 8 करोड़), (vii) 'खादी अनुदान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 8.75 करोड़), (viii) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 120.72 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.80 करोड़), (ix) 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.20 करोड़), (x) 'क्वाँयर विकास योजना' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़) तथा (xi) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्भवण के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 32.65 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 21.65 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Meeting expenditure towards: (i) GIA General (₹ 9.26 crore) under the scheme 'Promotional Service Institution Programme', (ii) Contribution (₹ 10.10 crore) under the scheme 'Fund of Funds', (iii) GIA General (₹ 5.23 crore) under the scheme 'National Schedule Cast/Schedule Tribe Hub Centre', (iv) GIA General (₹ 3.25 crore) under the scheme 'Khadi Grant', (v) GIA General (₹ 3.50 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 2.50 crore) under the scheme 'Scheme for Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)', (vi) Subsidies (₹ 9.90 crore) under the scheme 'Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Meeting expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 115.16 crore) under the scheme 'Credit Linked Capital Subsidy and Technology Upgradation Scheme', (ii) GIA General (₹ 53.64 crore) under the scheme 'Procurement and marketing Support Scheme', (iii) Contribution (₹ 89.90 crore) under the scheme 'Fund of Funds', (iv) GIA General (₹ 57.91 crore) under the scheme 'Promotional Services Institutions and programme', (v) GIA General (₹ 51.18 crore) under the scheme 'Infrastructure Development and Capacity Building', (vi) FTE (₹ 0.01 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 8.00 crore) under the scheme 'Establishment of New technology Centres', (vii) GIA General (₹ 50.00 crore) and GIA Salary (₹ 8.75 crore) under the scheme 'Khadi Grant', (viii) Subsidies (₹ 120.72 crore) and GIA General (₹ 6.80 crore) under the scheme 'Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)', (ix) GIA Salary (₹ 0.20 crore) under the scheme 'Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation', (x) GIA Salary (₹ 3.00 crore) under the scheme 'Coir Vikas Yojana', (xi) GIA General (₹ 32.65 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 21.65 crore) under the scheme 'Scheme for Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)
(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4599.98	4599.98
पूंजी	Capital	...	100.02	100.02
जोड़	Total	...	4700.00	4700.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	60.00	60.00
जोड़	Total	...	60.02	60.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4760.03	4760.03
राजस्व	Revenue	...	4600.01	4600.01
पूंजी	Capital	...	160.02	160.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(क) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Other Backward Classes and Minorities	...	60.00	(ग) 60.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	60.02	60.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	Grants-in-Aid General under the scheme Upgrading Skill and Training in traditional Arts/Crafts for Development (₹ 10 Crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 118.86 करोड़)। की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (₹ 118.86 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम में निवेश (₹ 60 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	Investment in National Minorities Development and Finance Corporation (₹ 60 Crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 69

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5209.83	5209.83
पूँजी	Capital	...	45.00	45.00
जोड़	Total	...	5254.83	5254.83
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	60.00	60.00
जोड़	Total	...	60.01	60.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5314.85	5314.85
राजस्व	Revenue	...	5209.85	5209.85
पूँजी	Capital	...	105.00	105.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.00 करोड़) (ii) सब्सिडियों के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.00 करोड़) प्रदान करने के लिए।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing "Grants-in-aid General" (₹ 4.00 crores) and "Grants for Creation of Capital Assets" (₹ 2.00 crores) under National Institute of Wind Energy for subsidies.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 71

संसदीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)
 (See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	19.38	19.38
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	19.38	19.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	23.23	23.23
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	23.23	23.23
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	42.62	42.62
राजस्व	Revenue	...	42.62	42.62
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	23.23	23.23

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सभी राज्य विधानमंडलों की कार्यप्रणाली पेपरलेस बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid-General under Information Technology for implementation of National eVidhan Application to make the functioning of all State Legislatures paperless.

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 72

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	96.99	1483.71	1580.70
पूँजी	Capital	6.65	139.24	145.89
जोड़	Total	103.64	1622.95	1726.59
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	66.41	66.41
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	66.42	66.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	103.64	1689.39	1793.03
राजस्व	Revenue	96.99	1550.12	1647.11
पूँजी	Capital	6.65	139.27	145.92

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (का)	0.01
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	...	50.00 (खb)	50.00
2055-पुलिस	2055-Police	...	7.03 (गc)	7.03
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	9.37 (घd)	9.37
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	66.41	66.41
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूँजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01 (डेe)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	66.42	66.42

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत स्वायत्त निकाय (₹ 0.85 करोड़)।	(a)	Autonomous bodies under Grants in-aid- General (₹ 0.85 Crores).
(ख)	अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	विभिन्न अभिकरणों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए (₹ 50 करोड़)।	(c)	making payment of pending bills by Staff Selection Commission(SSC) for various agencies(₹ 50 crore).
(घ)	अनुदान के इसी भाग के भारित आबंटन में उपलब्ध अनुरूपी बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(d)	Taking into account the matching savings available in the Charged allocation of same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ङ)	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कार्मिकों को वेतन और भत्तों का भुगतान करने के लिए (₹ 7.03 करोड़)।	(e)	payment of Pay and allowances to staff of Central Bureau of Investigation (CBI) (₹ 7.03 crores).
(च)	अनुदान के इसी भाग के भारित आबंटन में उपलब्ध अनुरूपी वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(f)	Taking into account the matching savings available in the Charged allocation of same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(छ)	व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के लिए (₹ 9.37 करोड़)।	(g)	Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) under Professional Services (₹ 9.37 crores).
(ज)	अनुदान के इसी भाग के भारित आबंटन में उपलब्ध अनुरूपी बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(h)	Taking into account the matching savings available in the Charged allocation of same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(झ)	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के व्यापक आधुनिकीकरण और उसके लिए भूमि की खरीद/ कार्यालय/आवास भवनों के निर्माण के लिए (₹ 10 करोड़)।	(i)	Comprehensive Modernisation and purchase of land/construction of office/residence buildings for Central Bureau of Investigation(CBI) (₹ 10.00 crores).
(ञ)	अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(j)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 73 (विनियोग)(APPROPRIATION)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	35.55	...	35.55
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	35.55	...	35.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1.10	...	1.10
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	1.10	...	1.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	36.65	...	36.65
राजस्व	Revenue	36.65	...	36.65
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2062-सतर्कता	2062-Vigilance	1.10	...	1.10

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन (₹ 0.88 करोड़) और कार्यालयी व्यय (₹ 0.22 करोड़) हेतु भुगतान करने के लिए।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

making payment towards Salaries (₹ 0.88 crore) and Office Expenses (₹ 0.22 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 74
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)
(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	42440.78	42440.78
पूंजी	Capital	...	1667.31	1667.31
जोड़	Total	...	44108.09	44108.09
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1000.00	1000.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1000.00	1000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	393.77	393.77
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	393.77	393.77
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	45501.86	45501.86
राजस्व	Revenue	...	43834.55	43834.55
पूंजी	Capital	...	1667.31	1667.31
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	393.77	393.77
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	(-)345.51	(-)345.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) (i) 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - एलपीजी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों की बकाया राशि का निपटान करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 127.76 करोड़)।
- (ii) (ii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधियों का अंतरण (₹ 345.51 करोड़)।
- ₹ 345.51 करोड़ की राशि केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में से अंतरित की जाएगी तथा अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 48.26 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण और अनुदान के इसी भाग में ₹ 79.50 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के पश्चात, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (i) providing additional funds to clear the arrears of subsidies under the scheme 'Direct Benefit Transfer - LPG' (₹ 127.76 crore).
- (ii) transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 345.51 crore).
- An amount of ₹ 345.51 crore will be transferred from Central Road Infrastructure Fund and surrender of saving of ₹ 48.26 crore in the Capital Section of the Grant and after utilizing the savings of ₹ 79.50 crore in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash out go.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 75

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)
(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	582.29	582.29
पूँजी	Capital	...	1.11	1.11
जोड़	Total	...	583.40	583.40
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	22.18	22.18
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	22.18	22.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	605.59	605.59
राजस्व	Revenue	...	604.48	604.48
पूँजी	Capital	...	1.11	1.11
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (₹ 15 करोड़) और (ii) वहनीय विकास लक्ष्यों के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (₹ 6.15 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilisation (₹ 15 crore) and (ii) Official Development Assistance from Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals (₹ 6.15 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 76

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	18956.36	18956.36
पूँजी	...	3365.92	3365.92
जोड़	...	22322.28	22322.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	578.00	578.00
पूँजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	578.01	578.01
जोड़ (मूल और पूरक)	...	22900.29	22900.29
राजस्व	...	19534.36	19534.36
पूँजी	...	3365.93	3365.93
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	18956.36	18956.36
Capital	...	3365.92	3365.92
Total	...	22322.28	22322.28
Supplementary Estimate of the amount now required:			
Revenue	...	578.00	578.00
Capital	...	0.01	0.01
Total	...	578.01	578.01
Total (Original plus Supplementary)	...	22900.29	22900.29
Revenue	...	19534.36	19534.36
Capital	...	3365.93	3365.93
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	200.00 (का)	200.00
2801-विद्युत	...	378.00 (खब)	378.00
जोड़ (राजस्व भाग)	...	578.00	578.00
पूँजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (पूरक)	...	578.01	578.01
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2552-North Eastern Areas	...	200.00	200.00
2801-Power	...	378.00	378.00
Total (Revenue Section)	...	578.00	578.00
CAPITAL SECTION			
MAJOR HEAD			
4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01	0.01
Total (Supplementary)	...	578.01	578.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण स्कीम के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 204.58 करोड़)।
- (ii) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 26.50 करोड़) और पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 173.50 करोड़)।
- अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध ₹ 200 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 204.58 करोड़ की बचतों के उपयोग के पश्चात, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन के सवितरण के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 5.42 करोड़)।
- (ii) ब्याज भुगतानों तथा भारत सरकार पूर्णतः शोधित बांड निर्गमन व्यय और ब्याज (आरईसी बांड) स्कीम के अंतर्गत निर्गमन खर्चों के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 319.79 करोड़)।
- (iii) विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) स्कीम के अंतर्गत एनएचपीसी और पीजीसीआईएल द्वारा जारी बांड पर प्रतिबद्ध ब्याज भुगतानों और खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 0.06 करोड़)।
- (iv) एकीकृत विद्युत विकास प्रणाली (आईपीडीएस) स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के वित्तीय समापन हेतु पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 382.27 करोड़)।
- अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध ₹ 378 करोड़ के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 329.54 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के पश्चात, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
- (ग) खातों का निपटान करने के लिए कारगिल के रास्ते श्रीनगर से लेह तक 220 के.वी. पारेषण लाइन में अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 0.01 करोड़)।
- अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) providing additional Grants for creation of capital assets under the scheme Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim (₹ 204.58 crore).
- (ii) providing additional Grants-in-Aid General (₹ 26.50 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 173.50 crore) under the scheme Power System Improvement in North Eastern States excluding Arunachal Pradesh and Sikkim.
- Taking into account the surrender of savings of ₹ 200 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 204.58 crore available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) (i) providing additional funds for disbursement of salaries under Central Electricity Authority (₹ 5.42 crore);
- (ii) providing additional Grants-in-Aid General for interest Payments and issuing expenses under the scheme GoI fully serviced bond issue expenditure and interest (REC Bonds) (₹ 319.79 crore).
- (iii) providing additional Grants-in-Aid General for meeting committed for interest payments and expenses on the Bond issued by NHPC & PGCIL under the scheme Power System Development Fund (PSDF) (₹ 0.06 crore).
- (iv) providing additional Grants for creation of Capital Assets for financial closer of projects under the scheme Integrated Power Development System (IPDS) (₹ 382.27 crore).
- Taking into account the surrender of savings of ₹ 378 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 329.54 crore available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (c) providing fund for meeting additional expenditure in 220 KV transmission line from Srinagar to Leh via Kargil to settle the accounts (₹ 0.01 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 79

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 99 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)
(See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.52	399.52	401.04
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	1.52	399.52	401.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	20.00	20.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	20.00	20.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.52	419.53	421.05
राजस्व	Revenue	1.52	419.53	421.05
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सदस्यों के तहत प्रयोजन शीर्ष 'सब्सिडी' के अंतर्गत निधियों की अभिवृद्धि
(₹ 0.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक
अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

augmentation of funds under the Object Head 'Subsidies' under
Members (₹ 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of
the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 82

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102-103 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 102-103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	474.28	272235.40	272709.68
पूँजी	Capital	36.31	227394.24	227430.55
जोड़	Total	510.59	499629.64	500140.23
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	817.49	0.01	817.50
जोड़	Total	817.49	0.01	817.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1328.08	499629.66	500957.74
राजस्व	Revenue	474.28	272235.40	272709.68
पूँजी	Capital	853.80	227394.26	228248.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूँजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	817.49	(क) 0.01	(ख) 817.50

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) न्यायालय के निर्णयों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 817.49 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अनुरूपी बचत को ध्यान में रखते हुए ₹ 817.49 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से पूरा किए जाने वाले केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को ₹ 2,000 करोड़ अतिरिक्त अंतरण और रेल संरक्षा कार्य पर ₹ 2,000 करोड़ व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure arising out of court decrees (₹ 817.49 crore). Taking into account matching savings available in the revenue section of the Grant, a technical supplementary for ₹ 817.49 crore is sought:

(b) meeting expenditure on additional transfer of ₹ 2,000 crore to Central Road and Infrastructure Fund and on Railway Safety works for ₹ 2,000 crore to be met from Central Road and Infrastructure Fund. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 83
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104-105 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 104-105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	21619.82	21619.82
पूँजी	Capital	10.00	142819.16	142829.16
जोड़	Total	10.00	164438.98	164448.98
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	2167.64	2167.64
जोड़	Total	...	2167.66	2167.66
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	166606.66	166616.66
राजस्व	Revenue	...	21619.84	21619.84
पूँजी	Capital	10.00	144986.82	144996.82
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	0.01 (का)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054-सड़क और पुलों पर पूँजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	2167.64 (गc)	2167.64
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2167.66	2167.66
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों पर पूँजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)1063.82	(-)1063.82

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) ई-ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना हेतु राष्ट्रीय डाटा बेस पर व्यय को पूरा करने के लिए व्यावसायिक सेवाएं (₹ 55 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 137.85 करोड़) और केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधियों का अंतर-लेखा अंतरण (₹ 137.85 करोड़)। इस प्रयोजनार्थ नया व्यय-शीर्ष खोला जाना है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Professional Services for meeting expenditure on National Data Base for E-Transport Mission Mode Project (₹ 55 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants for creation of Capital Assets for roads in Union Territory of Jammu & Kashmir (₹ 137.85 crore) and inter-account transfer of funds to Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 137.85 crore). A new expenditure head is to be opened for this purpose. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|---|---|
| <p>(ग) (i) सड़क निर्माण कार्य – ईएपी (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी) के लिए मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (₹ 140 करोड़)।</p> <p>(ii) अंडमान और निकोबार में सड़कों के लिए मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से पूरा किया जाना है (₹ 0.20 करोड़)।</p> <p>(iii) चंडीगढ़ में सड़कों के लिए मुख्य निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से पूरा किया जाना है (₹ 0.05 करोड़)।</p> <p>(iv) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में सड़कों के लिए मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से पूरा किया जाना है (₹ 2.89 करोड़)।</p> <p>(v) राष्ट्रीय राजमार्ग मूलभूत निर्माण कार्य – जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से पूरा किया जाना है (₹ 150 करोड़)।</p> <p>(vi) सड़क विंग के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों हेतु मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से पूरा किया जाना है (₹ 90 करोड़)।</p> <p>(vii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूलभूत निर्माण कार्य – सामान्य घटक के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (₹ 1922 करोड़) और सीआरआईएफ को निधियों का अंतर लेखा-अंतरण (₹ 1000 करोड़)।</p> <p>(viii) सड़क निर्माण कार्य – ईएपी (एशियाई विकास बैंक) के लिए मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (₹ 140 करोड़)।</p> <p>(ix) लद्दाख में सड़कों के लिए मुख्य निर्माण कार्यों पर व्यय (₹ 103.82 करोड़) और सीआरआईएफ को निधियों का अंतर-लेखा अंतरण (₹ 103.82 करोड़)।</p> | <p>(c) (i) additional expenditure on Major Works for Road Works - EAP (Japan International Cooperation Agency) (₹ 140 crore).</p> <p>(ii) additional expenditure on Major Works for roads in Andaman and Nicobar to be met from CRIF (₹ 0.20 crore).</p> <p>(iii) additional expenditure on Major Works for roads in Chandigarh to be met from CRIF (₹ 0.05 crore).</p> <p>(iv) additional expenditure on Major Works for roads in Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu to be met from CRIF (₹ 2.89 crore).</p> <p>(v) additional expenditure on Major Works under the National Highways Original Works-Tribal Sub Plan to be met from CRIF (₹ 150 crore).</p> <p>(vi) additional expenditure on Major Works for Road Development Works under Road Wing to be met from CRIF (₹ 90 crore).</p> <p>(vii) additional expenditure on Major Works under the National Highways Original Works-General Component (₹ 1922 crore) and inter-account transfer of funds to CRIF (₹ 1000 crore).</p> <p>(viii) additional expenditure on Major Works for Road Works - EAP (Asian Development Bank) (₹ 140 crore).</p> <p>(ix) expenditure on Major Works for roads in Ladakh (₹ 103.82 crore) and inter-account transfer of funds to CRIF (₹ 103.82 crore).</p> |
|---|---|

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 84

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)
(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	191770.34	191770.34
पूँजी	...	100.00	100.00
जोड़	...	191870.34	191870.34
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	191770.34	191770.34
Capital	...	100.00	100.00
Total	...	191870.34	191870.34
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	0.06	0.06
पूँजी	...	...	...
जोड़	...	0.06	0.06
SUPPLEMENTARY GRANT:			
Revenue	...	0.06	0.06
Capital	...	...	...
Total	...	0.06	0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	16003.64	16003.64
पूँजी	...	...	...
जोड़ (मूल और पूरक)	...	16003.64	16003.64
Total (Original plus Supplementary)	...	207874.04	207874.04
राजस्व	...	207774.04	207774.04
पूँजी	...	100.00	100.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2505-ग्रामीण रोजगार	...	16003.62 (का)	16003.62
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	0.01 (ख)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	0.01 (ग)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	16003.64	16003.64

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	(-)7301.81
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)3483.45
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)216.55
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)11001.81

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए (₹ 7301.81 करोड़) ; और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में अंतरण (₹ 11001.81 करोड़)।

चूंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना के अंतर्गत व्यय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा किया जाएगा इसलिए अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 2300.00 करोड़ की बचत का उपयोग करने के बाद इसमें ₹ 5001.81 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान मुहैया कराना (₹ 3483.45 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹ 7301.81 crore); and (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹ 11001.81 crore). As the expenditure under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program will be met from National Employment Guarantee Fund, and after utilising the savings of ₹ 2300.00 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 5001.81 crore.

(b) providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹ 3483.45 crore).

चूंकि इस योजना के अंतर्गत व्यय को अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ग)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान मुहैया कराना (₹ 216.55 करोड़)। (c)

इस योजना के अंतर्गत व्यय अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

As the expenditure under the scheme will be met from the National Employment Guarantee Fund, out of the savings available in the same section of the Grant, it will not entail any cash outgo.

providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹ 216.55 crore)

As the expenditure under the scheme will be met from the National Employment Guarantee Fund, out of the savings available in the same section of the Grant, it will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)
(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5510.09	5510.11
पूँजी	Capital	...	90.00	90.00
जोड़	Total	0.02	5600.09	5600.11
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	54.00	54.00
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	54.01	54.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	5654.11	5654.13
राजस्व	Revenue	0.02	5564.10	5564.12
पूँजी	Capital	...	90.01	90.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण स्कीम (₹ 52.50 करोड़), विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण स्कीम के अंतर्गत विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (₹ 4.50 करोड़), अनुसंधान और विकास (₹ 18.55 करोड़), तथा नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन (₹ 3 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान और (ii) स्वायत्त संस्थानों और व्यावसायिक निकायों के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 15 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- meeting additional expenditure towards (i) Grants- in- aid General' for Science and Technology Institutional and Human Capacity Building (₹ 52.50 crore), for Disha Programme for women in Science under Science and Technology Institutional and Human Capacity Building Scheme (₹ 4.50 crore), for Research and Development (₹ 18.55 crore) and for Innovation, Technology Development and Deployment (₹ 3 crore) and (ii) Grants- in- aid salary for Autonomous Institutions and Professional Bodies (₹ 15 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2580.34	2580.34
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2580.34	2580.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2580.35	2580.35
राजस्व	Revenue	...	2580.35	2580.35
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) स्वायत्तशासी संस्थानों के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 9.89 करोड़) और
(ii) अनुसंधान और विकास के अंतर्गत अंशदान (₹ 17.35 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salary for Autonomous Institutions (₹ 9.89 crore) and (ii) Contribution under Research and Development (₹ 17.35 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4886.24	4886.24
पूंजी	Capital	...	9.65	9.65
जोड़	Total	...	4895.89	4895.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4895.90	4895.90
राजस्व	Revenue	...	4886.25	4886.25
पूंजी	Capital	...	9.65	9.65
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) (i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अंतर्गत सीएसआईआर (₹ 50 करोड़), (ii) एनआरडीसी (सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) के खोजकर्ताओं और नवोन्मेषकों को अभिप्रेरित करने का कार्यक्रम (₹ 1.88 करोड़) (iii) एनआरडीसी (सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) के वाणिज्यिकरण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास (पीडीटीसी) हेतु कार्यक्रम (₹ 0.18 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान और (2) प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु एशिया एवं प्रशांत केंद्र को अंशदान (एपीसीटीटी) (संयुक्त राष्ट्र निकाय) (₹ 1.40 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) CSIR under National Laboratories (₹ 50 crore) (ii) Programme for Inspiring Inventors & Innovators (PIII) of NRDC (PSE) (₹ 1.88 crore) (iii) Programme for Development of Technologies for Commercialization (PDTC) of NRDC (PSE) (₹ 0.18 crore) and 2. Contribution to Asian & Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) (UN Body) (₹ 1.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 89

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)
(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1955.99	1955.99
पूंजी	Capital	...	526.57	526.57
जोड़	Total	...	2482.56	2482.56
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूंजी	Capital	...	22.87	22.87
जोड़	Total	...	22.92	22.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	115.19	115.19
पूंजी	Capital	...	33.00	33.00
जोड़	Total	...	148.19	148.19
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2653.67	2653.67
राजस्व	Revenue	...	2071.23	2071.23
पूंजी	Capital	...	582.44	582.44
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	115.17	(का) 115.17
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	0.01	(खb) 0.01
3052-नौवहन	3052-Shipping	...	0.01	(गc) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	115.19	115.19
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	33.00	(घd) 33.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	148.19	148.19
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	(-)33.00	(-)33.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) हुगली डॉक पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के ₹ 60.74 करोड़ के भारत सरकार के ऋण और उस पर प्रोदभूत ₹ 54.43 करोड़ के बकाया ब्याज की माफी।
अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) मरमुगांव पतन न्यास को सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 15 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) भारत और मालदीव के बीच अनुसूचीबद्ध नौभार सेवा संचालन के लिए भारतीय पोत परिवहन निगम को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.52 करोड़)।
(ii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में व्यय, अग्रिम और अंतरण (ईएटी) मोड्यूल कार्यान्वित करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) waiver of Government of India loan (₹ 60.74 crore) and accrued interest (₹ 54.43 crore) outstanding against Hoogly Dock Port Engineers Limited.
Hence, Technical Supplementary Grant has been sought.
- (b) Grants-in-aid General to Mormugao Port Trust (₹ 15 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Grants-in-aid General to Shipping Corporation of India for running a scheduled cargo service between India and Maldives (₹ 3.52 crore).
(ii) Grants for creation of Capital Assets towards implementing Expenditure, Advance and Transfer (EAT) Module in Public Finance Management System for Indian Maritime University (₹ 0.01 crore).

- (घ) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
 प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत महानिदेशालय के अंतर्गत जलयान यातायात प्रणाली के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए अन्य पूंजीगत व्यय (₹ 33 करोड़)।
- (d) अनुदान के इसी भाग में अनुरूपी वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Other Capital Expenditure for upgradation and maintenance of Vessels Traffic System under Directorate General of Lighthouses and Lightships (₹ 33 crore).

Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 91
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)
(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8429.99	8429.99
पूँजी	Capital	...	455.01	455.01
जोड़	Total	...	8885.00	8885.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8885.07	8885.07
राजस्व	Revenue	...	8430.04	8430.04
पूँजी	Capital	...	455.03	455.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(क a)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(ख b)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजी परिव्यय	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(ग c)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 50 करोड़) और (2) ओबीसी, डीएनटी, ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता (₹ 10 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (1) ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेश अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी (₹ 12 करोड़) और (2) अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा (₹ 40 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹ 30 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants in aid General under the scheme (1) Pre Matric Scholarship for SCs (₹ 50 crore) and (2) Assistance for Skill Development of OBCs, DNTs and EBCs (₹ 10 crore) (ii) Scholarships/Stipend under the scheme (1) Interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies for OBCs and EBCs (₹ 12 crore) and (2) Top Class Education for SCs (₹ 40 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants in aid General under the scheme Integrated Programme for Rehabilitation of Beggars (₹ 20 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Investments under the scheme National Backward Classes Finance and Development Corporation (₹ 30 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92
विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1163.69	1163.69
पूंजी	Capital	...	41.21	41.21
जोड़	Total	...	1204.90	1204.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1204.92	1204.92
राजस्व	Revenue	...	1163.71	1163.71
पूंजी	Capital	...	41.21	41.21
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	(1) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास स्कीम (₹ 17.38 करोड़) (अनुसूचित जाति के लिए ₹ 12.57 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति के लिए ₹ 5.05 करोड़) (2) राष्ट्रीय संस्थान (₹ 14.36 करोड़) और (3) निःशक्तजनों के अधिकारों का कार्यान्वयन अधिनियम, 2016 की स्कीम (₹ 15 करोड़), (ii) राष्ट्रीय संस्थान स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 20.55 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	(i) GIA General under the schemes:- (1) Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme ₹ 17.38 crore (For SCs ₹ 12.57 crore, and for STs ₹ 5.05 crore), (2) National Institutes (₹ 14.36 crore) and (3) Scheme for Implementation of Rights of the Persons with Disabilities Act, 2016 (₹ 15 crore). (ii) GIA Salary under the scheme National Institutes (₹ 20.55 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) निःशक्तजनों के अधिकारों का कार्यान्वयन अधिनियम, 2016 की स्कीम (₹ 15 करोड़) और (2) दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास स्कीम (₹ 2.50 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Grants in aid General under the Scheme (1) Implementation of the Persons with Disabilities Act (₹ 15 crore) and (2) Scheme of Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (₹ 2.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 93

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)
(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 69 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	5874.12	5874.72
पूंजी	Capital	0.40	6598.14	6598.54
जोड़	Total	1.00	12472.26	12473.26
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	666.00	666.00
जोड़	Total	...	666.01	666.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13138.29	13139.29
राजस्व	Revenue	0.60	5874.14	5874.74
पूंजी	Capital	0.40	7264.15	7264.55
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) अर्ध-चालक प्रयोगशाला के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़), और (ii) इसरो प्रणोदन परिसर के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) पीएलवी संयोजन सुविधा के लिए मशीनरी और उपकरण/मुख्य निर्माण कार्य (₹ 25 करोड़), सेमी-क्रायोजनिक इंजन विकास परियोजना के लिए (₹ 18 करोड़), कार्टोसैट 3 के लिए (₹ 22 करोड़), ट्राईसोनिक विंड टनल सुविधा के लिए (₹ 35 करोड़), तथा (ii) सेमी-क्रायोजनिक इंजन विकास परियोजना के लिए अन्य पूंजीगत व्यय (₹ 65 करोड़), रिसोर्ससैट 3एस एवं 3एसए (₹ 3.50 करोड़), आदित्य एल1 (₹ 7.01 करोड़) और सेमी-क्रायोजनिक चरण विकास परियोजना (₹ 18 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries (₹ 10 crore) for Semi-Conductor Laboratory and (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) for ISRO Propulsion Complex.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipments/Major Works for PSLV Integration Facility (₹ 25 crore), for Semi-cryogenic Engine Development Project (₹ 18 crore), for Cartosat 3 (₹ 22 crore), for Trisonic Wind Tunnel Facility (₹ 35 crore) and (ii) Other Capital Expenditure for Semi-cryogenic Engine Development Project (₹ 65 crore), Resourcesat 3S & 3SA (₹ 3.50 crore), Aditya L1 (₹ 7.01 crore) and for Semi-cryogenic Stage Development Project (₹ 18 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)
(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 70 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5216.33	5216.33
पूँजी	Capital	...	14.73	14.73
जोड़	Total	...	5231.06	5231.06
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5231.08	5231.08
राजस्व	Revenue	...	5216.35	5216.35
पूँजी	Capital	...	14.73	14.73
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क्षमता विकास स्कीम के अंतर्गत (₹ 31.46 करोड़) और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 51.98 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting an additional expenditure under the scheme Capacity Development (₹ 31.46 crore) and Grants-in-aid Salary towards Indian Statistics Institute, Kolkata (₹ 51.98 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)
(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 71 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4800.57	4800.57
पूंजी	Capital	...	30.91	30.91
जोड़	Total	...	4831.48	4831.48
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	17.00	8.79	25.79
जोड़	Total	17.00	8.81	25.81
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17.00	4840.33	4857.33
राजस्व	Revenue	...	4800.62	4800.62
पूंजी	Capital	17.00	39.71	56.71

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01	
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(ख) 0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	8.79	(ग) 8.79	
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	17.00	(घ) ...		17.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	17.00	8.79		25.79
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	17.00	8.81		25.81

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants/Appropriations are required for:	
(क)	“राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम” स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.47 करोड़)।	(a)	Meeting expenditure towards: GIA General (₹ 0.47 crore) under the scheme ‘National Handloom Development Programme’.
(ख)	अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (i) “वस्त्र आयुक्त” स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 0.64 करोड़), (ii) “वस्त्र समिति के सहायक” स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10 करोड़) और (iii) “एकीकृत वस्त्र पार्क योजना” (एसआईटीपी) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 26.50 करोड़)।	(b)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Meeting expenditure towards: (i) Other Charges (₹ 0.64 crore) under the scheme ‘Textile Commissioner’ (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10.00 crore) under the scheme ‘Assistant to Textile Committee’ and (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 26.50 crore) under the scheme ‘Scheme for Integrated Textile Parks (SITP)’.
(ग)	अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। “अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजना” स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 8.79 करोड़)।	(c)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Meeting expenditure towards: Major Works (₹ 8.79 crore) under the scheme ‘Infrastructure and Technology Development Scheme’.
(घ)	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। ‘ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन’ स्कीम के अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम (₹ 17.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(d)	Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo; Meeting expenditure towards: Loans and Advances (₹ 17.00 crore) under the scheme ‘British India Corporation’. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)
(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 73 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2189.21	2189.21
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	2189.22	2189.22
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2189.24	2189.24
राजस्व	Revenue	...	2189.23	2189.23
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीएम/एनआईडब्ल्यूएस को सहायता स्कीम के अंतर्गत होटल प्रबंधन कैंटरिंग प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.30 करोड़) प्रदान करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing "Grants in Aid General" to Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition under the scheme of Assistance to IHMs/FCIs/ IITTM/ NIWS (₹ 1.30 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)
(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 74 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	5659.27	1155.69	6814.96
पूँजी	Capital	...	80.00	80.00
जोड़	Total	5659.27	1235.69	6894.96
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	185.00	0.01	185.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	185.00	0.02	185.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	137.87	122.33	260.20
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	137.87	122.33	260.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5982.14	1358.04	7340.18
राजस्व	Revenue	5982.14	1278.03	7260.17
पूँजी	Capital	...	80.01	80.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	122.33 (का)	122.33
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	137.87 (खब)	...	137.87
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	137.87	122.33	260.20

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) (1) चिकित्सीय व्यय (₹ 0.05 करोड़), (2) कार्यालय व्यय (₹ 0.30 करोड़), (3) लघु निर्माण कार्य (₹ 0.05 करोड़) हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर्गत व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (ii) (1) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा (₹ 1 करोड़), (2) निगरानी और मूल्यांकन (₹ 1.50 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत अन्य प्रभार (iii) (1) जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन हेतु संस्थागत सहायता (₹ 45.50 करोड़) (2) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (₹ 0.98 करोड़) (3) लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ 59.43 करोड़) (4) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा (₹ 1 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (iv) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्कीम के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 14.68 करोड़) (v) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.24 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 122.33 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) (i) (1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 35 करोड़) (2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 92.87 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता स्कीम' के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) Additional requirement for expenditure under National Commission for Scheduled Tribes towards (1) Medical Exp (₹ 0.05 crore), (2) Office Exp. (₹ 0.30 crore), (3) Minor Works (₹ 0.05 Crores) (ii) Other Charges under the scheme (1) Tribal Festival, Research information and mass Education (₹ 1 crore) (2) Monitoring & Evaluation (₹ 1.50 crore) (iii) Grants in aid-General under the scheme (1) Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 45.50 crore) (2) Eklavya Model Residential School (₹ 0.98 crore) (3) Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹ 59.43 crore) (4) Tribal Festival, Research information and mass Education (₹ 1 crore) (iv) Grant for creation of capital assets under the scheme 'Eklavya Model Residential School' (₹ 14.68 crore) (v) Grants in aid- Salary under the scheme 'Eklavya Model Residential School' (₹ 0.24 crore)

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 122.33 crore

(b) Grants in aid -General under the scheme (1) Pre- Matric Scholarship (₹ 35 crore) (2) Post Matric Scholarship (₹ 92.87 crore) (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme 'Support to Tribal Research Institutes' (₹ 10 crore) The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 99

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)
 (See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 75 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	29664.89	29664.89
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	29664.90	29664.90
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	5.00	5.00
जोड़	Total	...	5.02	5.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	29669.94	29669.94
राजस्व	Revenue	...	29664.93	29664.93
पूँजी	Capital	...	5.01	5.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (का)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (₹ 319.70 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय पोषण मिशन - कार्यक्रम घटक (₹ 764 करोड़) योजना के अंतर्गत के सामान्य सहायता अनुदान के लिए।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grants in aid General under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (₹ 319.70 Crore).
 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants in aid General under the scheme National Nutrition Mission- Programme Component (₹ 764 crore)
 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)
(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 76 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2181.90	2181.90
पूँजी	Capital	...	35.02	35.02
जोड़	Total	...	2216.92	2216.92
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	225.01	225.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	225.01	225.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	325.00	325.00
पूँजी	Capital	...	10.00	10.00
जोड़	Total	...	335.00	335.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2776.93	2776.93
राजस्व	Revenue	...	2731.91	2731.91
पूँजी	Capital	...	45.02	45.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	308.00	(क) 308.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	17.00	(ख) 17.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	325.00	325.00
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूँजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	10.00	(ग) 10.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	335.00	335.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 25.99 करोड़) और (2) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹ 2.60 करोड़) (सामान्य ₹ 1.46 करोड़, कॉर्पस निधि- ₹ 0.09 करोड़, एसएपी ₹ 0.05 करोड़, एससी ₹ 0.50 करोड़ और एसटी ₹ 0.50 करोड़) (3) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (₹ 6.33 करोड़) (4) युवा नेतृत्व कार्यक्रम (₹ 1.654 करोड़) (सामान्य ₹ 1.244 करोड़, एससी ₹ 0.244 करोड़ और एसटी ₹ 0.166 करोड़), (5) राष्ट्रीय युवा तथा किशोर विकास कार्यक्रम (₹ 0.50 करोड़), (6) राष्ट्रीय सेवा स्कीम (₹ 4.50 करोड़) (सामान्य ₹ 2.61 करोड़, एसटी- ₹ 1.89 करोड़), (7) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 45 करोड़) (सामान्य ₹ 5 करोड़, एससी ₹ 26 करोड़ और एसटी ₹ 14 करोड़), (8) खेले इंडिया (₹ 0.16 करोड़), (9) सीडब्ल्यूजी 2010-भारतीय खेल प्राधिकरण के स्टेडियमों का नवीनीकरण (₹ 26 करोड़), (9) जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधाओं को बढ़ाना (₹ 5.37 करोड़) और (10) राष्ट्रीय खेल परिसंघ (₹ 33.69 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 56.53 करोड़), (2) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹ 4.44 करोड़), (3) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 16 करोड़), (iii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹ 9.20 करोड़) (सामान्य ₹ 5.46 करोड़, एससी ₹ 2.42 करोड़ और एसटी ₹ 1.32 करोड़), (2) राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (₹ 20 करोड़), (3) जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधा को बढ़ाना (₹ 14.63 करोड़), (iv) राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अंतर्गत अंशदान (₹ 7.15 करोड़), (v) युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹ 18 करोड़), (vi) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (1) युवा नेतृत्व कार्यक्रम (₹ 11 करोड़), (2) विशेष नकद पुरस्कार (₹ 12 करोड़), गुणवान खिलाड़ियों के लिए पेंशन (₹ 10 करोड़), (vii) युवा नेतृत्व कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 5 करोड़) और (viii) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹ 2.05 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) GIA General under the scheme (1) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 25.99 crore) and (2) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹ 2.60 crore) (Gen.- ₹ 1.46 crore, Corpus Fund- ₹ 0.09 crore, SAP- ₹ 0.05 crore, SC- ₹ 0.50 crore & ST- ₹ 0.50 crore), (3) International Co-operation (₹ 6.33 crore), (4) Young Leader Programme (₹ 1.654 crore) (Gen.- ₹ 1.244 crore, SC- ₹ 0.244 crore & ST- ₹ 0.166 crore), (5) National programme for Youth and Adolescent Development (₹ 0.50 crore), (6) National Service Scheme (₹ 4.50 crore) (Gen.- ₹ 2.61 crore, ST- ₹ 1.89 crore), (7) Sports Authority of India (₹ 45 crore) (Gen.- ₹ 5 crore, SC- ₹ 26 crore & ST- ₹ 14 crore), (8) Khelo India (₹ 0.16 crore), (9) CWG2010-SAI Stadia Renovation (₹ 26 crore), (9) Enhancement of Sports Facility at J&K (₹ 5.37 crore) and (10) National Sports Federation (₹ 33.69 crore), (ii) GIA Salary under the scheme (1) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 56.53 crore), (2) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹ 4.44 crore), (3) Sports Authority of India (₹ 16 crore), (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (1) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹ 9.20 crore) (Gen.- ₹ 5.46 crore, SC- ₹ 2.42 crore & ST- ₹ 1.32 crore), (2) National Centre of Sports Science and Research (₹ 20 crore), (3) Enhancement of Sports Facility at J&K (14.63 crore), (iv) Contribution under National Sports Development Fund (₹ 7.15 crore), (iv) Minor Works under the scheme Youth Hostel (₹ 18 crore), (v) Other Charges under the scheme (1) Young Leader

इसमें ₹ 308 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (ख) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) युवा नेतृत्व कार्यक्रम (₹ 0.194 करोड़), और (2) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 15 करोड़) और (ii) युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹ 2 करोड़)। (b)

इसमें ₹ 17 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (ग) पूर्वोक्त में खेल विश्वविद्यालय स्कीम हेतु मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त व्यय (₹ 10 करोड़)। (c)
इसमें नकद व्यय होगा।

Programme (₹ 11 crore), (2) Special Cash Award (₹ 12 crore), Pension to Meritorious Sports Persons (₹ 10 crore), (vi) Advertisement & Publicity under the scheme Young Leader Programme (₹ 5 crore) and (vii) Office Expenses under National Service scheme (₹ 2.05 crore)

The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 308 crore.

(i) GIA General under the scheme (1) Young Leader Programme (0.194 crore) and (2) Sports Authority of India (₹ 15 crore) and (ii) Minor Works under the scheme Youth Hostels (₹ 2 crore)

The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 17 crore

Additional expenditure is required under Major Works for the scheme Sports University in North East (₹ 10 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

बजट प्रावधान में 5.00 करोड़ रु या उससे अधिक वृद्धि करने से प्रभावित पुनर्विनियोग

अनुबंध
हजार रु में

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	कोड संख्या		पुनर्विनियोजित राशि	स्वीकृति आदेश सं. एवं तारीख	कारण
----------	-------------	------------	--	---------------------	-----------------------------	------

अप्रत्यक्ष कर

1	2042	2042	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर के तहत संग्रहण शुल्क (मुख्य शीर्ष)		पुनर्विनियोजन आदेश सं. 8/बी/10 (135)/एच आरडी/ईएमसी/2019/ पार्ट-1 दिनांक 12.9.2019	सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019 के विज्ञापन और प्रचार योजना के लिए
		00.101	संग्रहण शुल्क (लघु शीर्ष)			
		01	कमिश्नरी			
		01.02	मुख्यालय (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित)			
		01.02.26	विज्ञापन एवं प्रचार	172500		
2	2042	2042	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर के तहत संग्रहण शुल्क		पुनर्विनियोजन आदेश सं. 8/बी/10 (135)/ एचआरडी/ ईएमसी/2019/ पार्ट-3 दिनांक 11.12.2019	अलग-अलग सीजीएसटी क्षेत्रों से निधि की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए
		00.101	संग्रहण शुल्क (लघु शीर्ष)			
		01	कमिश्नरी			
		01.02	मुख्यालय (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित)			
		01.02.05	पुरस्कार	150000		
		01.02.14	किराए की दरें और कर	150000		

अनुदानों की पूरक मांगें 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

Re-appropriations having the effect of increasing the budget provision by ₹ 5.00 crore or more

Annexure

₹ in thousand

S.No.	Major Head	Code No.		Amount re-appropriated	Sanction Order No. and date	Reasons
-------	------------	----------	--	------------------------	-----------------------------	---------

Indirect Tax

1	2042	2042	Collection Charges under Central Goods and Service Tax and Integrated Goods and Service Tax (Major Head)		F.No.8/B/10(135)/HRD/EMC/2019/Pt-I Re-appropriation order dated 12.09.2019	For the Advertising & Publicity plan for Sabka Vishwas (legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019
		00.101	Collection Charges (Minor Head)			
		01	Commissionerates			
		01.02	Headquarters (including field offices)			
		01.02.26	Advertising & Publicity	172500		
2	2042	2042	Collection Charges under Central Goods and Service Tax and Integrated Goods and Service Tax (Major Head)		F.No.8/B/10(135)/HRD/EMC/2019/Pt. Re-appropriation order 3 dated 11.12.2019	For meeting additional demand of funds from different CGST Zones
		00.101	Collection Charges (Minor Head)			
		01	Commissionerates			
		01.02	Headquarters (including field offices)			
		01.02.05	Rewards	150000		
		01.02.14	Rent Rates & Taxes	150000		

अनुदानों की पूरक मांगें 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(₹ करोड़)					
1	2	3	4	5	6
क्रम. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	स्कीम	बजट अनुमान 2019-2020	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
1.		2211.00.001.10-जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके)	11.50	220.00	कर मांग को पूरा करने के लिए
2.		2211.00.109.12.14-नेमी टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पुल-बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय	1.79	11.22	संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिक मांगों के कारण
3.		2211.00.109.12.23-एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल गति-विधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली	5.65	13.20	संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिक मांगों के कारण
4.		2211.00.109.12.24-एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल गति-विधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली	0.01	2.05	संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिक मांगों के कारण
5.		2211.00.109.13.09-एनयूएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल गति-विधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली	0.01	3.94	संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिक मांगों के कारण
6.		2211.00.109.13.11-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं स्वस्था केन्द्र (राष्ट्रीय निवेश निधि - एनआईएफ से सहायता) बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र - ईएसी	0.01	0.63	संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिक मांगों के कारण
7.		3601.06.101.14-एफडब्ल्यू - अवसंरचना अनुरक्षण	3568.49	542.74	राज्यों द्वारा अधिक मांगों के कारण
8.		3601.06.101.20.05- नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन करके)	1422.20	878.13	राज्यों द्वारा अधिक मांगों के कारण
9.		3601.06.101.21.03 - कैसर, मधुमेह, हृदय संबंधी रोगों और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	98.69	6.61	राज्यों द्वारा अधिक मांगों के कारण
10.		3601.06.789.05-एफडब्ल्यू - अवसंरचना अनुरक्षण	1587.98	82.00	राज्यों द्वारा अधिक मांगों के कारण
11.		3601.06.789.15.05 - नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन करके)	315.40	50.19	राज्यों द्वारा अधिक मांगों के कारण
12.		3601.06.796.05 - एफडब्ल्यू - अवसंरचना अनुरक्षण	724.35	28.00	राज्यों द्वारा अधिक मांगों के कारण
13.		3601.06.789.15.05 - नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन करके)	162.40	30.57	राज्यों द्वारा अधिक मांगों के कारण

अनुदानों की पूरक मांगें 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(₹ in Crore)					
1	2	3	4	5	6
Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Schemes	Budget Estimates 2019-20	Amount of Re-appropriation	Remarks
	Department of Health & FW				
1		2211.00.001.10 - Janasankhya Sthirta Kosh (JSK)	11.50	22.00	To meet out Tax Demand.
2		2211.00.109.12.14 - RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. - Expenditure in UTs without Legislature	1.79	11.22	Due to more demand from UTs.
3		2211.00.109.12.23 - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS)	5.65	13.20	Due to more demand from UTs.
4		2211.00.109.12.24 - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS)	0.01	2.05	Due to more demand from UTs.
5		2211.00.109.13.09 - Other Health System for activities covered under NUHM (GBS)	0.01	3.94	Due to more demand from UTs.
6		2211.00.109.13.11 - Ayushman Bharat - Health and wellness Centres (Support from National Investment Funds-NIF) UTs Without Legislature-EAC	0.01	0.63	Due to more demand from UTs.
7		3601.06.101.14 - FW - Infrastructure Maintenance	3568.49	542.74	Due to more demand from States.
8		3601.06.101.20.05 - Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals)	1422.20	878.13	Due to more demand from States.
9		3601.06.101.21.03 - National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke	98.69	6.61	Due to more demand from States.
10		3601.06.789.05 - FW - Infrastructure Maintenance	1587.98	82.00	Due to more demand from States.
11		3601.06.789.15.05 - Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals)	315.40	50.19	Due to more demand from States.
12		3601.06.796.05 - FW - Infrastructure Maintenance	724.35	28.00	Due to more demand from States.
13		3601.06.789.15.05 - Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals)	162.40	30.57	Due to more demand from States.